रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 97] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 16, 2016/फाल्गुन 26, 1937
No. 97] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 16, 2016/PHALGUNA 26, 1937

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 मार्च, 2016

दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवाएं) अंतःसंयोजन (डिजिटल एड्रेसेबल केबल टेलीविजन प्रणालियां) (सातवां संशोधन) विनियम, 2016

(2016 का 3)

फा. सं 26–01/2015 – बीएंडसीएस.– भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 11 की उप–धारा (1) के खंड (बी) के उप–खंड (ii), (iii), (iv) और (v) एवं धारा 36 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के साथ पठित भारत सरकार, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) की अधिसूचना संख्या 39 का प्रयोग करते हुए, जो, ...

(ए) उक्त अधिनियम की धारा 2 की उप–धारा (1) के खंड (के) के परंतुक तथा धारा 11 की उप–धारा (1) के खंड (डी) के अंतर्गत केंद्र सरकार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गई थी, तथा

(बी) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3 उप–खण्ड (ii) में दिनांक 09 जनवरी, 2004 की अधिसूचना सं0 39 (एस0ओ0 44 (ई) तथा 45(ई)) के तहत प्रकाशित हुई थी, ...

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवाएं) अंतःसंयोजन (डिजिटल एड्रेसेबल केबल टेलीविजन प्रणालियां) विनियम, 2012 (2012 का नौवां) में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्–

1. (1) इन विनियमों को दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवाएं) अंतःसंयोजन (डिजिटल एड्रेसेबल केबल टेलीविजन प्रणालियां) (सातवां संशोधन) विनियम, 2016 (2016 का 3) कहा जाएगा।

(2) वे सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवाएं) अंतःसंयोजन (डिजिटल एड्रेसेबल केबल टेलीविजन प्रणालियां) विनियम, 2012 (2012 का नौवां) (जिसे इसके पश्चात् मूल विनियम कहा जाएगा) के विनियम 3 के उप–विनियम 14 के स्थान पर निम्न उप–विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः :–

''(14) प्रत्येक मल्टी सिस्टम ऑपरेटर अथवा उसका प्राधिकृत एजेन्ट एक स्थानीय केबल ऑपरेटर द्वारा लिखित अनुरोध प्राप्त होने की तिथि से साठ दिनों के अंदर विनियम 5 के अनुरूप टेलीविजन सिग्नल उपलब्ध कराएगा और यदि टेलीविजन चैनलों के सिग्नल उपलब्ध कराने के अनुरोध को पूरा नहीं किया जा सकता है तो सिग्नल उपलब्ध कराने की इस प्रकार की अस्वीकृति के संबंध में अनुरोध किए जाने की तिथि से साठ दिनों के भीतर स्थानीय केबल ऑपरेटर को जानकारी देगा।''

3. मूल विनियमों के विनियम 3 के उप–विनियम 15 और 16 का लोप किया जाएगा।

4. मूल विनियमों के विनियम 5 के उप विनियम–13 के स्थान पर निम्न उप–विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः :–

''(13) मल्टी सिस्टम ऑपरेटर, इन विनियमों की अनुसूची–IV में निर्धारित आदर्श अंतःसंयोजन करार की तर्ज पर उक्त करार की खण्ड 10, 11 और 12 पर आपस में सहमत होकर टेलीविजन चैनलों के सिग्नल उपलब्ध कराने के लिए स्थानीय केबल ऑपरेटरों के साथ एक लिखित अंतःसंयोजन करार पर हस्ताक्षर करेगाः

बशर्ते कि मल्टी सिस्टम ऑपरेटर तथा स्थानीय केबल ऑपरेटर, आदर्श अंतःसंयोजन करार की किसी खण्ड में फेर–बदल किए बिना अथवा उसका लोप किए बिना, आपसी करार के माध्यम से आदर्श अंतःसंयोजन करार में खण्ड शामिल कर सकते हैं, बशर्ते कि इस प्रकार के किसी परिवर्धन का आदर्श अंतःसंयोजन करार में यथानिर्धारित किसी खण्ड पर कोई शिथिलकारी प्रभाव नहीं होगा।

बशर्ते आगे की यदि मल्टी सिस्टम ऑपरेटर तथा स्थानीय केबल ऑपरेटर, इस उप–विनियम में यथा उपर्युक्त उपबंधित अंतःसंयोजन करार पर हस्ताक्षर करने में सफल नहीं होते हैं तो मल्टी सिस्टम ऑपरेटर तथा स्थानीय केबल ऑपरेटर इन विनियमों की अनुसूची–V में यथा विनिर्दिष्ट मानक अंतःसंयोजन करार पर हस्ताक्षर करेंगे।

स्पष्टीकरण : संदेह दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि विहित आदर्श अंतःसंयोजन करार की निबंधन और शर्तों तथा पक्षों द्वारा आपसी सहमति से जोड़े जाने वाली नई निबंधन और शर्तों के बीच किसी विवाद होने पर विहित आदर्श अंतःसंयोजन करार की निबंधन और शर्तें लागू होंगी।

5. मूल विनियमों के विनियम 5 के उप–विनियम 13 के पश्चात् निम्नवत उप–विनियमों को अंतःस्थापित किया जाएगा, नामतः–

''(13क) प्रत्येक मल्टी सिस्टम ऑपरेटर, दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवाएं) अंतःसंयोजन (डिजिटल एड्रेसेबल केबल टेलीविजन प्रणालियां) (सातवां संशोधन) विनियम, 2016 के लागू होने की तिथि से तीस दिनों के अंदर सभी संबद्ध स्थानीय केबल ऑपरेटरों को आदर्श अंतःसंयोजन करार अथवा मानक अंतःसंयोजन करार, जैसा भी मामला हो, के अनुरूप अपने मौजूदा करारों को आशोधित करने हेतु एक लिखित विकल्प देगा तथा संबंद्ध स्थानीय केबल ऑपरेटर

ऐसे विकल्प की प्राप्ति की तिथि से तीस दिनों के अंदर अपने मौजूदा करार को आशोधित करने अथवा इसकी समाप्ति तक मौजूदा करार को जारी रखने तथा तत्पश्चात् आदर्श अंतःसंयोजन करार अथवा मानक अंतःसंयोजन करार, जैसा भी मामला हो, पर हस्ताक्षर करने का विकल्प खुला होगा।

(13ख) प्रत्येक मल्टी सिस्टम ऑपरेटर, टेलीविजन चैनलों के सिग्नल उपलब्ध कराने हेतु स्थानीय केबल ऑपरेटर से अनुरोध प्राप्त होने की तिथि से 30 दिनों की अवधि के अंदर आदर्श अंतःसंयोजन करार अथवा मानक अंतःसंयोजन करार, जैसा भी मामला हो, की निबंधन और शर्तों के अनुरूप एक अंतःसंयोजन करार पर हस्ताक्षर करेगा।''

6. मूल विनियमों में अनुसूची– III के पश्चात् निम्न अनुसूचियां अंतःस्थापित की जाएंगी, नामतः–

"अनुसूची–IV

(विनियम 5 के उप–विनियम (13) को संदर्भित)

मल्टी सिस्टम ऑपरेटर और स्थानीय केबल ऑपरेटर के बीच डिजिटल एड्रेसेबल प्रणालियों (डीएएस) के माध्यम से केबल टेलीविजन सेवाओं की पेशकश करने के लिए आदर्श अंतःसंयोजन करार

{1. इस करार के प्रत्येक पृष्ठ पर एमएसओ तथा एलसीओ के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।}

2. इस प्रारूप के खंडों में आबंटित संख्या में कोई फेरबदल नहीं किया जाएगा तथा किसी भी प्रकार का परिवर्धन एवं परिवर्तन (यदि कोई हो) संबंधित खंड के अंत में या इस प्रारूप के अंत में किया जाएगा}

यह तकनीकी तथा वाणिज्यिक अंतःसंयोजन करार इसकी अनुसूचियों तथा अनुलग्नकों सहितः

प्रथम पक्ष, _____ जिनका पंजीकृत कार्यालय _____ में स्थित है, अन्य भाग में इसके प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (जिसे इसके पश्चात् **''एमएसओ''** कहा जाएगा, जिस शब्द में जब तक कि संदर्भ अथवा तत्संबंधी अर्थ के प्रतिकूल न हो, इसके उत्तराधिकारी, समनुदेशिति, वारिस तथा निष्पादन सम्मिलित हैं।)

एमएसओ का दर्जा : व्यक्ति विशेष/फर्म/कंपनी/व्यक्तियों का संघ/व्यक्तियों का निकाय (जो लागू न हो उसे काट दें अथवा व्यक्तियों के संघ/व्यक्तियों के निकाय की स्थिति में उपर्युक्त रूप से संशोधन करें।)

और

द्वितीय पक्ष, _____ जिनका पंजीकृत कार्यालय _____ में स्थित है, इसके प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (जिसे इसके पश्चात् **''एलसीओ''** कहा जाएगा, जिस शब्द में जब तक कि संदर्भ अथवा तत्संबंधी अर्थ के प्रतिकूल न हो, इसके उत्तराधिकारी, समनुदेशिति, वारिस तथा निष्पादन सम्मिलित हैं।)

एलसीओ का दर्जा : व्यक्ति विशेष/फर्म/कंपनी/व्यक्तियों का संघ/व्यक्तियों का निकाय (जो लागू न हो उसे काट दें अथवा व्यक्तियों के संघ/व्यक्तियों के निकाय की स्थिति में उपर्युक्त रूप से संशोधन करें।)

के बीच दिन _____ माह _____ 201_____ को निष्पादित किया गया।

एमएसओ तथा **एलसीओ** को इसके पश्चात् व्यक्तिगत रूप से 'पक्ष' कहा जाएगा तथा समग्र रूप से ''**पक्ष(क्षों)**'' कहा जाएगा।

जबकि,

(क) एमएसओ एक केबल ऑपरेटर होता है, जिसे सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 के तहत केन्द्र सरकार द्वारा केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियम) अधिनियम, 1995 की धारा 4क के तहत अधिसूचित _____ क्षेत्र में एड्रेसेबल प्रणालियों के माध्यम से केबल टेलीविजन उपलब्ध करवाने के लिए _____ दिनांक _____ का पंजीकरण संख्या प्रदान किया गया है।

(ख) एलसीओ एक केबल ऑपरेटर है, जिसे केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 के तहत _____ (क्षेत्र के नाम का उल्लेख करें) में केबल टेलीविजन सेवाएं प्रदान करने के लिए . _____ मुख्य डाकघर (मुख्य डाकघर का नाम) में दिनांक _____ को पंजीकरण संख्या _____प्रदान किया गया है।

(ग) एलसीओ ने दिनांक_____ के पत्र संख्या_____ के माध्यम से टेलीविजन चेनलों हेतु सिग्नल उपलब्ध कराने के लिए अनुरोध किया है तथा एमएसओ दिनांक_____के पत्र संख्या _____ के माध्यम से ऐसे एलसीओ को टेलीविजन चैनलों के लिए सिग्नल उपलब्ध कराने को सहमत हो गया है।

(घ) क्षेत्र : इस करार के संदर्भ में क्षेत्र _____ है [उस क्षेत्र(त्रों)/शहरों (रों)/जिला(लों)/राज्य(यों) के नाम का उल्लेख करें जिसके लिए इस करार पर हस्ताक्षए किए जा रहे हैं।]

(ङ) दोनों पक्ष, प्रधान से प्रधान आधार पर तथा गैर–अनन्य आधार पर क्षेत्र में टेलीविजन चैनलों के संवितरण के संबंध में भूमिका, उत्तरदायित्व, अधिकार, दायित्व, तकनीकी तथा वाणिज्यिक व्यवस्थाओं को शासित करने के लिए आपस में इस करार निष्पादित करने के लिए सहमत हुए हैं।

(च) दोनों पक्ष इस बात पर भी आपस में सहमत हैं कि दोनों पक्षों के बीच किसी सम्पत्ति/ परिसम्पत्तियों के लेन–देन सहित प्रत्येक लेन–देन को लिखित में तथा अन्य सत्यापन योग्य तरीकों के माध्यम से किया जाएगा।

अब इसलिए, उपर्युक्त तथा इनमें अंतर्विष्ट प्रसंविदा पर विचार करते हुए, दोनों पक्ष निम्नानुसार सहमत हैं:–

1. परिभाषाएं

इस करार में उपयोग किए गए शब्द तथा वाक्यों का अर्थ, उन्हें इस करार की अनुसूची में दिया गया अर्थ होगा। इस अंतःसंयोजन करार में उपयोग किए गए परंतु परिभाषित नहीं किए गए और इसके तहत अधिनियम तथा नियम तथा विनियम में परिभाषित अथवा केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियम) अधिनियम, 1995 (1995 का सातवां) में परिभाषित अन्य शब्दों तथा वाक्यों का वही अर्थ होगा, जो उन्हें उन अधिनियमों अथवा नियमों और विनियमों, जैसा मामला हो, में दिया गया है।

2. करार की शर्तें

2.1 करार, _____ (दिनांक/माह/वर्ष) से प्रभावी होगा तथा _____ (दिनांक/माह/वर्ष) अथवा एमएसओ अथवा एलसीओ के पंजीकरण की समाप्ति की तिथि, जैसा भी मामला हो, जो भी पहले हो, अथवा करार की शर्तों के अनुरूप किसी भी पक्ष द्वारा समाप्त कर दिये जाने तक प्रभावी रहेगा।

2.2 करार की अवधि को पक्षों द्वारा आपस में सहमत निबंधन और शर्तों पर लिखित में दर्ज करके आगे बढ़ाया जा सकता है बशर्ते कि विस्तारित अवधि एमएसओ अथवा एलसीओ के पंजीकरण की अवधि की अंतिम तिथि, जो भी पहले हो, से अधिक न हो।

3. करार को समाप्त करना

3.1 किसी भी पक्ष को निम्न स्थिति में दूसरे पक्ष को 21 दिन का लिखित में अग्रिम नोटिस देकर करार को समाप्त करने का अधिकार होगाः—

(i) किसी पक्ष द्वारा करार की शर्तों के तात्विक उल्लंघन किये जाने की स्थिति में, जिसे एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को पंद्रह (15) दिनों के लिखित में दिए जाने हेतु अपेक्षित समय—सीमा के भीतर संसाधित नहीं किया गया हो; अथवा

(ii) शोधन अक्षमता, दिवालिया होने अथवा किसी दूसरे पक्ष की परिसंपत्तियों पर प्रापक की नियुक्ति; अथवा

(iii) दूसरा पक्ष पायरेसी करे, अथवा उसकी अनुमति दे अथवा किसी पक्ष को चैनल पर उपलब्ध कराई गई ऐसी प्रोग्रामिंग सेवा को चलाने के लिए किसी व्यक्ति को प्रलोभन दे जोकि समय—समय पर यथा संशोधित केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 में विहित कार्यक्रम तथा विज्ञापन संहिता का उल्लंघन हो।

3.2 एमएसओ द्वारा क्षेत्र में टेलीविजन चैनलों सिग्नलों के पुनर्प्रसारण के व्यापार को बंद किए जाने पर एलसीओ को करार समाप्त करने का अधिकार होगा।

3.3 एलसीओ द्वारा क्षेत्र में अपने केबल टेलीविजन व्यापार को बंद किए जाने पर एमएसओ को करार को समाप्त करने का अधिकार होगा।

3.4 यदि किसी कारणवश, एमएसओ क्षेत्र में टेलीविजन के पुनर्प्रसारण के व्यापार को बंद करने का निर्णय लेता है तो वह एलसीओ को इस प्रकार सेवा बंद करने के कारणों का उल्लेख करते हुए कम से कम 90 दिन पूर्व लिखित नोटिस देगा।

3.5 यदि एलसीओ, सब्सक्राइबर को टेलीविजन सिग्नल उपलब्ध कराने के व्यापार को बंद करने का निर्णय लेता है तो, वह एमएसओ को इस प्रकार सेवा बंद करने के कारणों का उल्लेख करते हुए कम से कम 90 दिन पूर्व लिखित नोटिस देगा।

4. करार समाप्त करने और करार के समाप्त होने का प्रभाव :

4.1 किसी भी पक्ष द्वारा करार समाप्त करने अथवा करार की अवधि की समाप्ति की स्थिति में, जैसा भी मामला हो, प्रत्येक पक्ष दूसरे पक्ष को करार की समाप्ति की तिथि तक दूसरे पक्ष को देय और बकाया सभी राशियों का भुगतान करेगा।

4.2 एलसीओ, करार की समाप्ति होने अथवा करार की अवधि पूर्ण होने के 15 दिनों के अंदर, जैसा भी मामला हो, यहां उल्लिखित उपबंधों की शर्तों के अनुरूप, एलसीओ की अभिरक्षा में रखी हुई एमएसओ की सभी सम्पत्तियों और परिसंपत्तियों को एमएसओ को सौंपेगा तथा एलसीओ की अभिरक्षा में रखी हुई एमएसओ की सभी सम्पत्तियों और परिसंपत्तियों को हुई हानि अथवा क्षति, यदि कोई हो तो, की इस संबंध में प्राप्त हुए नोटिस की प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर एलसीओ को भरपाई करेगा और एलसीओ द्वारा ऐसी परिसम्पत्तियों/आस्तियों का रखरखाव करने में अक्षम होने पर एलसीओ, एमएसओ को ऐसी परिसम्पत्तियों/आस्तियों के मूल्यह्रासित मूल्य का भुगतान करेगा।

4.3 एमएसओ, करार की समाप्ति होने अथवा करार की अवधि पूर्ण होने के 15 दिनों के अंदर, जैसा भी मामला हो, यहां उल्लिखित उपबंधों की शर्तों के अनुरूप, एमएसओ की अभिरक्षा में रखी हुई एलसीओ की सभी सम्पत्तियों और परिसंपत्तियों को एलसीओ को सौंपेगा तथा एमएसओ की अभिरक्षा में रखी हुई एलसीओ की सभी सम्पत्तियों और परिसंपत्तियों को हुई हानि अथवा क्षति, यदि कोई हो तो, की इस संबंध में प्राप्त हुए नोटिस की प्राप्ति के तीस (30) दिनों के अंदर एलसीओ को भरपाई करेगा और एमएसओ द्वारा ऐसी परिसम्पत्तियों/आस्तियों का रखरखाव करने में अक्षम होने पर एमसीओ, एलसीओ को ऐसी परिसम्पत्तियों/आस्तियों के मूल्यह्रासित मूल्य का भुगतान करेगा।

स्पष्टीकरण : उपर्युक्त खण्ड 4.2 तथा 4.3 की एमएसओ तथा एलसीओ के हार्डवेयर अथवा सब्सक्राइबर के भवन में संस्थापित अन्य उपस्करों, जैसा भी मामला हो, के संबंध में कोई अनुप्रयोज्यनीयता नहीं होगी।

4.4 यदि एलसीओ अथवा एमएसओ, जैसा भी मामला हो, उक्त विनिर्धारित अवधि के अंदर ऐसी सम्पत्तियों अथवा परिसंपत्तियों को सौंपने अथवा उन्हें पहुंची हानि अथवा क्षति की भरपाई करने में सक्षम नहीं हो पाता है तो चूककर्ता पक्ष इसके मूल्यह्रासित मूल्य पर भारतीय स्टेट बैंक के आधारभूत ब्याज दर के दो प्रतिशत के ऊपर की साधारण ब्याज दर पर भुगतान करने हेतु बाध्य होगा।

5. सेवा को उपलब्ध कराया जाना

5.1 एमएसओ इस करार की शर्तों के अनुरूप संबंधित प्राधिकरणों के मौजूदा मानदण्डों, नीतियों, लागू कानूनों तथा नियमों और विनियमों, निदेशों तथा आदेशों के अनुरूप गैर–अनन्य आधार पर टेलीविजन चैनलों के सिग्नल उपलब्ध कराएगा ताकि इसे क्षेत्र के सब्सक्राईबरों को पुनः प्रसारित किया जा सके।

5.2 एलसीओ, एमएसओ को अपने नेटवर्क तक गैर–अनन्य आधार पर पहुंच उपलब्ध कराएगा ताकि एमएसओ द्वारा उपलब्ध कराए गए टेलीविजन सिग्नलों को क्षेत्र में सब्सक्राईबरों तक पहुंचाया जा सके।

5.3 दोनों पक्ष लागू कानूनों तथा विनियमों के अनुरूप कड़ाई से केवल डिजीटल एड्रेसेबल प्रणाली के माध्यम से ही कूटबद्ध पद्धति द्वारा ही किसी चैनल, विषयवस्तु अथवा कार्यक्रम का अनिवार्य रूप से प्रसारण, पुनःप्रसारण करेंगे अथवा उसे प्रणाली के माध्यम से संवाहित करेंगे।

5.4 सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु इस करार के पक्षों के कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व, इस करार के **खण्ड 10** में अंतर्विष्ट हैं।

5.5 इस करार के **खण्ड–10** में उल्लिखित कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों को ध्यान में रखते हुए एलसीओ तथा एमएसओ के बीच राजस्व निपटारे का इस करार में उल्लिखित **खण्ड–12** में उल्लेख किया गया है।

6. एमएसओ के अधिकार

6.1 इस करार के तहत, एमएसओ के पास केबल टेलीविजन सेवाओं को प्रदान करने के लिए उपयोग किये गए अपने नेटवर्क के स्वामित्व का अधिकार बरकरार रहेगा और वह संपूर्ण अथवा नेटवर्क के किसी भाग का विस्तार/उन्नयन/परिवर्तन/प्रतिस्थापन/पुनः डिजाइन कर सकता है, बशर्ते कि इस प्रकार के क्रियाकलाप से सब्सक्राइबर को उपलब्ध कराई जा रही सेवा की गुणवत्ता (क्यूओएस) बाधित न हो अथवा उसमें किसी प्रकार की गिरावट न हो।

6.2 एमएसओ संबंधित प्राधिकरणों के मौजूदा मानदण्डों, नीतियों, लागू कानूनों और नियमों, विनियमों, निदेशों तथा आदेशों के अनुरूप टेलीविजन चैनलों के पुनर्प्रसारण हेतु प्रसारकों के साथ अंतःसंयोजन करार पर हस्ताक्षर करेगा।

6.3 एमएसओ को लागू कानूनों तथा विनियमों के अध्यधीन सब्सक्राइबर द्वारा भुगतान किये जाने हेतु प्रत्येक चैनल के अधिकतम खुदरा मूल्य को अंतिमरूप से विनिर्दिष्ट करने का अधिकार होगा

6.4 एमएसओ को उसकी व्यापारिक योजना तथा लागू मानदण्डों, नीतियों तथा लागू कानूनों तथा नियमों, विनियमों और टैरिफ आदेशों के अनुरूप नेटवर्क पर पेशकश किये जा रहे चैनलों/सेवाओं को पैकेज के रूप में प्रदान करने का अधिकार होगा।

6.5 एमएसओ को समय–समय पर प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित लागू टैरिफ आदेश तथा विनियमों के उपबंधों के अनुपालन में बुनियादी सेवा टीयर (बीएसटी) की दरों को विनिर्दिष्ट करने का अधिकार होगा।

6.6 एमएसओ को प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित लागू टैरिफ आदेशों के उपबंधों के अनुपालन में चैनलों के बुके की दरों, यदि एमएसओ द्वारा पेशकश किए गए हों तो, को विनिर्दिष्ट करने का अधिकार होगा।

6.7 एमएसओ को करार तथा लागू आदेशों और विनियमों के तहत अपने उत्तरदायित्वों की पूर्ति के प्रयोजनार्थ एलसीओ से सभी अपेक्षित जानकारी प्राप्त करने का अधिकार होगा।

7. एलसीओ के अधिकार

7.1 इस करार के तहत, एलसीओ के पास केबल टेलीविजन सेवाओं को प्रदान करने के लिए उपयोग किये गए अपने नेटवर्क के स्वामित्व का अधिकार बरकरार रहेगा और वह संपूर्ण अथवा नेटवर्क के किसी भाग का विस्तार/उन्नयन/परिवर्तन/प्रतिस्थापन/पुनः डिजाईन कर सकता है, बशर्ते कि इस प्रकार के क्रियाकलाप से सब्सक्राइबर को अपने नेटवर्क पर उपलब्ध कराई जा रही सेवा की गुणवत्ता (क्यूओएस) बाधित न हो अथवा उसमें किसी प्रकार की अवनति न हो।

7.2 एलसीओ को करार तथा लागू आदेशों और विनियमों के तहत अपने उत्तरदायित्वों की पूर्ति के प्रयोजनार्थ एमएसओ से सभी अपेक्षित जानकारी प्राप्त करने का अधिकार होगा।

8. एमएसओ के दायित्व

8.1 एमएसओ चैनलों, बिलिंग साइकिलों अथवा प्रतिदायों हेतु व्यक्ति विशेष की प्राथमिकता को दर्ज कर तथा उपलब्ध करवाकर कार्यक्षम तथा त्रुटिमुक्त सेवाएं सुनिश्चित करने के लिये हेड–एंड, कन्डीशनल एक्सेस सिस्टम (सीएएस) तथा सब्सक्राइबर प्रबंधन प्रणाली (एसएमएस) को स्थापित करेगा तथा चालू करेगा।

8.2 एमएसओ, सब्सक्राइबर को पेशकश किए जाने वाले चैनलों, चैनलों के बुके, सब्सक्राइबर को पेशकश की जाने वाली सेवाओं के ब्यौरे के संबंध में आवश्यक तथा पर्याप्त जानकारी एलसीओ को उपलब्ध कराएगा।

8.3 एमएसओ सेवाएं उपलब्ध कराने, कर्तव्य और उत्तरदायित्व, राजस्व निपटान तथा सेवा की गुणवत्ता आदि के संबंध में एलसीओ की शिकायतों के निपटान हेतु वेब आधारित शिकायत निपटान प्रणाली उपलब्ध करवाएगा।

8.4 एमएसओ, पहले से सक्रिय एसटीबी जारी नहीं करेगा तथा उपभोक्ता आवेदन प्ररूप (सीएएफ) के ब्यौरे की सब्सक्राइबर प्रबंधन प्रणाली में प्रविष्टि करने के बाद ही एसटीबी को सक्रिय करेगा।

8.5 एमएसओ, देय प्रभारों पर प्रत्येक माह के लिये भुगतान किये जाने वाले प्रभारों अथवा प्रत्येक सब्सक्राइबर के लिये बिलिंग साइकिल के अनुसार बिलिंग साइकिल के समाप्त होने के तीन दिनों के अंदर नियमित आधार पर सब्सक्राइबरों के लिये बिलों को तैयार करेगा।

8.6 एमएसओ, करार तथा लागू आदेशों और विनियमों के तहत पक्षों द्वारा उत्तरदायित्वों के वहन के प्रयोजनार्थ अपने नियंत्रणाधीन एसएमएस के संगत भाग तक एलसीओ को एक्सेस उपलब्ध कराएगा।

8.7 एमएसओ पायरेसी अथवा ऐसे अन्य क्रियाकलापों में संलिप्त नहीं होगा, जिसके प्रभाव से और जिसके परिणामस्वरूप एलसीओ अथवा ऐसे प्रसारण से संबद्ध व्यक्तियों के ट्रेडमार्क अथवा प्रतिलिप्याधिकार का उल्लंघन अथवा अतिलंघन हो।

8.8 एमएसओ वर्तमान में लागू सभी संविधि अथवा कानूनों, अथवा वर्तमान में लागू किसी कानून के तहत जारी, प्रकाशित अथवा परिचालित किन्ही नियमों, संहिता, विनियमों, अधिसूचनाओं, परिपत्रों, दिशानिर्देशों, आदेशों, निदेशों आदि का अनुपालन करेगा।

8.9 एमएसओ ऐसा कोई कार्य अथवा कृत्य नहीं करेगा, जिसके परिणामस्वरूप इस करार के तहत केबल टेलीविजन सिग्नल के संबंध में एलसीओ के किसी अधिकार अथवा हित अथवा एलसीओ की किसी संपत्ति का अतिउलंघन हो अथवा उस पर प्रतिकूल पड़े।

8.10 एमएसओ संपूर्ण सिग्नल को सब्सक्राइबर के भवन में संस्थापित एसटीबी तक कूटबद्ध करने के लिए उत्तरदायी होगा।

8.11 एमएसओ, एलसीओ को तीन माह का अग्रिम नोटिस दिए बिना टेलीविजन चैनलों के सिग्नलों को बंद नहीं करेगा तथा अंतःसयोजन विनियमों में यथा परिकिल्पत, प्रस्तावित सेवाओं को बंद करने के कारणों का स्पष्ट रूप से उल्लेख करेगा।

8.12 एमएसओ, सब्सक्राइबर हेतु ऑनलाइन भुगतान गेटवे, पूर्व भुगतान प्रणालियां तथा सब्सक्राइबर से भुगतान की प्राप्ति होने पर इलेक्ट्रॉनिक पावती हेतु सुविधा उपलब्ध करायेगा।

8.13 एमएसओ, एलसीओ को अनुरक्षण हेतु पहले से सक्रिय नहीं किए गए अतिरिक्त एसटीबी के रूप में अधिकतम 30 एसटीबी की अधिकतम सीमा के साथ उसके नेटवर्क पर सक्रिय कुल एसटीबी के कम से कम 2 प्रतिशत एसटीबी उपलब्ध कराएगा ताकि एसटीबी में किसी खराबी के कारण प्रभावित सेवाओं को त्वरित रूप बहाल किया जा सके। करार की अवधि के दौरान, अनुरक्षण हेतु अतिरिक्त एसटीबी की संख्या को बनाए रखा जाएगा।

8.14 एमएसओ, एलसीओ को पैकेज की संरचना अथवा सब्सक्राईबरों को पेशकश किए जा रहे खुदरा टैरिफ में प्रस्तावित परिवर्तनों के संबंध में कम से कम 15 दिन पहले जानकारी देगा।

8.15 एलसीओ की पूर्व सहमति के बिना एमएसओ को इस करार के तहत अपने किन्हीं अधिकारों अथवा दायित्वों को समनुदेशित करने अथवा अंतरण करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

9. एलसीओ के दायित्व

9.1 एलसीओ सब्सक्राइबरों से प्राप्त उपभोक्ता आवेदन प्ररूप (सीएएफ) की प्रति को 15 दिनों के अंदर एमएसओ को सौंपेगा।

9.2 एलसीओ, प्रत्येक सब्सक्राइबर द्वारा केबल टेलीविजन सेवाओं के लिए एलसीओ को भुगतान की गई बिल राशि के ब्यौरे को एसएमएस में प्रविष्टि करने के लिए उत्तरदायी होगा।

9.3 एलसीओ पायरेसी अथवा ऐसे अन्य क्रियाकलापों में संलिप्त नहीं होगा, जिसके प्रभाव से और जिसके परिणामस्वरूप एमएसओ अथवा ऐसे प्रसारण से संबद्ध व्यक्तियों के ट्रेडमार्क अथवा प्रतिलिप्याधिकार का उल्लंघन अथवा अतिलंघन हो।

9.4 एमएसओ की पूर्व सहमति के बिना एलसीओ को इस करार के तहत अपने किन्हीं अधिकारों अथवा दायित्वों को समनुदेशित करने अथवा अंतरण करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

9.5 एलसीओ सब्सक्राइबर से मौजूदा कनेक्शनों हेतु कनेक्शन काटने के आवेदन के माध्यम से तथा नए कनेक्शन के मामले में उपभोक्ता आवेदन प्ररूप के माध्यम से अनुरोध प्राप्त किए बिना एमएसओ के एसटीबी को किसी अन्य एमएसओ के एसटीबी से प्रतिस्थापित नहीं करेगा। नए सेट—टॉप बाक्स को नए उपभोक्ता आवेदन प्ररूप में दिए गए ब्योरे की नए एमएसओ के सब्सक्राइबर प्रबंधन प्रणाली में प्रविष्टि के पश्चात् ही सक्रिय किया जाएगा।

9.6 **एलसीओ :—**

(i) एमएसओ द्वारा बिना उसकी पूर्व सहमति के ऐसे किसी सिग्नल को प्रसारित, पुनर्प्रसारित नहीं करेगा, सिग्नलों के बीच में डालेगा अथवा आपस में नहीं मिलाएगा;

(ii) एमएसओ द्वारा प्रसारित किसी सिग्नल पर किसी वाणिज्यिक जानकारी अथवा विज्ञापन अथवा सूचना को नहीं डालेगा। इस प्रकार सिग्नल से की गई छेड़छाड़ अथवा सिग्नलों के बीच में किसी सूचना को डाले जाने को इस करार का उल्लंघन माना जाएगा तथा यह एमएसओ को कानून अथवा इस करार के तहत विहित ऐसा नोटिस देकर इस करार को समाप्त किये जाने का पर्याप्त आधार माना जाएगा।

(iii) एमएसओ द्वारा उपलब्ध कराए गए सिग्नलों में किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं करेगा साथ ही कोई डिकोडिंग, सिग्नल प्राप्त करन और रिकॉर्ड करने के उपस्कर(रों), नकली सेट टॉप बॉक्स अथवा स्मार्ट कार्ड अथवा ऐसे ही अन्य उपकरणों का उपयोग नहीं करेगा।

(iv) एमएसओ की लिखित अनुमति के बिना सील सहित हार्डवेयर में छेड़छाड़ अथवा फेर–बदल (सेट टॉप बॉक्स को नहीं खोलने के लिए लगाई गई सील) नहीं करेगा और स्मार्ट कार्ड अथवा सेट टॉप बॉक्स का दुरुपयोग नहीं करेगा, पुर्नस्थापन नहीं करेगा, नहीं हटायेगा अथवा अन्यत्र शिफ्ट नहीं करेगा, उन्हें उनके संबंधित मूल पते से नहीं हटायेगा।

(v) सेट टॉप बॉक्स की संस्थापना से पूर्व अथवा उसके पश्चात् एमएसओ द्वारा आपूर्ति किये गये/अनुमोदित सेट टॉप बॉक्स, स्मार्ट कार्ड तथा किसी अन्य उपकरण के अलावा कोई डिकोडिंग, सिग्नल प्राप्त करने वाले, रिकार्डिंग उपकरण(णों), नकली सेट टॉप बॉक्स(सों), स्मार्ट कार्ड(डों) का उपयोग नहीं करेगा तथा ऐसे सब्सक्राइबर के विरुद्ध एमएसओ द्वारा विनिर्दिष्ट कार्रवाई करेगा।

(vi) एमएसओ की लिखित अनुमति के बिना संबंधित मूल पतों से सील सहित हार्डवेयर में छेड़छाड़, उनमें फेरबदल, दुरुपयोग, पुर्नस्थापन तथा स्मार्ट कार्ड और सेट टॉप बॉक्स को हटाये जाने तथा अन्यत्र ले जाये जाने और उपयोग के संबंध में तुरंत जानकारी देगा तथा सेट टॉप बॉक्स से पहले अथवा उसके बाद किसी डिकोडिंग, सिग्नल प्राप्त करने वाले, रिकॉर्डिंग, उपस्कर(रों) नकली सेट टॉप बॉक्स(सों) तथा एमएसओ द्वारा आपूर्ति किये गये हार्डवेयर के अलावा किसी अन्य स्मार्ट कार्ड(डों), सेट टॉप बॉक्स(सों), स्मार्ट कार्ड(डों) के अलावा उपयोग किये जा रहे अन्य संस्थापित मद की जानकारी देगा तथा ऐसे सब्सक्राइबर के विरूद्ध एमएसओ द्वारा निर्देशित कार्रवाई करेगा।

9.7 एलसीओ केबल टेलीविजन सिग्नलों के आगे पुनर्प्रसारण हेतु किसी कंपनी को कनेक्शन उपलब्ध नहीं करवायेगा।

9.8 एलसीओ न ही केबल टेलीविजन सिग्नलों को रिकॉर्ड करेगा और तत्पश्चात् उनका पुनर्प्रसारण करेगा अथवा एमएसओ द्वारा प्रसारित किये जा रहे सिग्नलों अथवा ट्रंक लाइन को ब्लॉक करेगा अथवा उनमें परिवर्धन अथवा पुर्नस्थापन अथवा उनके साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा और न ही किसी व्यक्ति को ऐसा करने देगा।

9.9 एलसीओ ऐसा कोई कार्य अथवा कृत्य नहीं करेगा, जिसके परिणामस्वरूप इस करार के तहत केबल टेलीविजन सिग्नल के संबंध में एमएसओ के किसी अधिकार अथवा हित अथवा एमएसओ की किसी संपत्ति का अति–उलंघन हो अथवा उस पर प्रतिकूल पड़े।

9.10 एलसीओ इस करार, लागू आदेशों और विनियमों के तहत पक्षों द्वारा उत्तरदायित्वों को पूर्ण किये जाने के प्रयोजनार्थ एमएसओ के नियंत्रणाधीन प्रणालियों तक पहुंच उपलब्ध करायेगा।

9.11 एलसीओ, एमसीओ को तीन सप्ताह का अग्रिम नोटिस दिए बिना टेलीविजन चैनलों के सिग्नलों को बंद नहीं करेगा, जिसमें वह दूरसंचार (प्रसारण तथा केबल टेलीविजन सेवाएं) अंतःसयोजन (डिजिटल एड्रेसेबल केबल टेलीविजन प्रणालियां) विनियम, 2012 में यथा परिकिल्पत, प्रस्तावित सेवाओं को बंद करने के कारणों का स्पष्ट रूप से उल्लेख करेगा।

10. एमएसओ तथा एलसीओ के कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व :

क्रम सं.	कर्त्तव्य	पक्षों द्वारा आपस में सहमति के आधार पर एमएसओ अथवा एलसीओ के उत्तरदायित्व – *कृपया तदनुसार स्थान भरिए*	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	सब्सक्राइबर द्वारा सेट टॉप बॉक्स (एसटीबी) प्राप्त करने तथा वापस करने हेतु योजनाओं का प्रकाशन तथा तत्संबंधी वारंटी/मरम्मत की नीति		
2.	सेवा की गुणवत्ता विनियमों की अनुसूची–I में यथा विनिर्दिष्ट आवेदनों के प्ररूप का निर्धारण करना ताकि केबल टेलीविजन सेवाओं हेतु कनेक्शन प्राप्त किया जा सके, सेवा बंद की जा सके, पुनः कनेक्शन प्राप्त किया जा सके, कनेक्शन को अन्यत्र ले जाया जा सके तथा शिफ्टिंग की जा सके;		
3.	पद्धति नियम पुस्तिका (एमओपी) का प्रकाशन		
4.	उपभोक्ता चार्टर का प्रकाशन		
5.	वेबसाइटों की स्थापना करना, जिनमें सेवा से संबंधित जानकारी अंतर्विष्ट हो, शिकायत केन्द्र से संबंधित ब्यौरा, शिकायत निवारण प्रणाली, शिकायत निगरानी प्रणाली, नागरिक चार्टर, नोडल अधिकारी आदि से जुड़ी जानकारी अंतर्विष्ट हो।		
6.	(क) निम्न हेतु शिकायत केन्द्र की स्थापना करना :–		यदि यह उत्तदायित्व एमएसओ को दिया जाता है तो एमएसओ, एलसीओ को शिकायत केन्द्र का ब्यौरा उपलब्ध करायेगा

	(i) सब्सक्राइबर के सेवा अनुरोधों का समाधान करना, (ii) सब्सक्राइबर की शिकायतों का निपटान (ख) वेब आधारित शिकायत निगरानी प्रणाली की स्थापना। (ग) निशुल्क उपभोक्ता देखभाल नम्बर उपलब्ध कराना तथा उसका प्रचार। (घ) उपभोक्ताओं द्वारा दायर की गई सभी शिकायतों का शिकायत निवारण विनियम में यथा उपबंध का रखरखाव करना।		ताकि सब्सक्राइबर को आगे उसकी जानकारी प्रदान की जा सके।
7.	सेवा में व्यवधान के कारण सब्सक्राइबर को छूट तथा कटौती प्रणाली को विनिर्दिष्ट करना तथा ऐसी योजना के बारे में जागरूकता पैदा करना।		
8.	(क) सब्सक्राइबर को एसटीबी प्राप्त करने तथा वापस करने हेतु जानकारी उपलब्ध कराना तथा तत्सबंधी लागू वारंटी/मरम्मत की नीति के बारे में जानकारी देना। (ख) आवेदकों/सब्सक्राइबर को एमओपी सहित आवेदन प्ररूप उपलब्ध कराना; और (ग) आवेदकों/सब्सक्राइबर से निम्न हेतु आवेदन प्ररूप प्राप्त करना :– (i) केबल टेलीविजन सेवाओं के कनेक्शन, पुनर्कनेक्शन, अतंरण तथा शिफ्टिंग; (ii) सेट टॉप बॉक्स को प्राप्त		जिस पक्ष को यह उत्तरदायित्व सौंपा गया है वह प्रत्येक मामले में आवेदन प्राप्त होने से 24 घंटे के अंदर सब्सक्राइबर प्रबंधन प्रणाली (एसएमएस) में जानकारी को अद्यतन करेगा।

	करने तथा वापस करने हेतु; (घ) आवेदन प्रारूप की नकली प्रति को आवेदन की प्राप्ति की पावती स्वरूप आवेदक/सब्सक्राइबर को वापस करना। (ड.) आवेदन प्राप्त होने के 02 दिनों के अंदर आवेदन प्रारूप में कमियों और त्रुटियों के संबंध में आवेदक को लिखित में जानकारी देना। (च) जहां आवेदक द्वारा कतिपय सेवाओं के संबंध में अनुरोध किया गया हो तथा कनेक्शन उपलब्ध कराना, पुनर्कनेक्शन उपलब्ध कराना, सेवा को अन्यत्र शिफ्ट करना अथवा सेट टॉप बॉक्स को अन्य स्थान पर ले जाना तकनीकी तथा प्रचालनात्मक रूप से व्यवहारिक न हो तो आवेदक को तकनीकी अथवा प्रचालनात्मक अव्यवहार्यता के बारे में आवेदन किये जाने के दो दिनों के भीतर जानकारी देना।		
9.	आवेदक हेतु यूनिक पहचान संख्या (यूआईएन) जारी करना		एसएमएस से यूआईएन का सृजन किया जायेगा। यदि एलसीओ को उत्तरदायित्व सौंपा जाता है तो एमएसओ द्वारा एसएमएस के संगत भाग तक एलसीओ को पहुंच उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
10.	सब्सक्राइबर के भवन में एसटीबी की संस्थापना तथा एसएमएस द्वारा उसे सक्रिय किया जाना		यदि एलसीओ को उत्तरदायित्व सौंपा जाता है तो एमएसओ को एसटीबी को सक्रिय करने के लिए एसएमएस के संगत भाग तक पहुंच उपलब्ध करानी चाहिए।
11.	एसटीबी की संस्थापना तथा सक्रिय किए जाने में विलंब हेतु सब्सक्राइबर को छूट प्रदान करना		

12.	केबल सेवा को बंद करने अथवा कनेक्शन समाप्त करने के संबंध में 15 दिनों का अंतिम नोटिस जारी करना जिसमें सेवाओं को इस प्रकार बंद करने, कनेक्शन समाप्त करने के कारणों को दर्शाया गया हो।		
13.	सेवा को एसएमएस के माध्यम से बंद करने अथवा कनेक्शन समाप्त करने के लिए सब्सक्राइबर से अनुरोध की प्राप्ति		
14.	सब्सक्राइबर से सब्सक्रिप्शन पेकेज में परिवर्तन करने हेतु अनुरोध प्राप्त होने पर एसएमएस के माध्यम से इसका निष्पादन		
15.	निरोधात्मक रखरखाव हेतु सिग्नलों को बंद किये जाने के संबंध में सब्सक्राइबर को नोटिस		
16.	सेवा की गुणवत्ता विनियमों के मानकों के अनुरूप उपभोक्ता शिकायतों का निपटान		पक्षों को प्राप्त शिकायतों को तुरंत वेब आधारित शिकायत निगरानी प्रणाली में अद्यतन किया जाएगा ताकि पक्षों द्वारा समय पर अनिवार्य उपचारात्मक कार्रवाई की जा सके तथा इनकी शिकायतकर्ता द्वारा निगरानी की जा सके।
17.	सेवा की गुणवत्ता के मानदण्डों के अनुरूप उपभोक्ता की शिकायत का निपटानः– (i) 'सिग्नल नहीं है' से संबंधित; (ii) 'एसटीबी' से संबंधित; (iii) सब्सक्राइबर के बिलिंग तथा प्राप्तियों से संबंधित; (iv) कोई अन्य शिकायत।		एलसीओ द्वारा जिन शिकायतों का समाधान किया जाएगा, उन्हें वेब आधारित शिकायत निगरानी प्रणाली में अद्यतन किया जाएगा।
18.	उपभोक्ता शिकायत निवारण		

	विनियम के उपबंधों के अनुरूप नोडल अधिकारी का पदनाम		
19.	प्राधिकरण से प्राप्त शिकायतों के समाधान के बारे में सब्सक्राइबर को जानकारी		
20.	सिस्टम द्वारा तैयार किये गये मदवार बिल का प्रकाशन तथा उन्हें सब्सक्राइबर तक पहुंचाया जाना		
21.	सब्सक्राइबर तक भुगतान रसीदों को पहुंचाया जाना		
22.	सब्सक्राइबर को इलेक्ट्रॉनिक पावती देना		
23.	छह माह की अवधि के अंदर किसी भी अवधि के लिए प्रीपेड बिलों के मामले में सेवा के वास्तविक उपयोग को दर्शाने वाले मद–वार उपयोग से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराना		एलसीओ को प्राप्त जानकारी को तुरंत एसएमएस में अद्यतन किया जाएगा ताकि एमएसओ समय से सब्सक्राइबर को अपेक्षित ब्यौरा उपलब्ध करवा सके।
24.	सरकार को करों का भुगतान	**एमएसओ और/अथवा एलसीओ**	कर भुगतान उत्तरदायित्वों से संबंधित विशिष्ट ब्यौरे को करार पर हस्ताक्षर किये जाने के समय संबंधित कर प्राधिकरणों के नियमों तथा विनियमों के अनुसार साथ वाले स्थान में भरे जाने की आवश्यकता है।

नोटः– उपर्युक्त कॉलम संख्या (2) में उल्लिखित विभिन्न कर्त्तव्यों के उत्तरदायित्वों के संबंध में दोनों पक्ष आपस में सहमति बना सकते हैं और तदनुसार कॉलम संख्या (3) भरा जाए।

11. बिलिंग

11.1 सब्सक्राईबर हेतु _____ के नाम पर बिलिंग की जाएगी। तथापि, प्रत्येक पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि करों से संबंधित लागू कानून, नियम तथा विनियमों का अनुपालन किया जाए।

11.2 पक्ष, जिसके नाम पर, उपरोक्त खंड 11.1 में सब्सक्राइबर हेतु बिलिंग करने की सहमति हुई है, सब्सक्राइबरों द्वारा दिया गया सब्सक्रिप्शन फीस को ग्रहण करेगा। राजस्व हिस्सा, इस समझौते के खंड 12.1 के अनुसार, यह पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष से बीजक मिलने पर, दूसरे पक्ष को देगा।

12. एलसीओ तथा एमएसओ के बीच राजस्व निपटारा तथा संबंधित अधिकार और दायित्व

12.1 एलसीओ तथा एमएसओ के बीच निम्नानुसार राजस्व निपटारा किया जाएगाः–

(क) मूलभूत सेवा टीयर, फ्री–टु–एयर तथा फ्री–टु–एयर चैनलों के बुके के चैनलों के सब्सक्रिप्शन से संग्रहित प्रभार को एमएसओ तथा एलसीओ के बीच क्रमशः _____: _____ अनुपात में बांटा जाएगा।

(ख) खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट चेनलों अथवा चैनलों के बुके अथवा चैनलों तथा चैनलों के बुके से संग्रहित प्रभार एमएसओ तथा एलसीओ के बीच क्रमशः _____: _____, अनुपात में बांटा जाएगा।

नोटः–

आपसी सहमति के आधार पर करार के उन मामलों के लिए जहां एमएसओ तथा एलसीओ के कर्तव्य तथा उत्तरदायित्वों पर कालम (3) तथा खण्ड (10) के अनुसार सहमति है, इस खण्ड में आपसी करार के आधार पर उपर्युक्त रूप से संशोधन किया जा सकता है।

12.2*

(जब सब्सक्राइबर बिल एलसीओ के नाम पर हो और एलसीओ सब्सक्राइबर से सब्सक्रिप्शन फीस प्राप्त करता है।)

एमएसओ, एलसीओ द्वारा देय राशि के लिए, एलसीओ को मासिक बीजक जारी करेगा तथा ऐसे बीजक में स्पष्ट रूप से वर्तमान भुगतान देय तथा बकाया, यदि कोई हो तो, के साथ–साथ भुगतान की देय राशि का उल्लेख किया जाएगा जो कि सात दिनों से कम नहीं होगी। बकाया राशि हेतु किसी भी मांग के साथ उस अवधि हेतु बीजकों को भेजे जाने का प्रमाण भी संलग्न किया जाए। विवरणों/बीजकों के अनुसार बिल की गई सभी राशियों का भुगतान उसमें उल्लिखित देय राशि की तिथि अथवा उससे पूर्व किया जाएगा।

अथवा

12.2*

(जब सब्सक्राइबर बिल एमएसओ के नाम पर हो और एमएसओ सब्सक्राइबर से सब्सक्रिप्शन फीस प्राप्त करता है।)

एमएसओ एलसीओ को सब्सक्राइबर बिल और भुगतान से संबंधित सारी जानकारी एलसीओ को प्रदान करेगा। एलसीओ, एमएसओ द्वारा देय राशि के लिए, एमएसओ को मासिक बीजक जारी करेगा तथा ऐसे बीजक में स्पष्ट रूप से वर्तमान भुगतान देय तथा बकाया, यदि कोई हो तो, के साथ–साथ भुगतान की देय राशि का उल्लेख किया जाएगा जो कि सात दिनों से कम नहीं होगी। बकाया राशि हेतु किसी भी मांग के साथ उस अवधि हेतु बीजकों को भेजे जाने का प्रमाण भी संलग्न किया जाए। विवरणों/बीजकों के अनुसार बिल की गई सभी राशियों का भुगतान उसमें उल्लिखित देय राशि की तिथि अथवा उससे पूर्व किया जाएगा।

(*प्रत्येक करार पर हस्ताक्षर किए जाने के समय जो लागू न हो उसे काट दें)

12.3 संबद्ध पक्ष सब्सक्राइबर से वसूली गई सब्सक्रिप्शन राशि के ब्यौरे को देय तिथि से 7 दिन के अंदर सब्सक्राइबर प्रबंधन प्रणाली में अद्यतन करेंगे।

13. भुगतान में चूक

13.1 इस करार के उपबंधों अथवा कानून के तहत दोनों पक्षों को प्राप्त ऐसे अधिकारों तथा उपचार पर बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले, एमएसओ अथवा एलसीओ द्वारा देय राशि की संबंधित अंतिम तिथि अथवा उससे पूर्व भुगतान में विलम्ब अथवा भुगतान नहीं किए जाने पर एमएसओ अथवा एलसीओ, जैसा भी मामला हो, को अधिकार होगा कि वहः—

(i) सक्षम प्राधिकरण के लागू नियमों, विनियमों निदेशों अथवा आदेशों के अनुपालन के अधीन सेवाओं को बंद कर दे;

(ii) लागू कानूनों के अनुपालन के अधीन इस करार को समाप्त कर दे।

(iii) जिस तिथि को ऐसी राशि देय हो जाती है, उससे लेकर जिस तिथि तक राशि का वास्तव में भुगतान कर दिया जाता है, तक भारतीय स्टेट बैंक के आधारभूत ब्याज की दर में दो प्रतिशत जोड़कर साधारण ब्याज दर के अनुसार विलम्बित भुगतान की वसूली करे।

13.2 उस स्थिति में जब कोई पक्ष ने विगत में लगातार तीन माह तक भुगतान करने में चूक की हो तो दूसरे पक्ष को ब्याज मुक्त जमा राशि की मांग करने का अधिकार होगा जो कि बीते 6 माह की बिलिंग राशि कुल औसत राशि से अधिक नहीं होगा जिसे करार की शेष अवधि के लिए बनाए रखा जाएगा।

13.3 उपर्युक्त खण्ड 13.1 में यथा उल्लिखित सेवा को समाप्त किए जाने पर, चाहे वह इस करार के समाप्त किए जाने पर की गई हो, अथवा नहीं, चूककर्ता पक्ष को भविष्य में उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली संपूर्ण राशि को जमा करना होगा। करार को समाप्त किए जाने पर तीस दिनों के अंदर लेखा जोखा का निपटान किया जाएगा तथा किसी भी पक्ष द्वारा विलम्ब से किए जाने वाले भुगतान के लिए दूसरे पक्ष द्वारा भारतीय स्टेट बैंक के आधारभूत ब्याज दर के ऊपर दो प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज का भुगतान किया जाएगा।

14. वचन

14.1 प्रत्येक पक्ष, दूसरे पक्ष के स्वामित्व तथा उसके द्वारा संस्थापित सम्पत्ति के विशिष्ट स्वामित्व को मान्यता देगा तथा उस पर, उसका किसी भी स्वरूप का कोई अधिकार, दावा अथवा हित अथवा किसी भी स्वरूप का ग्रहणाधिकार नहीं होगा।

14.2 इस करार में अंतर्विष्ट किसी भी शर्त से कोई भी पक्ष किसी भी प्रयोजनार्थ दूसरे पक्ष का एजेन्ट अथवा भागीदार अथवा प्रतिनिधि नहीं बनेगा और किसी भी पक्ष को किसी अन्य पक्ष के नाम पर अथवा उसकी ओर से किसी भी प्रकार की देयताएं अथवा दायित्व, स्पष्ट अथवा अभिप्रेत, को ग्रहण करने, सृजन करने अथवा वहन करने का कोई अधिकार होगा तथा एमएसओ और एलसीओ के बीच संबंध, प्रधान से प्रधान आधार पर होगा।

14.3 दोनों पक्षों द्वारा यह स्पष्ट रूप से समझ लिया गया है कि ''_____'' लोगो (चिह्न), एमएसओ का पंजीकृत ट्रेडमार्क है तथा एलसीओ इस लोगो (चिह्न) का उपयोग, इस करार की अवधि के दौरान एमएसओ के केबल टेलीविजन नेटवर्किंग व्यापार के लाभ के लिए करेगा। एतद्द्वारा, एमएसओ द्वारा एलसीओ को उक्त लोगो

(चिह्न) के उपयोग हेतु केबल के व्यापार के संबंध में तथा उक्त सीमा तक उपयोग करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

14.4 दोनों पक्षों द्वारा यह स्पष्ट रूप से समझ लिया गया है कि ''_____'' लोगो (चिह्न), एलसीओ का पंजीकृत ट्रेडमार्क है तथा एमएसओ इस लोगो (चिह्न) का उपयोग, इस करार की अवधि के दौरान एलसीओ के केबल टेलीविजन नेटवर्किंग व्यापार के लाभ के लिए करेगा। एतद्द्वारा, एलसीओ द्वारा एमएसओ को उक्त लोगो (चिह्न) के उपयोग हेतु केबल के व्यापार के संबंध में तथा उक्त सीमा तक उपयोग करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

14.5 प्रत्येक पक्ष द्वारा यह स्पष्ट रूप से समझ लिया गया है तथा स्वीकार किया जाता है कि उसकी अपनी केबल टेलीविजन सेवा हेतु अथवा दूसरे पक्ष द्वारा सहमति वापस लिए जाने के बाद दूसरे पक्ष की किसी बौद्धिक सम्पत्ति का उपयोग करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

14.6 यदि एलसीओ तथा एमएसओ, जैसा भी मामला हो, किसी अन्य पक्ष/व्यक्ति (तृतीय पक्ष) को संपूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से केबल टेलीविजन सेवा उपलब्ध कराने के इसके व्यापार में अपने हित का अंतरण करने का निर्णय लेता है तो एलसीओ अथवा एमएसओ, जैसा भी मामला हो, वह एलसीओ अथवा एमएसओ को पूर्व नोटिस देगा। पक्षों को इस प्रकार से अंतरण पर कोई आपत्ति नहीं होगी, यदि दूसरे पक्ष ने इस संविदा के तहत अपने दायित्वों का अनुपालन किया है तथा अपनी सभी देयताओं का भुगतान किया है।

बशर्ते कि, तथापि, ऐसा तृतीय पक्ष इस करार तथा अन्य वचन/बंधपत्रों की निबंधन और शर्तों के पालन करने के संबंध में एक अनुपालना विलेख को एमएसओ तथा एलसीओ, जैसा भी मामला हो, के संपूर्ण रूप से संतुष्ट होने तक हस्ताक्षर करेगा तथा निष्पादित करेगा ताकि इस करार के उपबंधों को प्रभावी बनाया जा सके।

14.7 एलसीओ को अपने डाक पंजीकरण प्रमाण पत्र को केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियम) अधिनियम, 1995 के अनुरूप नवीकृत बनाए रखना चाहिए ताकि डाक प्राधिकरण द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र की निबंधन और शर्तों का अनुपालन किया जा सके।

14.8 एमएसओ को केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियम) अधिनियम, 1995 के अनुरूप समय–समय पर अपने पंजीकरण प्रमाण पत्र, को नवीकृत करके रखना चाहिए ताकि पंजीकरण की निबंधन और शर्तों का अनुपालन किया जा सके।

14.9 दोनो पक्ष केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994, समय–समय पर यथा संशोधित, में विहित कार्यक्रम संहिता तथा विज्ञापन संहिता का अनुपालन करेंगे।

14.10 दोनों पक्ष, देश में वर्तमान में लागू कानूनों, जो उन पर लागू हों, का अनुपालन करेंगे।

15. पायरेसी की रोकथाम

15.1 दोनों पक्ष न तो स्वयं पायरेसी अथवा हार्डवेयर अथवा तत्संबंधी किसी घटक में उपयोग की जाने वाली रिवर्स इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी में संलिप्त होंगे न ही किसी व्यक्ति को ऐसा करने देंगे, न ही वे इससे सृजित सिग्नलों के पुनर्प्रसारण हेतु एक मिनी हेड–एंड की स्थापना हेतु किसी उपकरण से जोड़े जाने वाले हार्डवेयर का उपयोग करेंगे।

15.2 किसी भी सब्सक्राइबर को किसी प्रकार से पायरेसी को बढ़ावा देते हुए पाये जाने पर को एमएसओ अथवा एलसीओ, जैसा भी मामला हो, द्वारा विधिवत् रूप से नोटिस देकर उसकी सेवाएं बंद कर दी जाएगी।

16. दावा परित्याग तथा क्षतिपूर्ति

16.1 किसी भी स्थिति में एमएसओ, एमएसओ के किसी कृत्य के कारण, किसी कार्यक्रम अथवा जानकारी के वचन के परिणामस्वरूप किसी प्रत्यक्ष अथवा परिणामी क्षति अथवा हानि अथवा सेवा में व्यवधान अथवा बाधा अथवा बंद किये जाने के संबंध में किसी प्रकार की असुविधा, निराशा के परिणामस्वरूप होने वाले किसी प्रत्यक्ष, विशेष, अनुषंगी अथवा परिणामी क्षति के लिए एलसीओ के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा।

16.2 किसी भी स्थिति में एलसीओ, एलसीओ के किसी कृत्य के कारण किसी कार्यक्रम अथवा जानकारी के वचन के परिणामस्वरूप किसी प्रत्यक्ष अथवा परिणामी क्षति अथवा हानि अथवा सेवा में व्यवधान अथवा बाधा अथवा बंद किये जाने के संबंध में किसी प्रकार की असुविधा, निराशा के परिणामस्वरूप होने वाले किसी प्रत्यक्ष, विशेष, अनुषंगी अथवा परिणामी क्षति के लिए एमएसओ के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा।

16.3 एलसीओ किसी तृतीय पक्ष अथवा किसी सब्सक्राइबर से किसी असुविधा, हानि अथवा एलसीओ की किसी चूक के कारण उन्हें पहुंचे क्षोभ अथवा एलसीओ की चूक के कारण करार के समाप्त होने अथवा सेवा के बंद होने के परिणामस्वरूप किसी दावे, कार्रवाई, कार्यवाहियों के लिये सभी लागत, व्यय तथा नुकसान के लिए एमएसओ की क्षतिपूर्ति करेगा।

16.4 एमसीओ किसी तृतीय पक्ष अथवा किसी सब्सक्राइबर से किसी असुविधा, हानि अथवा एमएसओ की किसी चूक के कारण उन्हें पहुंचे क्षोभ अथवा एमएसओ की चूक के कारण करार के समाप्त होने अथवा सेवा के बंद होने के परिणामस्वरूप किसी दावे, कार्रवाई, कार्यवाहियों के लिये सभी लागत, व्यय तथा नुकसान के लिए एलसीओ की क्षतिपूर्ति करेगा।

17. शासी विधि तथा विवाद निपटान

17.1 भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 द्वारा यथा अधिदेशित दोनों पक्ष, इस करार के परिणामस्वरूप पक्षों के बीच किसी दावे विवाद, अथवा मतभेद के संबंध में दूरसंचार विवाद निपटारा तथा अपीलीय अधिकरण, नई दिल्ली (**"टीडीसेट"**) के अलावा किसी अन्य न्यायालय अथवा न्यायिक अधिकरण/भारत में प्राधिकरण में कोई वाद दायर नहीं करेंगे अथवा व्यादेश अथवा अंतरिम आदेश प्राप्त नहीं करेंगे। दोनों पक्ष सहमत हैं कि पक्षों के बीच सभी विवादों को केवल टीडीसेट के समक्ष कार्यवाहियां दायर कर ही सुलझाया जायेगा।

18. अपरिहार्य घटना

18.1 एमएसओ अथवा एलसीओ द्वारा उनके किन्हीं दायित्वों के निर्वहन में असफल रहने पर, दूसरा पक्ष, अन्य पक्ष पर कोई दावा करने का हकदार नहीं होगा अथवा इसे इस करार का उल्लंघन नहीं माना जाएगा बशर्ते कि इस प्रकार की असफलता अपरिहार्य घटना के परिणामस्वरूप हुई हो। यदि अपरिहार्य घटना के माध्यम से इस करार में दी गई शर्तों के परिणामस्वरूप दायित्वों के निर्वहन में विलंब हो जाता है तो, ऐसे विलम्ब की अवधि को इस करार द्वारा विहित अवधि के परिकलन हेतु विचार नहीं किया जाएगा। अपरिहार्य घटना में ईश्वरीय कृत्य, भूकंप, ज्वार, तूफान, बाढ़, तड़ित, विस्फोट, आग लगना, तोड़—फोड़, संगरोध, महामारी, लूट—पाट, सिविल उपद्रव, आतंकवादी हमला, युद्ध जैसी स्थिति अथवा प्राधिकरणों द्वारा बनाए गए किसी कानून अथवा नियम और विनियम अथवा पक्षों के

पंजीकरण का रद्दीकरण अथवा पक्षों के औचित्यपूर्ण नियंत्रण से परे परिस्थितियां, जो किसी भी पक्ष को यहां परिकल्पित लेन–देन को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से आरंभ करने अथवा पूर्ण करने से बाधित करती है। इस प्रकार की अपरिहार्य घटना से प्रभावित पक्ष, इस प्रकार की घटना के होने के संबंध में तुरंत दूसरे पक्ष को जानकारी देंगे। दोनों पक्षों के बीच यह सहमति है कि किसी भी स्थिति में निधियों की कमी अपरिहार्य घटना नहीं होगी अथवा मानी जाएगी। यदि अपरिहार्य घटना की स्थिति एक माह से अधिक की अवधि तक जारी रहती है तो दोनों पक्ष करार के भावी निष्पादन पर निर्णय लेने के लिए बैठक करेंगे। यदि दोनों पक्ष भावी निष्पादन हेतु योजना पर सहमत नहीं हो पाते हैं तो करार को किसी एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को एक माह का नोटिस देकर, जोकि एक माह की अवधि पर समाप्त हो जाएगा, करार को समाप्त कर दिया जाएगा।

18.2 अपरिहार्य घटना के आरंभ होने से पूर्व किसी पक्ष के प्रोद्भूत भुगतान दायित्व ऐसी अपरिहार्य घटना के कारण करार की समाप्ति पर भी यथावत बना रहेगा।

19. नोटिस

19.1 किसी भी पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को प्रारंभ में उल्लिखित पते अथवा ऐसे परिवर्तित पते पर, जिसकी पक्ष जानकारी दे, वैध रूप से भेजा गया नोटिस माना जाएगा, यदि इसे पंजीकृत डाक पावती देय (आरपीएडी) अथवा डाक विभाग की स्पीड पोस्ट सेवा अथवा दस्ती द्वारा जिसकी विधिवत् रूप से पावती दी गई हो और दूसरे पक्ष द्वारा प्राप्ति की तिथि अथवा आरपीएडी से नोटिस भेजने की तिथि से सात दिन, जो भी पहले हो, ऐसे नोटिस की प्राप्ति की तिथि मानी जाएगी।

20. अंतरण हेतु निर्बंधन

20.1 कोई भी पक्ष दूसरे पक्ष के पूर्ण नेटवर्क अथवा उसके भाग को न तो हटायेगा, न विक्रय करेगा, समनुदेशित करेगा, बंधक रखेगा, अंतरण करेगा/किराये पर देगा अथवा विल्लंगमित करेगा। यदि कोई पक्ष किसी उपर्युक्त कृत्य में संलिप्त होता है तो उक्त कृत्य अवैध होगा तथा प्रारंभ से ही प्रभावहीन होगा और पक्ष भी लागू कानून के तहत किन्हीं कार्यवाही हेतु भागी होगा।

21. गोपनीयता

21.1 दोनों पक्ष एक दूसरे के कार्यों/व्यापार में भागीदारी करते हुए एक–दूसरे से प्राप्त जानकारी को पूर्णरूप से गोपनीय रखेंगे और इसे किसी ऐसे व्यक्ति के समक्ष उद्घटित नहीं करेंगे जो इस करार में पक्षकार नहीं है।

21.2 दोनों पक्ष अपने कर्मचारियों, अधिकारियों, परामर्शदाताओं, सहयोगियों, ठेकेदार, एजेन्टों, प्राधिकृत व्यक्तियों, तथा ऐसे ही व्यक्तियों को जिन्हें उपयुक्त जानकारी हो, को भी गोपनीयता की बाध्यता के दायित्व से आबद्ध करेंगे।

21.3 दोनों पक्ष, एतद्द्वारा सहमत हैं कि सांविधिक प्राधिकरणों द्वारा मांगे जाने गोपनीय जानकारी का उद्घटन किया जा सकता है।

22. आशोधन

22.1 करार को लिखित के अलावा किसी अन्य पद्धति से आशोधित, फेरफार अथवा समाप्त नहीं किया जा सकता है। युक्तिका करार, अनुलग्नक, अनुसूचियां अथवा कोई अन्य दस्तावेज, चाहे जिस भी नाम से इसे जाना जाए, परंतु इसे करार के संबंध में निष्पादित किया गया हो, के साथ ही साथ करार में किसी भी परिवर्तन पर पक्षों द्वारा लिखित में आपस में सहमति होनी चाहिए तथा उसे पक्षों द्वारा अथवा उनकी ओर से निष्पादित किया जाना चाहिए।

23. बाध्यकारी प्रभाव

23.1 यह करार उपर्युक्त विषय पर पक्षों के बीच सभी पूर्व सहमतियों को आशोधित करता है और इसे दोनों पक्षों द्वारा लिखित के अलावा किसी भी अन्य पद्धति से संशोधित नहीं किया जाएगा। किसी अन्य विषय के संबंध में पक्षों (यदि कोई हो तो) किसी अन्य बोध अथवा इस करार के तहत सम्मिलित नहीं किए गए पक्षों के प्रोद्भूत अधिकार और दायित्व, यदि कोई हो, तो पूर्ण रूप से लागू तथा प्रभावी रहेंगे।

इसके साक्षी स्वरूप पक्षों ने उपर्युक्त तिथि माह तथा वर्ष में अपने हस्ताक्षर किए हैं।

एमएसओ की ओर से हस्ताक्षर किए गए।

(_____)

साक्षियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए

1. _____

2. _____

एलसीओ की ओर से हस्ताक्षर किए गए।

(_____)

साक्षियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए

1. _____

2. _____

नोटः मुख्तारनामा/प्राधिकार पत्र की स्वप्रमाणित प्रतियां, जिनके माध्यम से इस करार के हस्ताक्षरकर्ताओं को पक्षों की ओर से इस करार पर हस्ताक्षर करने तथा उसे निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, को इस करार के साथ संलग्न किया जाएगा।

अनुसूची

परिभाषाएं तथा निर्वचन

क. परिभाषाएं

इस करार में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, निम्न शब्दों तथा वाक्यों का अर्थ होगा, जो नीचे दिया गया है:—

(क) **"अधिनियम"** का अभिप्राय भारतीय दूरसंचार प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24), समय—समय पर यथा संशोधित अधिनियम से है;

(ख) **''एड्रेसेबल प्रणाली''** का अभिप्राय वही होगा जोकि इसे केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियम) अधिनियम, 1995 (1995 का सातवां), समय–समय पर यथा संशोधित अधिनियम में दिया गया है;

(ग) **''प्राधिकरण''** का अभिप्राय भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 3 की उप–धारा (1) के तहत स्थापित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण से है;

(घ) **''बुनियादी सेवा टीयर''** का वही अर्थ होगा, जो इसे टैरिफ आदेश में दिया गया है;

(ड.) **''बुके''** अथवा **''चैनलों के बुके''** का अभिप्राय अलग–अलग चैनलों के संयोजन से है, जिनकी एक साथ बंडल के रूप में पेशकश की जाती है;

(च) **''प्रसारक''** का अभिप्राय एक व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का समूह अथवा कारपोरेट निकाय अथवा कोई अन्य संगठन अथवा निकाय से है, जो केन्द्र सरकार से अपने नाम में अपलिंकिग और डाऊनलिंकिग अनुमति प्राप्त कर, जैसा कि उसके चैनल के लिए लागू है, प्रोग्रामिंग सेवा उपलब्ध करवाता है ;

(छ) **''केबल सेवाएं** अथवा **केबल टेलीविजन सेवाएं''** का अभिप्राय कार्यक्रमों का केबल के माध्यम से प्रसारण है, जिसमें किसी प्रसारक टेलीविजन सिग्नलों का केबल द्वारा पुनर्प्रसारण शामिल है;

(ज) **''केबल टेलीविजन नेटवर्क अथवा केबल टेलीविजन नेटवर्क''** का अभिप्राय कोई प्रणाली है, जिसमें बंद पारेषण पथ तथा संबद्ध सिग्नल सृजन, नियंत्रण और संवितरण उपकरण शामिल हैं, जिसे बहु–सब्सक्राइबरों द्वारा प्राप्ति हेतु केबल सेवा उपलब्ध कराने के लिये तैयार किया गया है;

(झ) ''**चैनल** अथवा **टेलीविजन चैनल**'', जिसे निम्न के तहत पंजीकृत किया गया है:–

(i) दिनांक 02 दिसम्बर, 2005 की संख्या 1501/2/2002–टेलीविजन(I) (भाग) के माध्यम से भारत से अपलिंकिंग हेतु दिशानिर्देश।

(ii) दिनांक 11 नवम्बर, 2005 की संख्या 13/2/2002–बीपीएंडएल/बीसी–IV के माध्यम से जारी की गई टेलीविजन चैनलों की डाउनलिंकिंग हेतु नीतिगत दिशानिर्देश,.....

समय–समय पर यथा आशोधित अथवा टेलीविजन चैनलों के अपलिंकिंग तथा डॉऊनलिंकिंग हेतु ऐसे अन्य दिशानिर्देश, जिन्हें समय–समय पर भारत सरकार, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया और 'चैनल' शब्द के संबंध में किए गए किसी भी संदर्भ को ''चैनल अथवा टेलीविजन चैनल'' के संबंध में किया गया संदर्भ माना जाएगा।

(ञ) **''शिकायत केन्द्र''** का अभिप्राय मल्टी सिस्टम ऑपरेटर अथवा इसके संबद्ध स्थानीय केबल ऑपरेटर, जैसा भी मामला हो, द्वारा उपभोक्ता शिकायत निवारण अधिनियम के तहत स्थापित सुविधा;

(ट) **''उपभोक्ता शिकायत निवारण विनियम''** का अभिप्राय, समय–समय पर यथा संशोधित, दिनांक 14 मई, 2012 का उपभोक्ता शिकायत निवारण (डिजिटल एड्रेसेबल केबल टेलीविजन प्रणालियां) विनियम, 2012 (2012 का तेरहवां) से है।

(ठ) **''सीटीएन अधिनियम''** का अभिप्राय समय–समय पर यथा आशोधित केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियम) अधिनियम, 1995 (1995 का सातवां) से है।

(ड) **''कूटबद्ध करना''** किसी केबल टेलीविजन नेटवर्क के सिग्नल के संबंध में कूटबद्ध करने का अभिप्राय ऐसे सिग्नल को एक प्रणालीबद्ध तरीके से परिवर्तित करना है ताकि किसी एड्रेसेबल प्रणाली के उपयोग के बिना सिग्नल का उपयोग नहीं किया जा सके और वाक्यांश ''अकूटबद्ध'' का तदनुसार अर्थ होगा;

(ढ) **''फ्री–टु–एयर–चैनल''** का समान अर्थ होगा, जो टैरिफ आदेश में विहित किया गया है।

(ण) **''हार्डवेयर''** का अभिप्राय एक मल्टी सिस्टम ऑपरेटर (एमएसओ) द्वारा अनुमोदित सेट टॉप बॉक्स, रिमोट तथा अन्य संबद्ध पुर्जों तथा सहायक उपकरणों से है ताकि कूटबद्ध रूप में पारेषित चैनलों के सिग्नलों को पढ़ा जा सके।

(त) **''हेड–एंड''** का अभिप्राय एक सुविधा से है, जिसमें उपग्रह, रीसीवर, मॉड्यूलेटर, कम्प्रेशन उपकरण, मल्टीप्लेक्सिस, और कन्डीशनल एक्सेस सुविधाएं अन्य पारेषण उपकरण शामिल हैं और उसमें एन्टीना भी शामिल होते हैं, जो उपग्रह और/अथवा स्थानीय स्टूडियों अथवा संबंद्ध एलसीओ के माध्यम से सब्सक्राइबर को पुनर्प्रसारण हेतु सिग्नल प्राप्त करते हैं।

(थ) **''अंतःसंयोजन विनियम''** का अभिप्राय समय–समय पर यथा संशोधित दिनांक 30.04.2012 के दूरसंचार (प्रसारण तथा केबल सेवाएं) अंतःसंयोजन (डिजिटल एड्रेसेबल केबल टेलीविजन प्रणालियां) विनियम, 2012 से है।

(द) **''पद्धति नियम पुस्तिका (एमओपी)''** का अभिप्राय सेवा की गुणवत्ता विनियम में संदर्भित पद्धति से है।

(ध) **''नोडल अधिकारी''** का अभिप्राय मल्टी–सिस्टम ऑपरेटर अथवा उसके संबद्ध स्थानीय केबल ऑपरेटर द्वारा उपभोक्ता शिकायत निवारण विनियम के तहत नियुक्त अथवा पदनामित अधिकारी से है।

(न) **''पे–चैनल''** का वही अर्थ होगा, जो उसे टैरिफ आदेश में दिया गया है।

(प) **''पायरेसी''** का अभिप्राय किसी व्यक्ति द्वारा किसी पद्धति अथवा तरीके से केबल टेलीविजन सिग्नल को अप्राधिकृत रूप से प्राप्त करना उसका पुनर्प्रसारण तथा पुनर्वितरण करना है, जिसमें असीमित रूप से किसी पुर्जे अथवा किसी सहायक उपकरण में छेड़–छाड़, उसकी सील के साथ छेड़–छाड़ करना अथवा हार्डवेयर का दुरुपयोग, प्रतिस्थापन, उसे हटाया जाना और/अथवा उसे अन्यत्र ले जाया जाना अथवा सेट–टॉप बाक्स से पहले अथवा उसके बाद किसी किसी डिकोडिंग, सिग्नल प्राप्त करने वाले उपकरण, रिर्काडिंग उपकरण(णों), नकली अथवा अप्राधिकृत उपकरणों का उपयोग करना अथवा कोई अन्य क्रियाकलाप करना, जिसके परिणामस्वरूप एमएसओ अथवा एलसीओ, जैसा भी मामला हो, के ट्रेडमार्क अथवा प्रतिलिप्याधिकार का उल्लंघन हो, है;

(फ) **''कार्यक्रम''** का अभिप्राय कोई टेलीविजन प्रसारण है, जिसमें :–

(i) चलचित्रों, वृत्तचित्रों, नाटकों, विज्ञापनों तथा धारावाहिकों का प्रदर्शन;

(ii) कोई भी श्रव्य और दृश्य अथवा श्रव्य–दृश्य सीधा कार्यक्रम अथवा प्रस्तुतिकरण; और

''प्रोग्रामिंग सेवा'' वाक्य का तदनुसार अर्थ लिया जाए;

(ब) **''सेवा की गुणवत्ता विनियम''** का अभिप्राय समय–समय पर यथा संशोधित दिनांक 14.05.2012 का सेवा की गुणवत्ता मानक (डिजिटल एड्रेसेबल केबल टेलीविजन प्रणालियां) विनियम, 2012 (वर्ष 2012 का बाारहवां) से है;

(भ) **''सेट टॉप बॉक्स** अथवा **एसटीबी''** का अभिप्राय ऐसे उपकरण से है, जिसे टेलीविजन से जोड़ा जाता है अथवा वह टेलीविजन का एक भाग है, जो सब्सक्राइबर को एक एड्रेसेबल केबल टेलीविजन प्रणालियों के माध्यम से सब्सक्राइब किए गए चैनलों को कूटबद्ध तथा मिश्रित स्वरूप में प्राप्त करने में मदद करता है;

(म) **''स्मार्ट कार्ड''** का अभिप्राय मल्टी सिस्टम ऑपरेटर (एमएसओ) द्वारा हार्डवेयर के भाग विधिवत रूप से अनुमोदित कार्ड से है, जो किसी सब्सक्राइबर को केबल टेलीविजन चैनल के सिग्नल तक पहुंचने हेतु सक्षम बनाता है;

(य) **''सब्सक्राइबर''** का अभिप्राय किसी व्यक्ति से है, जो किसी मल्टी सिस्टम आपरेटर अथवा केबल ऑपरेटर, जैसा भी मामला हो, को उसके द्वारा बताए स्थान पर बिना सिग्नलों का किसी व्यक्ति, जिसमें जबतक कि विशिष्ट रूप से वर्जित न किया जाए, साधारण सब्सक्राइबर तथा वाणिज्यिक सब्सक्राइबर शामिल है, को पुनर्प्रसारण किए सिग्नलों को प्राप्त करता हो;

''संदेह का निराकरण करने हेतु यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी भवन में संस्थापित प्रत्येक सेट–टॉप बाक्स को एक सब्सक्राइबर माना जाएगा।''

(यक) **''सब्सक्राइबर प्रबंधन प्रणाली** अथवा **एसएमएस''** का अभिप्राय एक प्रणाली अथवा उपकरण से है, जो सब्सक्राइबर के अभिलेखों तथा ब्यौरे का उसके नाम, पते तथा अन्य जानकारियां यथा सब्सक्राइबर द्वारा उपयोग किये जा रहे हार्डवेयर, सब्सक्राइबर द्वारा सब्सक्राइब किये जा रहे चैनलों के बुके, ऐसे चैनलों का मूल्य अथवा प्रणाली में यथा परिभाषित चैनलों का बुके, किसी चैनल अथवा चैनलों के बुके हेतु सक्रिय किये जाने अथवा निष्क्रिय किये जाने की तिथि तथा समय, सब्सक्राइबर के रिकॉर्ड में की गई सभी कार्यवाहियों का लॉग, प्रत्येक सब्सक्राइबर के संबंध में तैयार किए गए बीजक तथा भुगतान की गई राशि अथवा प्रत्येक बिलिंग अवधि के लिए सब्सक्राइबर को प्रदान की गई छूट के संबंध में जानकारियों का भण्डारण करता है।

(यख) **''टैरिफ आदेश''** का अभिप्राय समय–समय पर यथा संशोधित दिनांक 21 जुलाई, 2010 का दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (एड्रेसेबल प्रणालियां) टैरिफ आदेश, 2010 (वर्ष 2010 का पहला) से है।

(यग) **''ट्रंक लाइन''** का अभिप्राय कोएक्सियल/ऑप्टिक फाईबर केबल नेटवर्क तथा अन्य संबंद्ध उपकरण जैसे रीसिवर नोड्स, एम्प्लीफायर, स्पिल्टिर्स आदि से है, जिनके स्वामी तथा संस्थापनाकर्त्ता मल्टी सिस्टम केबल ऑपरेटर (एमएसओ) अथवा उसकी संबंद्ध कंपनियां होती हैं ताकि एलसीओ सहित विभिन्न एलसीओ के अंतिम उपभोक्ता तक विभिन्न एलसीओ को केबल टेलीविजन सिग्नलों का पारेषण किया जा सके ताकि वे संबंधित सब्सक्राइबरों का केबल टेलीविजन सिग्नलों का पुनर्प्रसारण कर सकें।

इस अंतःसंयोजन करार में उपयोग किए गए अन्य सभी शब्दों तथा वाक्य, जिनका निर्वचन नहीं किया गया है परंतु उसके तहत तथा केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियम) अधिनियम, 1995 (वर्ष 1995 का सातवां) और तत्संबध के तहत बनाए गए बनाए गए नियम तथा विनियम में परिभाषित किया गया है, उनका क्रमशः वही अर्थ होगा जो उन अधिनियमों, नियमों अथवा विनियमों, जैसा भी मामला हो, में दिया गया है।

ख. निर्वचन

इस करार में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो :

(क) इस करार में किसी एकवचन के संबंध में दिए गए किसी संदर्भ में बहुवचन तथा प्रतिलोमतः भी सम्मिलित होगा तथा किसी एक लिंग के संबंध में दिए गए संदर्भ में सभी लिंग सम्मिलित होंगे जबतक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो;

(ख) ''व्यक्ति'' शब्द में व्यक्ति विशेष, निगम, कारपोरेशन, भागीदारियां, व्यक्तियों के संघ तथा अन्य कंपनियां सम्मिलित हैं;

(ग) किसी अनुच्छेद, खण्ड, उप–खण्ड, परिशिष्ट, अनुलग्नकों के संबंध में किया गया कोई उल्लेख करार में उल्लिखित अनुच्छेद, खण्ड, उप–खण्ड, परिशिष्ट, अनुलग्नक माना जाएगा, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा उपबंध न हो;

(घ)'' माह'' के संबंध में किया संदर्भ का अभिप्राय एक कलेण्डर माह होगा;

(ङ) शीर्षक तथा नाम केवल संदर्भ की सुलभता के लिए हैं तथा इस करार के निर्वचन को प्रभावित नहीं करेंगे तथा किसी भी स्थिति में उन्हें शीर्षक से अलग रखकर इस प्रकार नहीं पढ़ा जाना चाहिए, जिससे ऐसा अर्थ निकले जो इस करार की विभिन्न खण्डों के निर्वचन के अनुकूल नहीं हो;

(च) विधि, विनियम, सांविधिक उपबंध, आदेश, दिशानिर्देश, नीति आदि के संबंध में किये गए किसी संदर्भ में समय–समय पर यथा आशोधित, संहिताबद्ध, संशोधित अथवा पुनः अधिनियमित ऐसे कानून अथवा विनियम अथवा उपबंध, आदेश, दिशानिर्देश, नीति आदि के संबंध में किया गया संदर्भ शामिल है।

अनुसूची–V

(विनियम 5 के उप–विनियम (13) के दूसरे परंतुक को संदर्भित)

मल्टी सिस्टम ऑपरेटर और स्थानीय केबल ऑपरेटर के बीच डिजिटल एड्रेसेबल प्रणालियों (डीएएस) के माध्यम से केबल टेलीविजन सेवाओं की पेशकश करने के लिए मानक अंतःसंयोजन करार

{1. इस करार के प्रत्येक पृष्ठ पर एमएसओ तथा एलसीओ के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।}

यह तकनीकी तथा वाणिज्यिक अंतःसंयोजन करार इसकी अनुसूचियों तथा अनुलग्नकों सहितः

प्रथम पक्ष, _____ जिनका पंजीकृत कार्यालय _____ में स्थित है, अन्य भाग में इसके प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (जिसे इसके पश्चात् **''एमएसओ''** कहा जाएगा, जिस शब्द में जब तक कि संदर्भ अथवा तत्संबंधी अर्थ के प्रतिकूल न हो, इसके उत्तराधिकारी, समनुदेशिति, वारिस तथा निष्पादन सम्मिलित हैं।)

एमएसओ का दर्जा : व्यक्ति विशेष/फर्म/कंपनी/व्यक्तियों का संघ/व्यक्तियों का निकाय (जो लागू न हो उसे काट दें अथवा व्यक्तियों के संघ/व्यक्तियों के निकाय की स्थिति में उपर्युक्त रूप से संशोधन करें।)

और

द्वितीय पक्ष, _____ जिनका पंजीकृत कार्यालय _____ में स्थित है, इसके प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (जिसे इसके पश्चात् **''एलसीओ''** कहा जाएगा, जिस शब्द में जब तक कि संदर्भ अथवा तत्संबंधी अर्थ के प्रतिकूल न हो, इसके उत्तराधिकारी, समनुदेशिति, वारिस तथा निष्पादन सम्मिलित हैं।)

एलसीओ का दर्जा : व्यक्ति विशेष/फर्म/कंपनी/व्यक्तियों का संघ/व्यक्तियों का निकाय (जो लागू न हो उसे काट दें अथवा व्यक्तियों के संघ/व्यक्तियों के निकाय की स्थिति में उपर्युक्त रूप से संशोधन करें।)

के बीच दिन _____ माह _____ 201_____ को निष्पादित किया गया।

एमएसओ तथा **एलसीओ** को इसके पश्चात् व्यक्तिगत रूप से 'पक्ष' कहा जाएगा तथा समग्र रूप से ''**पक्ष(क्षों)**'' कहा जाएगा।

जबकि,

(क) एमएसओ एक केबल ऑपरेटर होता है, जिसे सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 के तहत केन्द्र सरकार द्वारा केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियम) अधिनियम, 1995 की धारा 4क के तहत अधिसूचित _____ क्षेत्र में एड्रेसेबल प्रणालियों के माध्यम से केबल टेलीविजन उपलब्ध करवाने के लिए _____ दिनांक _____ का पंजीकरण संख्या प्रदान किया गया है।

(ख) एलसीओ एक केबल ऑपरेटर है, जिसे केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 के तहत _____ (क्षेत्र के नाम का उल्लेख करें) में केबल टेलीविजन सेवाएं प्रदान करने के लिए _____ मुख्य डाकघर (मुख्य डाकघर का नाम) में दिनांक _____ को पंजीकरण संख्या _____प्रदान किया गया है।

(ग) एलसीओ ने दिनांक_____ के पत्र संख्या_____ के माध्यम से टेलीविजन चेनलों हेतु सिग्नल उपलब्ध कराने के लिए अनुरोध किया है तथा एमएसओ दिनांक_____के पत्र संख्या _____ के माध्यम से ऐसे एलसीओ को टेलीविजन चैनलों के लिए सिग्नल उपलब्ध कराने को सहमत हो गया है।

(घ) क्षेत्र : इस करार के संदर्भ में क्षेत्र _____ है [उस क्षेत्र(त्रों)/शहर (रों)/जिला(लों)/राज्य(यों) के नाम का उल्लेख करें जिसके लिए इस करार पर हस्ताक्षर किए जा रहे हैं।]

(ङ) दोनों पक्ष, प्रधान से प्रधान आधार पर तथा गैर–अनन्य आधार पर क्षेत्र में टेलीविजन चैनलों के संवितरण के संबंध में भूमिका, उत्तरदायित्व, अधिकार, दायित्व, तकनीकी तथा वाणिज्यिक व्यवस्थाओं को शासित करने के लिए आपस में इसे करार निष्पादित करने के लिए सहमत हुए हैं।

(च) दोनों पक्ष इस बात पर भी आपस में सहमत हैं कि दोनों पक्षों के बीच किसी सम्पत्ति/ परिसम्पत्तियों के लेन–देन सहित प्रत्येक लेन–देन को लिखित में तथा अन्य सत्यापन योग्य तरीकों के माध्यम से किया जाएगा।

अब इसलिए, उपर्युक्त तथा इनमें अंतर्विष्ट प्रसंविदा पर विचार करते हुए, दोनों पक्ष निम्नानुसार सहमत हैं:–

1. परिभाषाएं

इस करार में उपयोग किए गए शब्द तथा वाक्यों का अर्थ, उन्हें इस करार की अनुसूची में दिया गया अर्थ होगा। इस अंतःसंयोजन करार में उपयोग किए गए परंतु परिभाषित नहीं किए गए और इसके तहत अधिनियम तथा नियम तथा विनियम में परिभाषित अथवा केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियम) अधिनियम, 1995 (1995 का सातवां) में परिभाषित अन्य शब्दों तथा वाक्यों का वही अर्थ होगा, जो उन्हें उन अधिनियमों अथवा नियमों और विनियमों, जैसा मामला हो, में दिया गया है।

2. करार की शर्तें

2.1 करार, _____ (दिनांक/माह/वर्ष) से प्रभावी होगा तथा _____ (दिनांक/माह/वर्ष) अथवा एमएसओ अथवा एलसीओ के पंजीकरण की समाप्ति की तिथि, जैसा भी मामला हो, जो भी पहले हो, अथवा करार की शर्तों के अनुरूप किसी भी पक्ष द्वारा समाप्त कर दिये जाने तक प्रभावी रहेगा।

2.2 करार की अवधि को पक्षों द्वारा आपस में सहमत निबंधन और शर्तों पर लिखित में दर्ज करके आगे बढ़ाया जा सकता है बशर्ते कि विस्तारित अवधि एमएसओ अथवा एलसीओ के पंजीकरण की अवधि की अंतिम तिथि, जो भी पहले हो, से अधिक न हो।

3. करार को समाप्त करना

3.1 किसी भी पक्ष को निम्न स्थिति में दूसरे पक्ष को 21 दिन का लिखित में अग्रिम नोटिस देकर करार को समाप्त करने का अधिकार होगाः—

(i) किसी पक्ष द्वारा करार की शर्तों के तात्विक उल्लंघन किये जाने की स्थिति में, जिसे एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को पंद्रह (15) दिनों के लिखित में दिए जाने हेतु अपेक्षित समय—सीमा के भीतर संसाधित नहीं किया गया हो; अथवा

(ii) शोधन अक्षमता, दिवालिया होने अथवा किसी दूसरे पक्ष की परिसंपत्तियों पर प्रापक की नियुक्ति; अथवा

(iii) दूसरा पक्ष पायरेसी करे, अथवा उसकी अनुमति दे अथवा किसी पक्ष को चैनल पर उपलब्ध कराई गई ऐसी प्रोग्रामिंग सेवा को चलाने के लिए किसी व्यक्ति को प्रलोभन दे जोकि समय—समय पर यथा संशोधित केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 में विहित कार्यक्रम तथा विज्ञापन संहिता का उल्लंघन हो।

3.6 एमएसओ द्वारा क्षेत्र में टेलीविजन चैनलों सिग्नलों के पुनर्प्रसारण के व्यापार को बंद किए जाने पर एलसीओ को करार समाप्त करने का अधिकार होगा।

3.7 एलसीओ द्वारा द्वारा क्षेत्र में अपने केबल टेलीविजन व्यापार को बंद किए जाने पर एमएसओ को करार को समाप्त करने का अधिकार होगा।

3.8 यदि किसी कारणवश, एमएसओ क्षेत्र में टेलीविजन के पुनर्प्रसारण के व्यापार को बंद करने का निर्णय लेता है तो वह एलसीओ को इस प्रकार सेवा बंद करने के कारणों का उल्लेख करते हुए कम से कम 90 दिन पूर्व लिखित नोटिस देगा।

3.9 यदि एलसीओ, सब्सक्राइबर को टेलीविजन सिग्नल उपलब्ध कराने के व्यापार को बंद करने का निर्णय लेता है तो, वह एमएसओ को इस प्रकार सेवा बंद करने के कारणों का उल्लेख करते हुए कम से कम 90 दिन पूर्व लिखित नोटिस देगा।

4. करार समाप्त करने और करार के समाप्त होने का प्रभाव :

4.1 किसी भी पक्ष द्वारा करार समाप्त करने अथवा करार की अवधि की समाप्ति की स्थिति में, जैसा भी मामला हो, प्रत्येक पक्ष दूसरे पक्ष को करार की समाप्ति की तिथि तक दूसरे पक्ष को देय और बकाया सभी राशियों का भुगतान करेगा।

4.2 एलसीओ, करार की समाप्ति होने अथवा करार की अवधि पूर्ण होने के 15 दिनों के अंदर, जैसा भी मामला हो, यहां उल्लिखित उपबंधों की शर्तों के अनुरूप, एलसीओ की अभिरक्षा में रखी हुई एमएसओ की सभी सम्पत्तियों और परिसंपत्तियों को एमएसओ को सौंपेगा तथा एलसीओ की अभिरक्षा में रखी हुई एमएसओ की सभी सम्पत्तियों और परिसंपत्तियों को हुई हानि अथवा क्षति, यदि कोई हो तो, की इस संबंध में प्राप्त हुए नोटिस की प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर एलसीओ को भरपाई करेगा और एलसीओ द्वारा ऐसी परिसम्पत्तियों/आस्तियों का रखरखाव करने में अक्षम होने पर एलसीओ, एमएसओ को ऐसी परिसम्पत्तियों/आस्तियों के मूल्यह्रासित मूल्य का भुगतान करेगा।

4.3 एमएसओ, करार की समाप्ति होने अथवा करार की अवधि पूर्ण होने के 15 दिनों के अंदर, जैसा भी मामला हो, यहां उल्लिखित उपबंधों की शर्तों के अनुरूप, एमएसओ की अभिरक्षा में रखी हुई एलसीओ की सभी सम्पत्तियों और परिसंपत्तियों को एलसीओ को सौंपेगा तथा एमएसओ की अभिरक्षा में रखी हुई एलसीओ की सभी सम्पत्तियों और परिसंपत्तियों को हुई हानि अथवा क्षति, यदि कोई हो तो, की इस संबंध में प्राप्त हुए नोटिस की प्राप्ति के तीस (30) दिनों के अंदर एलसीओ को भरपाई करेगा और एमएसओ द्वारा ऐसी परिसम्पत्तियों/आस्तियों का रखरखाव करने में अक्षम होने पर एमएसओ, एलसीओ को ऐसी परिसम्पत्तियों/आस्तियों के मूल्यह्रासित मूल्य का भुगतान करेगा।

स्पष्टीकरण : उपर्युक्त खण्ड 4.2 तथा 4.3 की एमएसओ तथा एलसीओ के हार्डवेयर अथवा सब्सक्राइबर के भवन में संस्थापित अन्य उपस्करों, जैसा भी मामला हो, के संबंध में कोई अनुप्रयोज्यनीयता नहीं होगी।

4.5 यदि एलसीओ अथवा एमएसओ, जैसा भी मामला हो, उक्त विनिर्धारित अवधि के अंदर ऐसी सम्पत्तियों अथवा परिसंपत्तियों को सौंपने अथवा उन्हें पहुंची हानि अथवा क्षति की भरपाई करने में सक्षम नहीं हो पाता है तो चूक कर्ता पक्ष इसके मूल्यह्रासित मूल्य पर भारतीय स्टेट बैंक के आधारभूत ब्याज दर के दो प्रतिशत के ऊपर की साधारण ब्याज दर पर भुगतान करने हेतु बाध्य होगा।

5. सेवा को उपलब्ध कराया जाना

5.1 एमएसओ इस करार की शर्तों के अनुरूप संबंधित प्राधिकरणों के मौजूदा मानदण्डों, नीतियों, लागू कानूनों तथा नियमों और विनियमों, निदेशों तथा आदेशों के अनुरूप गैर–अनन्य आधार पर टेलीविजन चैनलों के सिग्नल उपलब्ध कराएगा ताकि इसे क्षेत्र के सब्सक्राईबरों को पुनः प्रसारित किया जा सके।

5.2 एलसीओ, एमएसओ को अपने नेटवर्क तक गैर–अनन्य आधार पर पहुंच उपलब्ध कराएगा ताकि एमएसओ द्वारा उपलब्ध कराए गए टेलीविजन सिग्नलों को क्षेत्र में सब्सक्राईबरों तक पहुंचाया जा सके।

5.3 दोनों पक्ष लागू कानूनों तथा विनियमों के अनुरूप कड़ाई से केवल डिजीटल एड्रेसेबल प्रणाली के माध्यम से ही कूटबद्ध पद्धति द्वारा ही किसी चैनल, विषयवस्तु अथवा कार्यक्रम का अनिवार्य रूप से प्रसारण, पुनःप्रसारण करेंगे अथवा उसे प्रणाली के माध्यम से संवाहित करेंगे।

5.4 सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु इस करार के पक्षों के कर्त्तव्य तथा उत्तरदायित्व, इस करार के खण्ड 10 में अंतर्विष्ट हैं।

5.5 इस करार के खण्ड–10 में उल्लिखित कर्त्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों को ध्यान में रखते हुए एलसीओ तथा एमएसओ के बीच राजस्व निपटारे का इस करार में उल्लिखित खण्ड–12 में उल्लेख किया गया है।

6. एमएसओ के अधिकार

6.1 इस करार के तहत, एमएसओ के पास केबल टेलीविजन सेवाओं को प्रदान करने के लिए उपयोग किये गए अपने नेटवर्क के स्वामित्व का अधिकार बरकरार रहेगा और वह संपूर्ण अथवा नेटवर्क के किसी भाग का विस्तार/उन्नयन/परिवर्तन/प्रतिस्थापन/पुनः डिजाइन कर सकता है, बशर्ते कि इस प्रकार के क्रियाकलाप से सब्सक्राइबर को उपलब्ध कराई जा रही सेवा की गुणवत्ता (क्यूओएस) बाधित न हो अथवा उसमें किसी प्रकार की गिरावट न हो।

6.2 एमएसओ संबंधित प्राधिकरणों के मौजूदा मानदण्डों, नीतियों, लागू कानूनों और नियमों, विनियमों, निदेशों तथा आदेशों के अनुरूप टेलीविजन चैनलों के पुनर्प्रसारण हेतु प्रसारकों के साथ अंतःसंयोजन करार पर हस्ताक्षर करेगा।

6.3 एमएसओ को लागू कानूनों तथा विनियमों के अध्यधीन सब्सक्राइबर द्वारा भुगतान किये जाने हेतु प्रत्येक चैनल के अधिकतम खुदरा मूल्य को अंतिमरूप से विनिर्दिष्ट करने का अधिकार होगा

6.4 एमएसओ को उसकी व्यापारिक योजना तथा लागू मानदण्डों, नीतियों तथा लागू कानूनों तथा नियमों, विनियमों और टैरिफ आदेशों के अनुरूप नेटवर्क पर पेशकश किये जा रहे चैनलों/सेवाओं को पैकेज के रूप में प्रदान करने का अधिकार होगा।

6.5 एमएसओ को समय–समय पर प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित लागू टैरिफ आदेश तथा विनियमों के उपबंधों के अनुपालन में बुनियादी सेवा टीयर (बीएसटी) की दरों को विनिर्दिष्ट करने का अधिकार होगा।

6.6 एमएसओ को प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित लागू टैरिफ आदेशों के उपबंधों के अनुपालन में चैनलों के बुके की दरों, यदि एमएसओ द्वारा पेशकश किए गए हों तो, को विनिर्दिष्ट करने का अधिकार होगा।

6.7 एमएसओ को करार तथा लागू आदेशों और विनियमों के तहत अपने उत्तरदायित्वों की पूर्ति के प्रयोजनार्थ एलसीओ से सभी अपेक्षित जानकारी प्राप्त करने का अधिकार होगा।

7. एलसीओ के अधिकार

7.1 इस करार के तहत, एलसीओ के पास केबल टेलीविजन सेवाओं को प्रदान करने के लिए उपयोग किये गए अपने नेटवर्क के स्वामित्व का अधिकार बरकरार रहेगा और वह संपूर्ण अथवा नेटवर्क के किसी भाग का विस्तार/उन्नयन/परिवर्तन/प्रतिस्थापन/पुनः डिजाइन कर सकता है, बशर्ते कि इस प्रकार के क्रियाकलाप से

सब्सक्राइबर को अपने नेटवर्क पर उपलब्ध कराई जा रही सेवा की गुणवत्ता (क्यूओएस) बाधित न हो अथवा उसमें किसी प्रकार की अवनति न हो।

7.2 एलसीओ को करार तथा लागू आदेशों और विनियमों के तहत अपने उत्तरदायित्वों की पूर्ति के प्रयोजनार्थ एमएसओ से सभी अपेक्षित जानकारी प्राप्त करने का अधिकार होगा।

8. एमएसओ के दायित्व

8.1 एमएसओ चैनलों, बिलिंग साइकिलों अथवा प्रतिदायों हेतु व्यक्ति विशेष की प्राथमिकता को दर्ज कर तथा उपलब्ध करवाकर कार्यक्षम तथा त्रुटिमुक्त सेवाएं सुनिश्चित करने के लिये हेड–एंड, कन्डीशनल एक्सेस सिस्टम (सीएएस) तथा सब्सक्राइबर प्रबंधन प्रणाली (एसएमएस) को स्थापित करेगा तथा चालू करेगा।

8.2 एमएसओ, सब्सक्राइबर को पेशकश किए जाने वाले चैनलों, चैनलों के बुके, सब्सक्राइबर को पेशकश की जाने वाली सेवाओं के ब्यौरे के संबंध में आवश्यक तथा पर्याप्त जानकारी एलसीओ को उपलब्ध कराएगा।

8.3 एमएसओ सेवाएं उपलब्ध कराने, कर्तव्य और उत्तरदायित्व, राजस्व निपटान तथा सेवा की गुणवत्ता आदि के संबंध में एलसीओ की शिकायतों के निपटान हेतु वेब आधारित शिकायत निपटान प्रणाली उपलब्ध करवाएगा।

8.4 एमएसओ, पहले से सक्रिय एसटीबी जारी नहीं करेगा तथा उपभोक्ता आवेदन प्ररूप (सीएएफ) के ब्यौरे की सब्सक्राइबर प्रबंधन प्रणाली में प्रविष्टि करने के बाद ही एसटीबी को सक्रिय करेगा।

8.5 एमएसओ, देय प्रभारों पर प्रत्येक माह के लिये भुगतान किये जाने वाले प्रभारों अथवा प्रत्येक सब्सक्राइबर के लिये बिलिंग साइकिल के अनुसार बिलिंग साइकिल के समाप्त होने के तीन दिनों के अंदर नियमित आधार पर सब्सक्राइबरों के लिये बिलों को तैयार करेगा।

8.6 एमएसओ, करार तथा लागू आदेशों और विनियमों के तहत पक्षों द्वारा उत्तरदायित्वों के वहन के प्रयोजनार्थ अपने नियंत्रणाधीन एसएमएस के संगत भाग तक एलसीओ को एक्सेस उपलब्ध कराएगा।

8.7 एमएसओ पायरेसी अथवा ऐसे अन्य क्रियाकलापों में संलिप्त नहीं होगा, जिसके प्रभाव से और जिसके परिणामस्वरूप एलसीओ अथवा ऐसे प्रसारण से संबद्ध व्यक्तियों के ट्रेडमार्क अथवा प्रतिलिप्याधिकार का उल्लंघन अथवा अतिलंघन हो।

8.8 एमएसओ वर्तमान में लागू सभी संविधि अथवा कानूनों, अथवा वर्तमान में लागू किसी कानून के तहत जारी, प्रकाशित अथवा परिचालित किन्ही नियमों, संहिता, विनियमों, अधिसूचनाओं, परिपत्रों, दिशानिर्देशों, आदेशों, निदेशों आदि का अनुपालन करेगा।

8.9 एमएसओ ऐसा कोई कार्य अथवा कृत्य नहीं करेगा, जिसके परिणामस्वरूप इस करार के तहत केबल टेलीविजन सिग्नल के संबंध में एलसीओ के किसी अधिकार अथवा हित अथवा एलसीओ की किसी संपत्ति का अतिउलंघन हो अथवा उस पर प्रतिकूल पड़े।

8.10 एमएसओ संपूर्ण सिग्नल को सब्सक्राइबर के भवन में संस्थापित एसटीबी तक कूटबद्ध करने के लिए उत्तरदायी होगा।

8.11 एमएसओ, एलसीओ को तीन माह का अग्रिम नोटिस दिए बिना टेलीविजन चैनलों के सिग्नलों को बंद नहीं करेगा तथा अंतःसयोजन विनियमों में यथा परिकिल्पत, प्रस्तावित सेवाओं को बंद करने के कारणों का स्पष्ट रूप से उल्लेख करेगा।

8.12 एमएसओ, सब्सक्राइबर हेतु ऑनलाइन भुगतान गेटवे, पूर्व भुगतान प्रणालियां तथा सब्सक्राइबर से भुगतान की प्राप्ति होने पर इलेक्ट्रॉनिक पावती हेतु सुविधा उपलब्ध करायेगा।

8.13 एमएसओ, एलसीओ को अनुरक्षण हेतु पहले से सक्रिय नहीं किए गए अतिरिक्त एसटीबी के रूप में अधिकतम 30 एसटीबी की अधिकतम सीमा के साथ उसके नेटवर्क पर सक्रिय कुल एसटीबी के कम से कम 2 प्रतिशत एसटीबी उपलब्ध कराएगा ताकि एसटीबी में किसी खराबी के कारण प्रभावित सेवाओं को त्वरित रूप बहाल किया जा सके। करार की अवधि के दौरान, अनुरक्षण हेतु अतिरिक्त एसटीबी की संख्या को बनाए रखा जाएगा।

8.14 एमएसओ, एलसीओ को पैकेज की संरचना अथवा सब्सक्राईबरों को पेशकश किए जा रहे खुदरा टैरिफ में प्रस्तावित परिवर्तनों के संबंध में कम से कम 15 दिन पहले जानकारी देगा।

8.15 एलसीओ की पूर्व सहमति के बिना एमएसओ को इस करार के तहत अपने किन्हीं अधिकारों अथवा दायित्वों को समनुदेशित करने अथवा अंतरण करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

9. एलसीओ के दायित्व

9.1 एलसीओ सब्सक्राइबरों से प्राप्त उपभोक्ता आवेदन प्ररूप (सीएएफ) की प्रति को 15 दिनों के अंदर एमएसओ को सौंपेगा।

9.2 एलसीओ, प्रत्येक सब्सक्राइबर द्वारा केबल टेलीविजन सेवाओं के लिए एलसीओ को भुगतान की गई बिल राशि के ब्यौरे को एसएमएस में प्रविष्टि करने के लिए उत्तरदायी होगा।

9.3 एलसीओ पायरेसी अथवा ऐसे अन्य क्रियाकलापों में संलिप्त नहीं होगा, जिसके प्रभाव से और जिसके परिणामस्वरूप एमएसओ अथवा ऐसे प्रसारण से संबद्ध व्यक्तियों के ट्रेडमार्क अथवा प्रतिलिप्याधिकार का उल्लंघन अथवा अतिलंघन हो।

9.4 एमएसओ की पूर्व सहमति के बिना एलसीओ को इस करार के तहत अपने किन्हीं अधिकारों अथवा दायित्वों को समनुदेशित करने अथवा अंतरण करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

9.5 एलसीओ सब्सक्राइबर से मौजूदा कनेक्शनों हेतु कनेक्शन काटने के आवेदन के माध्यम से तथा नए कनेक्शन के मामले में उपभोक्ता आवेदन प्ररूप के माध्यम से अनुरोध प्राप्त किए बिना एमएसओ के एसटीबी को किसी अन्य एमएसओ के एसटीबी से प्रतिस्थापित नहीं करेगा। नए सेट—टॉप बाक्स को नए उपभोक्ता आवेदन प्ररूप में दिए गए ब्योरे की नए एमएसओ के सब्सक्राइबर प्रबंधन प्रणाली में प्रविष्टि के पश्चात् ही सक्रिय किया जाएगा।

9.6 **एलसीओ :—**

(i) एमएसओ द्वारा बिना उसकी पूर्व सहमति के ऐसे किसी सिग्नल को प्रसारित, पुनर्प्रसारित नहीं करेगा, सिग्नलों के बीच में डालेगा अथवा आपस में नहीं मिलाएगा;

(ii) एमएसओ द्वारा प्रसारित किसी सिग्नल पर किसी वाणिज्यिक जानकारी अथवा विज्ञापन अथवा सूचना को नहीं डालेगा। इस प्रकार सिग्नल से की गई छेड़छाड़ अथवा सिग्नलों के बीच में किसी सूचना को डाले जाने को इस करार का उल्लंघन माना जाएगा तथा यह एमएसओ को कानून अथवा इस करार के तहत विहित ऐसा नोटिस देकर इस करार को समाप्त किये जाने का पर्याप्त आधार माना जाएगा।

(iii) एमएसओ द्वारा उपलब्ध कराए गए सिग्नलों में किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं करेगा साथ ही कोई डिकोडिंग, सिग्नल प्राप्त करन और रिकॉर्ड करने के उपस्कर(रों), नकली सेट टॉप बॉक्स अथवा स्मार्ट कार्ड अथवा ऐसे ही अन्य उपकरणों का उपयोग नहीं करेगा।

(iv) एमएसओ की लिखित अनुमति के बिना सील सहित हार्डवेयर में छेड़छाड़ अथवा फेर–बदल (सेट टॉप बॉक्स को नहीं खोलने के लिए लगाई गई सील) नहीं करेगा और स्मार्ट कार्ड अथवा सेट टॉप बॉक्स का दुरुपयोग नहीं करेगा, पुर्नस्थापन नहीं करेगा, नहीं हटायेगा अथवा अन्यत्र शिफ्ट नहीं करेगा, उन्हें उनके संबंधित मूल पते से नहीं हटायेगा।

(v) सेट टॉप बॉक्स की संस्थापना से पूर्व अथवा उसके पश्चात् एमएसओ द्वारा आपूर्ति किये गये/अनुमोदित सेट टॉप बॉक्स, स्मार्ट कार्ड तथा किसी अन्य उपकरण के अलावा कोई डिकोडिंग, सिग्नल प्राप्त करने वाले, रिकार्डिंग उपकरण(णों), नकली सेट टॉप बॉक्स(सों), स्मार्ट कार्ड(डों) का उपयोग नहीं करेगा तथा ऐसे सब्सक्राइबर के विरुद्ध एमएसओ द्वारा विनिर्दिष्ट कार्रवाई करेगा।

(vi) एमएसओ की लिखित अनुमति के बिना संबंधित मूल पतों से सील सहित हार्डवेयर में छेड़छाड़, उनमें फेरबदल, दुरुपयोग, पुर्नस्थापन तथा स्मार्ट कार्ड और सेट टॉप बॉक्स को हटाये जाने तथा अन्यत्र ले जाये जाने और उपयोग के संबंध में तुरंत जानकारी देगा तथा सेट टॉप बॉक्स से पहले अथवा उसके बाद किसी डिकोडिंग, सिग्नल प्राप्त करने वाले, रिकॉर्डिंग, उपस्कर(रों) नकली सेट टॉप बॉक्स(सों) तथा एमएसओ द्वारा आपूर्ति किये गये हार्डवेयर के अलावा किसी अन्य स्मार्ट कार्ड(डों), सेट टॉप बॉक्स(सों), स्मार्ट कार्ड(डों) के अलावा उपयोग किये जा रहे अन्य संस्थापित मद की जानकारी देगा तथा ऐसे सब्सक्राइबर के विरूद्ध एमएसओ द्वारा निर्देशित कार्रवाई करेगा।

9.7 एलसीओ केबल टेलीविजन सिग्नलों के आगे पुनर्प्रसारण हेतु किसी कंपनी को कनेक्शन उपलब्ध नहीं करवायेगा।

9.8 एलसीओ न ही केबल टेलीविजन सिग्नलों को रिकॉर्ड करेगा और तत्पश्चात् उनका पुनर्प्रसारण करेगा अथवा एमएसओ द्वारा प्रसारित किये जा रहे सिग्नलों अथवा ट्रंक लाइन को ब्लॉक करेगा अथवा उनमें परिवर्धन अथवा पुर्नस्थापन अथवा उनके साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा और न ही किसी व्यक्ति को ऐसा करने देगा।

9.9 एलसीओ ऐसा कोई कार्य अथवा कृत्य नहीं करेगा, जिसके परिणामस्वरूप इस करार के तहत केबल टेलीविजन सिग्नल के संबंध में एमएसओ के किसी अधिकार अथवा हित अथवा एमएसओ की किसी संपत्ति का अति–उलंघन हो अथवा उस पर प्रतिकूल पड़े।

9.10 एलसीओ इस करार, लागू आदेशों और विनियमों के तहत पक्षों द्वारा उत्तरदायित्वों को पूर्ण किये जाने के प्रयोजनार्थ एमएसओ के नियंत्रणाधीन प्रणालियों तक पहुंच उपलब्ध करायेगा।

9.11 एलसीओ, एमसीओ को तीन सप्ताह का अग्रिम नोटिस दिए बिना टेलीविजन चैनलों के सिग्नलों को बंद नहीं करेगा, जिसमें वह दूरसंचार (प्रसारण तथा केबल टेलीविजन सेवाएं) अंतःसयोजन (डिजिटल एड्रेसेबल केबल टेलीविजन प्रणालियां) विनियम, 2012 में यथा परिकिल्पत, प्रस्तावित सेवाओं को बंद करने के कारणों का स्पष्ट रूप से उल्लेख करेगा।

10. एमएसओ तथा एलसीओ के कर्तव्य तथा उत्तरदायित्वः

क्रम सं.	कर्त्तव्य	टैरिफ आदेश के खंड 5 के परंतुक के अधीन समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने की स्थिति में उत्तरदायित्व	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	सब्सक्राइबर द्वारा सेट टॉप बॉक्स (एसटीबी) प्राप्त करने तथा वापस करने हेतु योजनाओं का प्रकाशन तथा तत्संबंधी वारंटी/मरम्मत की नीति	**एमएसओ**	• एमएसओ एसटीबी को उपलब्ध कराने/एसटीबी को वापस करने, तत्संबंध पर लागू वारंटी/ मरम्मत संबंधी नीतिको अंतिम रूप देगा। तथापि, एमएसओ ऐसे ब्योरे को एलसीओ के साथ साझा करेगा। • एमएसओ चैनलों/सेवाओं के मूल्य निर्धारण, पैकेजिंग को अंतिम रूप देगा तथा ब्योरे को एलसीओ के साथ साझा करेगा। • एमएसओ, एमओपी की विषयवस्तु तथा उपभोक्ता चार्टर को अंतिम रूप देगा। ऐसे एमओपी तथा उपभोक्ता चार्टर दस्तावोजों की प्रतियों को एलसीओ के साथ साझा करेगा।
2.	सेवा की गुणवत्ता विनियमों की अनुसूची–I में यथा विनिर्दिष्ट आवेदनों के प्ररूप का निर्धारण करना ताकि केबल टेलीविजन सेवाओं हेतु कनेक्शन प्राप्त किया जा सके, सेवा बंद की जा सके, पुनः कनेक्शन प्राप्त किया जा सके, कनेक्शन को अन्यत्र ले जाया जा सके तथा शिफ्टिंग की जा सके;		
3.	पद्धति नियम पुस्तिका (एमओपी) का प्रकाशन		
4.	उपभोक्ता चार्टर का प्रकाशन		
5.	वेबसाइटों की स्थापना करना, जिनमें सेवा से संबंधित जानकारी अंतर्विष्ट हो, शिकायत केन्द्र से संबंधित ब्यौरा, शिकायत निवारण प्रणाली, शिकायत निगरानी प्रणाली, नागरिक चार्टर, नोडल अधिकारी आदि से जुड़ी जानकारी अंतर्विष्ट हो।	**एमएसओ**	

6.	(क) निम्न हेतु शिकायत केन्द्र की स्थापना करना :– (i) सब्सक्राइबर के सेवा अनुरोधों का समाधान करना, (ii) सब्सक्राइबर की शिकायतों का निपटान (ख) वेब आधारित शिकायत निगरानी प्रणाली की स्थापना। (ग) निशुल्क उपभोक्ता देखभाल नम्बर उपलब्ध कराना तथा उसका प्रचार। (घ) उपभोक्ताओं द्वारा दायर की गई सभी शिकायतों का शिकायत निवारण विनियम में यथा उपबंध रखरखाव करना।	**एमएसओ**	एमएसओ, एलसीओ को शिकायत केन्द्र का ब्यौरा उपलब्ध करायेगा ताकि सब्सक्राइबर को आगे उसकी जानकारी प्रदान की जा सके।
7.	सेवा में व्यवधान के कारण सब्सक्राइबर को छूट तथा कटौती प्रणाली को विनिर्दिष्ट करना तथा ऐसी योजना के बारे में जागरूकता पैदा करना।	**एमएसओ**	एमएसओ, एलसीओ को ऐसी योजना का ब्यौरा उपलब्ध करायेगा ताकि सब्सक्राइबर को आगे इसकी जानकारी प्रदान की जा सके।
8.	(क) सब्सक्राइबर को एसटीबी प्राप्त करने तथा वापस करने हेतु जानकारी उपलब्ध कराना तथा तत्संबंधी लागू वारंटी/मरम्मत की नीति के बारे में जानकारी देना। (ख) आवेदकों/सब्सक्राइबर को एमओपी सहित आवेदन प्ररूप उपलब्ध कराना; और (ग) आवेदकों/सब्सक्राइबर से निम्न हेतु आवेदन प्ररूप प्राप्त करना :– (i) केबल टेलीविजन सेवाओं के कनेक्शन, पुनर्कनेक्शन, अतंरण तथा शिफ्टिंग;	**एलसीओ**	एलसीओ प्रत्येक मामले में आवेदन प्राप्त होने से 24 घंटे के अंदर सब्सक्राइबर प्रबंधन प्रणाली (एसएमएस) में जानकारी को अद्यतन करेगा।

	(ii) सेट टॉप बॉक्स को प्राप्त करने तथा वापस करने हेतु; (घ) आवेदन प्ररूप की नकली प्रति को आवेदन की प्राप्ति की पावती स्वरूप आवेदक/सब्सक्राइबर को वापस करना। (ड.) आवेदन प्राप्त होने के 02 दिनों के अंदर आवेदन प्रारूप में कमियों और त्रुटियों के संबंध में आवेदक को लिखित में जानकारी देना। (च) जहां आवेदक द्वारा कतिपय सेवाओं के संबंध में अनुरोध किया गया हो तथा कनेक्शन उपलब्ध कराना, पुनर्कनेक्शन उपलब्ध कराना, सेवा को अन्यत्र शिफ्ट करना अथवा सेट टॉप बॉक्स को अन्य स्थान पर ले जाना तकनीकी तथा प्रचालनात्मक रूप से व्यवहारिक न हो तो आवेदक को तकनीकी अथवा प्रचालनात्मक अव्यवहार्यता के बारे में आवेदन किये जाने के दो दिनों के भीतर जानकारी देना।		
9.	आवेदक हेतु यूनिक पहचान संख्या (यूआईएन) जारी करना	**एलसीओ**	एसएमएस से यूआईएन का सृजन किया जायेगा। एमएसओ द्वारा एसएमएस के संगत भाग तक एलसीओ को पहुंच उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
10.	सब्सक्राइबर के भवन में एसटीबी की संस्थापना तथा एसएमएस द्वारा उसे सक्रिय किया जाना	**एलसीओ**	एमएसओ को एसटीबी को सक्रिय करने के लिए एसएमएस के संगत भाग तक पहुंच उपलब्ध करानी चाहिए।
11.	एसटीबी की संस्थापना तथा सक्रिय किए जाने में विलंब हेतु सब्सक्राइबर को छूट प्रदान करना	**एमएसओ**	उन मामलों में जहां एलसीओ के कारण विलम्ब हुआ हो, ऐसे मामलों में एमएसओ, एलसीओ से छूट की राशि की वसूली कर

			सकता है।
12.	केबल सेवा को बंद करने अथवा कनेक्शन समाप्त करने के संबंध में 15 दिनों का अंतिम नोटिस जारी करना, जिसमें सेवाओं को इस प्रकार बंद करने, कनेक्शन समाप्त करने के कारणों को दर्शाया गया हो।	**एमएसओ**	एमएसओ सब्सक्राइबर को अग्रिम नोटिस जारी करने से पूर्व एलसीओ को लिखित में जानकारी प्रदान करेगा।
13.	सेवा को एसएमएस के माध्यम से बंद करने अथवा कनेक्शन समाप्त करने के लिए सब्सक्राइबर से अनुरोध की प्राप्ति	**एलसीओ**	एलसीओ तुरंत एसएमएस में जानकारी अद्यतन करेगा ।
14.	सब्सक्राइबर से सब्सक्रिप्शन पैकेज में परिवर्तन करने हेतु अनुरोध प्राप्त होने पर एसएमएस के माध्यम से इसका निष्पादन	**एलसीओ**	एलसीओ तुरंत एसएमएस में जानकारी अद्यतन करेगा।
15.	निरोधात्मक रखरखाव हेतु सिग्नलों को बंद किये जाने के संबंध में सब्सक्राइबर को नोटिस	**एमएसओ**	यदि एलसीओ द्वारा निरोधात्मक रखरखाव किया जाना हो तो वह एमएसओ को सूचित करेगा ताकि वह सब्सक्राइबरों को जानकारी दे सके।
16.	सेवा की गुणवत्ता विनियमों के मानकों के अनुरूप उपभोक्ता शिकायतों का निपटान	**एमएसओ**	पक्षों को प्राप्त शिकायतों को तुरंत वेब आधारित शिकायत निगरानी प्रणाली में अद्यतन किया जाएगा ताकि पक्षों द्वारा समय पर अनिवार्य उपचारात्मक कार्रवाई की जा सके तथा इनकी शिकायतकर्ता द्वारा निगरानी की जा सके।
17.	सेवा की गुणवत्ता के मानदण्डों के अनुरूप उपभोक्ता की शिकायत का निपटानः– (i) 'सिग्नल नहीं है' से संबंधित; (ii) 'एसटीबी' से संबंधित; (iii) सब्सक्राइबर के बिलिंग तथा प्राप्तियों से संबंधित; (iv) कोई अन्य शिकायत।	**एमसीओ का समग्र उत्तरदायित्व, एलसीओ के नेटवर्क में त्रुटियों को एलसीओ द्वारा ठीक किया जाएगा।**	एलसीओ द्वारा जिन शिकायतों का समाधान किया जाएगा, उन्हें वेब आधारित शिकायत निगरानी प्रणाली में अद्यतन किया जाएगा।

18.	उपभोक्ता शिकायत निवारण विनियम के उपबंधों के अनुरूप नोडल अधिकारी का पदनाम	**एमएसओ**	
19.	प्राधिकरण से प्राप्त शिकायतों के समाधान के बारे में सब्सक्राइबर को जानकारी	**एमएसओ**	
20.	सिस्टम द्वारा तैयार किये गये मदवार बिल का प्रकाशन तथा उन्हें सब्सक्राइबर तक पहुंचाया जाना	**एमएसओ**	उन मामलों में जहां सब्सक्राइबर के से एलसीओ भुगतान का संग्रहण करता है, उन मामलों में एलसीओ द्वारा प्राप्त भुगतान के ब्योरे को तुरंत एसएमएस में अद्यतन किया जाएगा ताकि सब्सक्राइबर के लिए इलेक्ट्रॉनिक पावती स्वतः ही सृजित हो जाए।
21.	सब्सक्राइबर तक भुगतान रसीदों को पहुंचाया जाना	**एमएसओ**	
22.	सब्सक्राइबर को इलेक्ट्रॉनिक पावती देना	**एमएसओ**	
23.	छह माह की अवधि के अंदर किसी भी अवधि के लिए प्रीपेड बिलों के मामले में सेवा के वास्तविक उपयोग को दर्शाने वाले मद–वार उपयोग से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराना	**एमएसओ**	एलसीओ को प्राप्त जानकारी को तुरंत एसएमएस में अद्यतन किया जाएगा ताकि एमएसओ समय से सब्सक्राइबर को अपेक्षित ब्यौरा उपलब्ध करवा सके।
24.	सरकार को करों का भुगतान	**एमएसओ और/अथवा एलसीओ**	कर भुगतान उत्तरदायित्वों से संबंधित विशिष्ट ब्यौरे को करार पर हस्ताक्षर किये जाने के समय संबंधित कर प्राधिकरणों के नियमों तथा विनियमों के अनुसार साथ वाले स्थान में भरे जाने की आवश्यकता है।

11. बिलिंग

11.1 सब्सक्राइबर हेतु बिलिंग एमएसओ के नाम पर की जाएगी। तथापि, प्रत्येक पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि करों से संबंधित लागू कानून, नियम तथा विनियमों का अनुपालन किया जाए।

11.2 एमएसओ सब्सक्राइबरों द्वारा दिया गया सब्सक्रिप्शन फीस को ग्रहण करेगा। राजस्व हिस्सा, इस समझौते के खंड 12.1 के अनुसार, एमएसओ, एलसीओ से बीजक मिलने पर, एलसीओ को देगा।

12. एमएसओ तथा एलसीओ के बीच राजस्व निपटारा तथा संबंधित अधिकार और दायित्व

12.1 एमएसओ तथा एलसीओ के बीच निम्नानुसार राजस्व निपटारा किया जाएगाः—

(क) बुनियादी सेवा टीयर, फ्री–टु–एयर तथा फ्री–टु–एयर चैनलों के बुके के चैनलों के सब्सक्रिप्शन से संग्रहित प्रभार को एमएसओ तथा एलसीओ के बीच क्रमशः 55 : 45 के अनुपात में बांटा जाएगा।

(ख) खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट चैनलों अथवा चैनलों के बुके अथवा चैनलों तथा चैनलों के बुके से संग्रहित प्रभार एमएसओ तथा एलसीओ के बीच क्रमशः 65 : 35 अनुपात में बांटा जाएगा।

12.2 एमएसओ सब्सक्राइबर बिलिंग और भुगतान प्राप्ति से संबंधित पूरी सूचना एलसीओ के साथ साझा करेगा। एलसीओ, एमएसओ को भुगतान की जाने वाली देय राशि के लिए एमएसओ को मासिक बीजक(कों) जारी करेगा तथा ऐसे बीजक(कों) में स्पष्ट रूप से वर्तमान भुगतान देय राशि तथा बकाया राशि, यदि कोई हो तो, का भुगतान की अंतिम तिथि के साथ उल्लेख किया जाएगा, जो कि सात दिनों से कम नहीं होगी। बकाया राशि हेतु किसी भी मांग के साथ उस अवधि हेतु बीजकों को भेजे जाने का प्रमाण भी संलग्न किया जाए। बीजकों के अनुसार बिल की गई सभी राशियों का भुगतान उसमें उल्लिखित देय राशि हेतु अंतिम तिथि अथवा उससे पूर्व किया जाएगा।

12.3 संबंधित पक्ष सब्सक्राइबर से वसूली गई सब्सक्रिप्शन राशि के ब्यौरे को देय तिथि से 7 दिन के अंदर सब्सक्राइबर प्रबंधन प्रणाली में अद्यतन करेंगे।

13. भुगतान में चूक

13.1 इस करार के उपबंधों अथवा कानून के तहत दोनों पक्षों को प्राप्त ऐसे अधिकारों तथा उपचार पर बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले, एमएसओ अथवा एलसीओ द्वारा देय राशि की संबंधित अंतिम तिथि अथवा उससे पूर्व भुगतान में विलम्ब अथवा भुगतान नहीं किए जाने पर एमएसओ अथवा एलसीओ, जैसा भी मामला हो, को अधिकार होगा कि वहः–

(i) सक्षम प्राधिकरण के लागू नियमों, विनियमों निदेशों अथवा आदेशों के अनुपालन के अधीन सेवाओं को बंद कर दे;

(ii) लागू कानूनों के अनुपालन के अधीन इस करार को समाप्त कर दे।

(iii) जिस तिथि को ऐसी राशि देय हो जाती है, उससे लेकर जिस तिथि तक राशि का वास्तव में भुगतान कर दिया जाता है, तक भारतीय स्टेट बैंक के आधारभूत ब्याज की दर में दो प्रतिशत जोड़कर साधारण ब्याज दर के अनुसार विलम्बित भुगतान की वसूली करे।

13.2 उस स्थिति में जब कोई पक्ष ने विगत में लगातार तीन माह तक भुगतान करने में चूक की हो तो दूसरे पक्ष को ब्याज मुक्त जमा राशि की मांग करने का अधिकार होगा जो कि बीते 6 माह की बिलिंग राशि कुल औसत राशि से अधिक नहीं होगा जिसे करार की शेष अवधि के लिए बनाए रखा जाएगा।

13.3 उपर्युक्त खण्ड 13.1 में यथा उल्लिखित सेवा को समाप्त किए जाने पर, चाहे वह इस करार के समाप्त किए जाने पर की गई हो, अथवा नहीं, चूककर्ता पक्ष को भविष्य में उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली संपूर्ण राशि को जमा करना होगा। करार को समाप्त किए जाने पर तीस दिनों के अंदर लेखा जोखा का निपटान किया जाएगा तथा किसी भी पक्ष द्वारा विलम्ब से किए जाने वाले भुगतान के लिए दूसरे पक्ष द्वारा भारतीय स्टेट बैंक के आधारभूत ब्याज दर के ऊपर दो प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज का भुगतान किया जाएगा।

14. वचन

14.1 प्रत्येक पक्ष, दूसरे पक्ष के स्वामित्व तथा उसके द्वारा संस्थापित सम्पत्ति के विशिष्ट स्वामित्व को मान्यता देगा तथा उस पर, उसका किसी भी स्वरूप का कोई अधिकार, दावा अथवा हित अथवा किसी भी स्वरूप का ग्रहणाधिकार नहीं होगा।

14.2 इस करार में अंतर्विष्ट किसी भी शर्त से कोई भी पक्ष किसी भी प्रयोजनार्थ दूसरे पक्ष का एजेन्ट अथवा भागीदार अथवा प्रतिनिधि नहीं बनेगा और किसी भी पक्ष को किसी अन्य पक्ष के नाम पर अथवा उसकी ओर से किसी भी प्रकार की देयताएं अथवा दायित्व, स्पष्ट अथवा अभिप्रेत, को ग्रहण करने, सृजन करने अथवा वहन करने का कोई अधिकार होगा तथा एमएसओ और एलसीओ के बीच संबंध, प्रधान से प्रधान आधार पर होगा।

14.3 दोनों पक्षों द्वारा यह स्पष्ट रूप से समझ लिया गया है कि ''_____'' लोगो (चिह्न), एमएसओ का पंजीकृत ट्रेडमार्क है तथा एलसीओ इस लोगो (चिह्न) का उपयोग, इस करार की अवधि के दौरान एमएसओ के केबल टेलीविजन नेटवर्किंग व्यापार के लाभ के लिए करेगा। एतद्द्वारा, एमएसओ द्वारा एलसीओ को उक्त लोगो (चिह्न) के उपयोग हेतु केबल के व्यापार के संबंध में तथा उक्त सीमा तक उपयोग करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

14.4 दोनों पक्षों द्वारा यह स्पष्ट रूप से समझ लिया गया है कि ''_____'' लोगो (चिह्न), एलसीओ का पंजीकृत ट्रेडमार्क है तथा एमएसओ इस लोगो (चिह्न) का उपयोग, इस करार की अवधि के दौरान एलसीओ के केबल टेलीविजन नेटवर्किंग व्यापार के लाभ के लिए करेगा। एतद्द्वारा, एलसीओ द्वारा एमएसओ को उक्त लोगो (चिह्न) के उपयोग हेतु केबल के व्यापार के संबंध में तथा उक्त सीमा तक उपयोग करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

14.5 प्रत्येक पक्ष द्वारा यह स्पष्ट रूप से समझ लिया गया है तथा स्वीकार किया जाता है कि उसकी अपनी केबल टेलीविजन सेवा हेतु अथवा दूसरे पक्ष द्वारा सहमति वापस लिए जाने के बाद दूसरे पक्ष की किसी बौद्धिक सम्पत्ति का उपयोग करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

14.6 यदि एलसीओ तथा एमएसओ, जैसा भी मामला हो, किसी अन्य पक्ष/व्यक्ति (तृतीय पक्ष) को संपूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से केबल टेलीविजन सेवा उपलब्ध कराने के इसके व्यापार में अपने हित का अंतरण करने का निर्णय लेता है तो एलसीओ अथवा एमएसओ, जैसा भी मामला हो, वह एलसीओ अथवा एमएसओ को पूर्व नोटिस देगा। पक्षों को इस प्रकार से अंतरण पर कोई आपत्ति नहीं होगी, यदि दूसरे पक्ष ने इस संविदा के तहत अपने दायित्वों का अनुपालन किया है तथा अपनी सभी देयताओं का भुगतान किया है।

बशर्ते कि, तथापि, ऐसा तृतीय पक्ष इस करार तथा अन्य वचन/बंधपत्रों की निबंधन और शर्तों के पालन करने के संबंध में एक अनुपालना विलेख को एमएसओ तथा एलसीओ, जैसा भी मामला हो, के संपूर्ण रूप से संतुष्ट होने तक हस्ताक्षर करेगा तथा निष्पादित करेगा ताकि इस करार के उपबंधों को प्रभावी बनाया जा सके।

14.7 एलसीओ को अपने डाक पंजीकरण प्रमाण पत्र को केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियम) अधिनियम, 1995 के अनुरूप नवीकृत बनाए रखना चाहिए ताकि डाक प्राधिकरण द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र की निबंधन और शर्तों का अनुपालन किया जा सके।

14.8 एमएसओ को केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियम) अधिनियम, 1995 के अनुरूप समय–समय पर अपने पंजीकरण प्रमाण पत्र, को नवीकृत करके रखना चाहिए ताकि पंजीकरण की निबंधन और शर्तों का अनुपालन किया जा सके।

14.9 दोनो पक्ष केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994, समय–समय पर यथा संशोधित, में विहित कार्यक्रम संहिता तथा विज्ञापन संहिता का अनुपालन करेंगे।

14.10 दोनों पक्ष, देश में वर्तमान में लागू कानूनों, जो उन पर लागू हों, का अनुपालन करेंगे।

15. पायरेसी की रोकथाम

15.1 दोनों पक्ष न तो स्वयं पायरेसी अथवा हार्डवेयर अथवा तत्संबंधी किसी घटक में उपयोग की जाने वाली रिवर्स इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी में संलिप्त होंगे न ही किसी व्यक्ति को ऐसा करने देंगे, न ही वे इससे सृजित सिग्नलों के पुनर्प्रसारण हेतु एक मिनी हेड–एंड की स्थापना हेतु किसी उपकरण से जोड़े जाने वाले हार्डवेयर का उपयोग करेंगे।

15.2 किसी भी सब्सक्राइबर को किसी प्रकार से पायरेसी को बढ़ावा देते हुए पाये जाने पर को एमएसओ अथवा एलसीओ, जैसा भी मामला हो, द्वारा विधिवत् रूप से नोटिस देकर उसकी सेवाएं बंद कर दी जाएगी।

16. दावा परित्याग तथा क्षतिपूर्ति

16.1 किसी भी स्थिति में एमएसओ, एमएसओ के किसी कृत्य के कारण, किसी कार्यक्रम अथवा जानकारी के वचन के परिणामस्वरूप किसी प्रत्यक्ष अथवा परिणामी क्षति अथवा हानि अथवा सेवा में व्यवधान अथवा बाधा अथवा बंद किये जाने के संबंध में किसी प्रकार की असुविधा, निराशा के परिणामस्वरूप होने वाले किसी प्रत्यक्ष, विशेष, अनुषंगी अथवा परिणामी क्षति के लिए एलसीओ के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा।

16.2 किसी भी स्थिति में एलसीओ, एलसीओ के किसी कृत्य के कारण किसी कार्यक्रम अथवा जानकारी के वचन के परिणामस्वरूप किसी प्रत्यक्ष अथवा परिणामी क्षति अथवा हानि अथवा सेवा में व्यवधान अथवा बाधा अथवा बंद किये जाने के संबंध में किसी प्रकार की असुविधा, निराशा के परिणामस्वरूप होने वाले किसी प्रत्यक्ष, विशेष, अनुषंगी अथवा परिणामी क्षति के लिए एमएसओ के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा।

16.3 एलसीओ किसी तृतीय पक्ष अथवा किसी सब्सक्राइबर से किसी असुविधा, हानि अथवा एलसीओ की किसी चूक के कारण उन्हें पहुंचे क्षोभ अथवा एलसीओ की चूक के कारण करार के समाप्त होने अथवा सेवा के बंद होने के परिणामस्वरूप किसी दावे, कार्रवाई, कार्यवाहियों के लिये सभी लागत, व्यय तथा नुकसान के लिए एमएसओ की क्षतिपूर्ति करेगा।

16.4 एमसीओ किसी तृतीय पक्ष अथवा किसी सब्सक्राइबर से किसी असुविधा, हानि अथवा एमएसओ की किसी चूक के कारण उन्हें पहुंचे क्षोभ अथवा एमएसओ की चूक के कारण करार के समाप्त होने अथवा सेवा के बंद होने के परिणामस्वरूप किसी दावे, कार्रवाई, कार्यवाहियों के लिये सभी लागत, व्यय तथा नुकसान के लिए एलसीओ की क्षतिपूर्ति करेगा।

17. शासी विधि तथा विवाद निपटान

17.1 भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 द्वारा यथा अधिदेशित दोनों पक्ष, इस करार के परिणामस्वरूप पक्षों के बीच किसी दावे विवाद, अथवा मतभेद के संबंध में दूरसंचार विवाद निपटारा तथा अपीलीय

अधिकरण, नई दिल्ली (**"टीडीसेट"**) के अलावा किसी अन्य न्यायालय अथवा न्यायिक अधिकरण/भारत में प्राधिकरण में कोई वाद दायर नहीं करेंगे अथवा व्यादेश अथवा अंतरिम आदेश प्राप्त नहीं करेंगे। दोनों पक्ष सहमत हैं कि पक्षों के बीच सभी विवादों को केवल टीडीसेट के समक्ष कार्यवाहियां दायर कर ही सुलझाया जायेगा।

18. अपरिहार्य घटना

18.1 एमएसओ अथवा एलसीओ द्वारा उनके किन्हीं दायित्वों के निर्वहन में असफल रहने पर, दूसरा पक्ष, अन्य पक्ष पर कोई दावा करने का हकदार नहीं होगा अथवा इसे इस करार का उल्लंघन नहीं माना जाएगा बशर्ते कि इस प्रकार की असफलता अपरिहार्य घटना के परिणामस्वरूप हुई हो। यदि अपरिहार्य घटना के माध्यम से इस करार में दी गई शर्तों के परिणामस्वरूप दायित्वों के निर्वहन में विलंब हो जाता है तो, ऐसे विलम्ब की अवधि को इस करार द्वारा विहित अवधि के परिकलन हेतु विचार नहीं किया जाएगा। अपरिहार्य घटना में ईश्वरीय कृत्य, भूकंप, ज्वार, तूफान, बाढ़, तड़ित, विस्फोट, आग लगना, तोड़—फोड़, संगरोध, महामारी, लूट—पाट, सिविल उपद्रव, आतंकवादी हमला, युद्ध जैसी स्थिति अथवा प्राधिकरणों द्वारा बनाए गए किसी कानून अथवा नियम और विनियम अथवा पक्षों के पंजीकरण का रद्दीकरण अथवा पक्षों के औचित्यपूर्ण नियंत्रण से परे परिस्थितियां, जो किसी भी पक्ष को यहां परिकल्पित लेन—देन को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से आरंभ करने अथवा पूर्ण करने से बाधित करती है। इस प्रकार की अपरिहार्य घटना से प्रभावित पक्ष, इस प्रकार की घटना के होने के संबंध में तुरंत दूसरे पक्ष को जानकारी देंगे। दोनों पक्षों के बीच यह सहमति है कि किसी भी स्थिति में निधियों की कमी अपरिहार्य घटना नहीं होगी अथवा मानी जाएगी। यदि अपरिहार्य घटना की स्थिति एक माह से अधिक की अवधि तक जारी रहती है तो दोनों पक्ष करार के भावी निष्पादन पर निर्णय लेने के लिए बैठक करेंगे। यदि दोनों पक्ष भावी निष्पादन हेतु योजना पर सहमत नहीं हो पाते हैं तो करार को किसी एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को एक माह का नोटिस देकर, जोकि एक माह की अवधि पर समाप्त हो जाएगा, करार को समाप्त कर दिया जाएगा।

18.2 अपरिहार्य घटना के आरंभ होने से पूर्व किसी पक्ष के प्रोद्भूत भुगतान दायित्व ऐसी अपरिहार्य घटना के कारण करार की समाप्ति पर भी यथावत बना रहेगा।

19. नोटिस

19.1 किसी भी पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को प्रारंभ में उल्लिखित पते अथवा ऐसे परिवर्तित पते पर, जिसकी पक्ष जानकारी दे, वैध रूप से भेजा गया नोटिस माना जाएगा, यदि इसे पंजीकृत डाक पावती देय (आरपीएडी) अथवा डाक विभाग की स्पीड पोस्ट सेवा अथवा दस्ती द्वारा जिसकी विधिवत् रूप से पावती दी गई हो और दूसरे पक्ष द्वारा प्राप्ति की तिथि अथवा आरपीएडी से नोटिस भेजने की तिथि से सात दिन, जो भी पहले हो, ऐसे नोटिस की प्राप्ति की तिथि मानी जाएगी।

20. अंतरण हेतु निर्बंधन

20.1 कोई भी पक्ष दूसरे पक्ष के पूर्ण नेटवर्क अथवा उसके भाग को न तो हटायेगा, न विक्रय करेगा, समनुदेशित करेगा, बंधक रखेगा, अंतरण करेगा/किराये पर देगा अथवा विल्लंगमित करेगा। यदि कोई पक्ष किसी उपर्युक्त कृत्य में संलिप्त होता है तो उक्त कृत्य अवैध होगा तथा प्रारंभ से ही प्रभावहीन होगा और पक्ष भी लागू कानून के तहत किन्हीं कार्यवाही हेतु भागी होगा।

21. गोपनीयता

21.1 दोनों पक्ष एक दूसरे के कार्यों/व्यापार में भागीदारी करते हुए एक–दूसरे से प्राप्त जानकारी को पूर्णरूप से गोपनीय रखेंगे और इसे किसी ऐसे व्यक्ति के समक्ष उद्घटित नहीं करेंगे जो इस करार में पक्षकार नहीं है।

21.2 दोनों पक्ष अपने कर्मचारियों, अधिकारियों, परामर्शदाताओं, सहयोगियों, ठेकेदार, एजेन्टों, प्राधिकृत व्यक्तियों, तथा ऐसे ही व्यक्तियों को जिन्हें उपयुक्त जानकारी हो, को भी गोपनीयता की बाध्यता के दायित्व से आबद्ध करेंगे।

21.3 दोनों पक्ष, एतद्द्वारा सहमत हैं कि सांविधिक प्राधिकरणों द्वारा मांगे जाने गोपनीय जानकारी का उद्घटन किया जा सकता है।

22. आशोधन

22.1 करार को लिखित के अलावा किसी अन्य पद्धति से आशोधित, फेरफार अथवा समाप्त नहीं किया जा सकता है। युक्तिका करार, अनुलग्नक, अनुसूचियां अथवा कोई अन्य दस्तावेज, चाहे जिस भी नाम से इसे जाना जाए, परंतु इसे करार के संबंध में निष्पादित किया गया हो, के साथ ही साथ करार में किसी भी परिवर्तन पर पक्षों द्वारा लिखित में आपस में सहमति होनी चाहिए तथा उसे पक्षों द्वारा अथवा उनकी ओर से निष्पादित किया जाना चाहिए।

23. बाध्यकारी प्रभाव

23.1 यह करार उपर्युक्त विषय पर पक्षों के बीच सभी पूर्व सहमतियों को आशोधित करता है और इसे दोनों पक्षों द्वारा लिखित के अलावा किसी भी अन्य पद्धति से संशोधित नहीं किया जाएगा। किसी अन्य विषय के संबंध में पक्षों (यदि कोई हो तो) किसी अन्य बोध अथवा इस करार के तहत सम्मिलित नहीं किए गए पक्षों के प्रोद्भूत अधिकार और दायित्व, यदि कोई हो, तो पूर्ण रूप से लागू तथा प्रभावी रहेंगे।

इसके साक्षी स्वरूप पक्षों ने उपर्युक्त तिथि माह तथा वर्ष में अपने हस्ताक्षर किए हैं।

एमएसओ की ओर से हस्ताक्षर किए गए।

(_____)

साक्षियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए

1. _____

2. _____

एलसीओ की ओर से हस्ताक्षर किए गए।

(_____)

साक्षियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए

1. _____

2. _____

नोटः मुख्तारनामा/प्राधिकार पत्र की स्वप्रमाणित प्रतियां, जिनके माध्यम से इस करार के हस्ताक्षरकर्ताओं को पक्षों की ओर से इस करार पर हस्ताक्षर करने तथा उसे निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, को इस करार के साथ संलग्न किया जाएगा।

अनुसूची

परिभाषाएं तथा निर्वचन

क. परिभाषाएं

इस करार में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, निम्न शब्दों तथा वाक्यों का अर्थ होगा, जो नीचे दिया गया हैः—

(क) **''अधिनियम''** का अभिप्राय भारतीय दूरसंचार प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24), समय—समय पर यथा संशोधित अधिनियम से है;

(ख) **''एड्रेसेबल प्रणाली''** का अभिप्राय वही होगा जोकि इसे केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियम) अधिनियम, 1995 (1995 का सातवां), समय—समय पर यथा संशोधित अधिनियम में दिया गया है;

(ग) **''प्राधिकरण''** का अभिप्राय भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 3 की उप—धारा (1) के तहत स्थापित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण से है;

(घ) **''बुनियादी सेवा टीयर''** का वही अर्थ होगा, जो इसे टैरिफ आदेश में दिया गया है;

(ड.) **''बुके''** अथवा **''चैनलों के बुके''** का अभिप्राय अलग—अलग चैनलों के संयोजन से है, जिनकी एक साथ बंडल के रूप में पेशकश की जाती है;

(च) **''प्रसारक''** का अभिप्राय एक व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का समूह अथवा कारपोरेट निकाय अथवा कोई अन्य संगठन अथवा निकाय से है, जो केन्द्र सरकार से अपने नाम में अपलिंकिग और डाऊनलिंकिग अनुमति प्राप्त कर, जैसा कि उसके चैनल के लिए लागू है, प्रोग्रामिंग सेवा उपलब्ध करवाता है ;

(छ) **''केबल सेवाएं** अथवा **केबल टेलीविजन सेवाएं''** का अभिप्राय कार्यक्रमों का केबल के माध्यम से प्रसारण है, जिसमें किसी प्रसारक टेलीविजन सिग्नलों का केबल द्वारा पुनर्प्रसारण शामिल है;

(ज) **''केबल टेलीविजन नेटवर्क अथवा केबल टेलीविजन नेटवर्क''** का अभिप्राय कोई प्रणाली है, जिसमें बंद पारेषण पथ तथा संबद्ध सिग्नल सृजन, नियंत्रण और संवितरण उपकरण शामिल हैं, जिसे बहु—सब्सक्राइबरों द्वारा प्राप्ति हेतु केबल सेवा उपलब्ध कराने के लिये तैयार किया गया है;

(झ) ''**चैनल** अथवा **टेलीविजन चैनल**'', जिसे निम्न के तहत पंजीकृत किया गया हैः—

(i) दिनांक 02 दिसम्बर, 2005 की संख्या 1501/2/2002—टेलीविजन(I) (भाग) के माध्यम से भारत से अपलिंकिंग हेतु दिशानिर्देश।

(ii) दिनांक 11 नवम्बर, 2005 की संख्या 13/2/2002–बीपीएंडएल/बीसी–IV के माध्यम से जारी की गई टेलीविजन चैनलों की डाउनलिंकिंग हेतु नीतिगत दिशानिर्देश,.....

समय–समय पर यथा आशोधित अथवा टेलीविजन चैनलों के अपलिंकिंग तथा डॉऊनलिंकिंग हेतु ऐसे अन्य दिशानिर्देश, जिन्हें समय–समय पर भारत सरकार, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया और 'चैनल' शब्द के संबंध में किए गए किसी भी संदर्भ को ''चैनल अथवा टेलीविजन चैनल'' के संबंध में किया गया संदर्भ माना जाएगा।

(ञ) **''शिकायत केन्द्र''** का अभिप्राय मल्टी सिस्टम ऑपरेटर अथवा इसके संबद्ध स्थानीय केबल ऑपरेटर, जैसा भी मामला हो, द्वारा उपभोक्ता शिकायत निवारण अधिनियम के तहत स्थापित सुविधा;

(ट) **''उपभोक्ता शिकायत निवारण विनियम''** का अभिप्राय, समय–समय पर यथा संशोधित, दिनांक 14 मई, 2012 का उपभोक्ता शिकायत निवारण (डिजिटल एड्रेसेबल केबल टेलीविजन प्रणालियां) विनियम, 2012 (2012 का तेरहवां) से है।

(ठ) **''सीटीएन अधिनियम''** का अभिप्राय समय–समय पर यथा आशोधित केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियम) अधिनियम, 1995 (1995 का सातवां) से है।

(ड) **''कूटबद्ध करना''** किसी केबल टेलीविजन नेटवर्क के सिग्नल के संबंध में कूटबद्ध करने का अभिप्राय ऐसे सिग्नल को एक प्रणालीबद्ध तरीके से परिवर्तित करना है ताकि किसी एड्रेसेबल प्रणाली के उपयोग के बिना सिग्नल का उपयोग नहीं किया जा सके और वाक्यांश ''अकूटबद्ध'' का तदनुसार अर्थ होगा;

(ढ) **''फ्री–टु–एयर–चैनल''** का समान अर्थ होगा, जो टैरिफ आदेश में विहित किया गया है।

(ण) **''हार्डवेयर''** का अभिप्राय एक मल्टी सिस्टम ऑपरेटर (एमएसओ) द्वारा अनुमोदित सेट टॉप बॉक्स, रिमोट तथा अन्य संबद्ध पुर्जों तथा सहायक उपकरणों से है ताकि कूटबद्ध रूप में पारेषित चैनलों के सिग्नलों को पढ़ा जा सके।

(त) **''हेड–एंड''** का अभिप्राय एक सुविधा से है, जिसमें उपग्रह, रीसीवर, मॉड्यूलेटर, कम्प्रेशन उपकरण, मल्टीप्लेक्सिस, और कन्डीशनल एक्सेस सुविधाएं अन्य पारेषण उपकरण शामिल हैं और उसमें एन्टीना भी शामिल होते हैं, जो उपग्रह और/अथवा स्थानीय स्टूडियो अथवा संबंद्ध एलसीओ के माध्यम से सब्सक्राइबर को पुनर्प्रसारण हेतु सिग्नल प्राप्त करते हैं।

(थ) **''अंतः संयोजन विनियम''** का अभिप्राय समय–समय पर यथा संशोधित दिनांक 30.04.2012 के दूरसंचार (प्रसारण तथा केबल सेवाएं) अंतःसंयोजन (डिजिटल एड्रेसेबल केबल टेलीविजन प्रणालियां) विनियम, 2012 से है।

(द) **''पद्धति नियम पुस्तिका (एमओपी)''** का अभिप्राय सेवा की गुणवत्ता विनियम में संदर्भित पद्धति से है।

(ध) **''नोडल अधिकारी''** का अभिप्राय मल्टी–सिस्टम ऑपरेटर अथवा उसके संबद्ध स्थानीय केबल ऑपरेटर द्वारा उपभोक्ता शिकायत निवारण विनियम के तहत नियुक्त अथवा पदनामित अधिकारी से है।

(न) **''पे–चैनल''** का वही अर्थ होगा, जो उसे टैरिफ आदेश में दिया गया है।

(प) **''पायरेसी''** का अभिप्राय किसी व्यक्ति द्वारा किसी पद्धति अथवा तरीके से केबल टेलीविजन सिग्नल को अप्राधिकृत रूप से प्राप्त करना उसका पुनर्प्रसारण तथा पुनर्वितरण करना है, जिसमें असीमित रूप से किसी पुर्जे अथवा किसी सहायक उपकरण में छेड़—छाड़, उसकी सील के साथ छेड़—छाड़ करना अथवा हार्डवेयर का दुरुपयोग, प्रतिस्थापन, उसे हटाया जाना और/अथवा उसे अन्यत्र ले जाया जाना अथवा सेट—टॉप बाक्स से पहले अथवा उसके बाद किसी किसी डिकोडिंग, सिग्नल प्राप्त करने वाले उपकरण, रिर्काडिंग उपकरण(णों), नकली अथवा अप्राधिकृत उपकरणों का उपयोग करना अथवा कोई अन्य क्रियाकलाप करना, जिसके परिणामस्वरूप एमएसओ अथवा एलसीओ, जैसा भी मामला हो, के ट्रेडमार्क अथवा प्रतिलिप्याधिकार का उल्लंघन हो, है;

(फ) **''कार्यक्रम''** का अभिप्राय कोई टेलीविजन प्रसारण है, जिसमें :—

(i) चलचित्रों, वृत्तचित्रों, नाटकों, विज्ञापनों तथा धारावाहिकों का प्रदर्शन;

(ii) कोई भी श्रव्य और दृश्य अथवा श्रव्य—दृश्य सीधा कार्यक्रम अथवा प्रस्तुतिकरण; और

''प्रोग्रामिंग सेवा'' वाक्य का तदनुसार अर्थ लिया जाए;

(ब) **''सेवा की गुणवत्ता विनियम''** का अभिप्राय समय—समय पर यथा संशोधित दिनांक 14.05.2012 का सेवा की गुणवत्ता मानक (डिजिटल एड्रेसेबल केबल टेलीविजन प्रणालियां) विनियम, 2012 (वर्ष 2012 का बाारहवां) से है;

(भ) **''सेट टॉप बॉक्स** अथवा **एसटीबी''** का अभिप्राय ऐसे उपकरण से है, जिसे टेलीविजन से जोड़ा जाता है अथवा वह टेलीविजन का एक भाग है, जो सब्सक्राइबर को एक एड्रेसेबल केबल टेलीविजन प्रणालियों के माध्यम से सब्सक्राइब किए गए चैनलों को कूटबद्ध तथा मिश्रित स्वरूप में प्राप्त करने में मदद करता है;

(म) **''स्मार्ट कार्ड''** का अभिप्राय मल्टी सिस्टम ऑपरेटर (एमएसओ) द्वारा हार्डवेयर के भाग विधिवत रूप से अनुमोदित कार्ड से है, जो किसी सब्सक्राइबर को केबल टेलीविजन चैनल के सिग्नल तक पहुंचने हेतु सक्षम बनाता है;

(य) **''सब्सक्राइबर''** का अभिप्राय किसी व्यक्ति से है, जो किसी मल्टी सिस्टम आपरेटर अथवा केबल ऑपरेटर, जैसा भी मामला हो, को उसके द्वारा बताए स्थान पर बिना सिग्नलों का किसी व्यक्ति, जिसमें जबतक कि विशिष्टरूप से वर्जित न किया जाए, साधारण सब्सक्राइबर तथा वाणिज्यिक सब्सक्राइबर शामिल है, को पुनर्प्रसारण किए सिग्नलों को प्राप्त करता हो;

''संदेह का निराकरण करने हेतु यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी भवन में संस्थापित प्रत्येक सेट—टॉप बाक्स को एक सब्सक्राइबर माना जाएगा।''

(यक) **''सब्सक्राइबर प्रबंधन प्रणाली** अथवा **एसएमएस''** का अभिप्राय एक प्रणाली अथवा उपकरण से है, जो सब्सक्राइबर के अभिलेखों तथा ब्यौरे का उसके नाम, पते तथा अन्य जानकारियां यथा सब्सक्राइबर द्वारा उपयोग किये जा रहे हार्डवेयर, सब्सक्राइबर द्वारा सब्सक्राइब किये जा रहे चैनलों के बुके, ऐसे चैनलों का मूल्य अथवा प्रणाली में यथा परिभाषित चैनलों का बुके, किसी चैनल अथवा चैनलों के बुके हेतु सक्रिय किये जाने अथवा निष्क्रिय किये जाने की तिथि तथा समय, सब्सक्राइबर के रिकॉर्ड में की गई सभी कार्यवाहियों का लॉग, प्रत्येक सब्सक्राइबर के संबंध में तैयार किए गए बीजक तथा भुगतान की गई राशि अथवा प्रत्येक बिलिंग अवधि के लिए सब्सक्राइबर को प्रदान की गई छूट के संबंध में जानकारियों का भण्डारण करता है।

(यख) **''टैरिफ आदेश''** का अभिप्राय समय–समय पर यथा संशोधित दिनांक 21 जुलाई, 2010 का दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (एड्रेसेबल प्रणालियां) टैरिफ आदेश, 2010 (वर्ष 2010 का पहला) से है।

(यग) **''ट्रंक लाइन''** का अभिप्राय कोएक्सियल/ऑप्टिक फाईबर केबल नेटवर्क तथा अन्य संबंद्ध उपकरण जैसे रीसिवर नोड्स, एम्प्लीफायर, स्पिल्टिर्स आदि से है, जिनके स्वामी तथा संस्थापनाकर्त्ता मल्टी सिस्टम केबल ऑपरेटर (एमएसओ) अथवा उसकी संबंद्ध कंपनियां होती हैं ताकि एलसीओ सहित विभिन्न एलसीओ के अंतिम उपभोक्ता तक विभिन्न एलसीओ को केबल टेलीविजन सिग्नलों का पारेषण किया जा सके ताकि वे संबंधित सब्सक्राइबरों का केबल टेलीविजन सिग्नलों का पुनर्प्रसारण कर सकें।

इस अंतःसंयोजन करार में उपयोग किए गए अन्य सभी शब्दों तथा वाक्य, जिनका निर्वचन नहीं किया गया है परंतु उसके तहत तथा केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियम) अधिनियम, 1995 (वर्ष 1995 का सातवां) और तत्संबध के तहत बनाए गए बनाए गए नियम तथा विनियम में परिभाषित किया गया है, उनका क्रमशः वही अर्थ होगा जो उन अधिनियमों, नियमों अथवा विनियमों, जैसा भी मामला हो, में दिया गया है।

ख. निर्वचन

इस करार में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो :

(क) इस करार में किसी एकवचन के संबंध में दिए गए किसी संदर्भ में बहुवचन तथा प्रतिलोमतः भी सम्मिलित होगा तथा किसी एक लिंग के संबंध में दिए गए संदर्भ में सभी लिंग सम्मिलित होंगे जबतक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो;

(ख) ''व्यक्ति'' शब्द में व्यक्ति विशेष, निगम, कारपोरेशन, भागीदारियां, व्यक्तियों के संघ तथा अन्य कंपनियां सम्मिलित हैं;

(ग) किसी अनुच्छेद, खण्ड, उप–खण्ड, परिशिष्ट, अनुलग्नकों के संबंध में किया गया कोई उल्लेख करार में उल्लिखित अनुच्छेद, खण्ड, उप–खण्ड, परिशिष्ट, अनुलग्नक माना जाएगा, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा उपबंध न हो;

(घ)'' माह'' के संबंध में किया संदर्भ का अभिप्राय एक कलेण्डर माह होगा;

(ङ) शीर्षक तथा नाम केवल संदर्भ की सुलभता के लिए हैं तथा इस करार के निर्वचन को प्रभावित नहीं करेंगे तथा किसी भी स्थिति में उन्हें शीर्षक से अलग रखकर इस प्रकार नहीं पढ़ा जाना चाहिए, जिससे ऐसा अर्थ निकले जो इस करार की विभिन्न खण्डों के निर्वचन के अनुकूल नहीं हो;

(च) विधि, विनियम, सांविधिक उपबंध, आदेश, दिशानिर्देश, नीति आदि के संबंध में किये गए किसी संदर्भ में समय–समय पर यथा आशोधित, संहिताबद्ध, संशोधित अथवा पुनः अधिनियमित ऐसे कानून अथवा विनियम अथवा उपबंध, आदेश, दिशानिर्देश, नीति आदि के संबंध में किया गया संदर्भ शामिल है।"

(एस के गुप्ता)
प्रधान सलाहकार (बी एण्ड सी एस)

टिप्पणी–1 : मूल विनियमों को दिनांक 30 अप्रैल, 2012 की अधिसूचना संख्या 3–24/2012–बीएंडसीएस, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खण्ड 4, में प्रकाशित किया गया और तत्पश्चात् दिनांक 14 मई, 2012 की

अधिसूचना संख्या 3—24/2012—बीएंडसीएस, दिनांक 20 सितम्बर, 2013 की अधिसूचना संख्या 3—24/2012—बीएंडसीएस, दिनांक 10 फरवरी, 2014 की अधिसूचना संख्या 3—24/2012—बीएंडसीएस, दिनांक 18 जुलाई, 2014 की अधिसूचना संख्या 6—33/2014—बीएंडसीएस, दिनांक 14 सितम्बर, 2015 की अधिसूचना संख्या 6—29/2015—बीएंडसीएस और दिनांक 7 जनवरी, 2016 की अधिसूचना संख्या 3—106/2015—बीएंडसीएस के तहत संशोधित किया गया।

टिप्पणी—2 : व्याख्यात्मक ज्ञापन, दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवाएं) अंतःसयोजन (डिजिटल एड्रेसेबल केबल टेलीविजन प्रणालियां) (सातवां संशोधन) विनियम, 2016 (2016 का 3) के उद्देश्यों एवं कारणों को स्पष्ट करता है।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

1. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने डिजिटल एड्रेसेबल केबल टीवी सिस्टम (डीएएस) हेतु विस्तृत विनियामक फ्रेमवर्क अधिसूचित किया है जिसमें इंटरकनेक्शन विनियम, सेवा की गुणवत्ता विनियम, टैरिफ आदेश और उपभोक्ता शिकायत निवारण विनियम शामिल हैं। डीएएस पर लागू, समय—समय पर यथा संशोधित, 30 अप्रैल, 2012 के इंटरकनेक्शन विनियम नामतः दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल सेवाएं) इंटरकनेक्शन (डिजिटल एड्रेसेबल केबल टेलीविजन सिस्टम) विनियम 2012 (इसमें आगे जिसे 'इंटरकनेक्शन विनियम 2012' कहा गया है), अन्य बातों के साथ—साथ मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों (एमएसओ) और लोकल केबल ऑपरेटर (एलसीओ) के बीच इंटरकनेक्शन हेतु एक फ्रेमवर्क मुहैया कराता है। इस फ्रेमवर्क के आधार पर एमएसओ और एलसीओ (सम्मिलित रूप में इन्हें इसमें आगे 'पक्ष' कहा गया है) को उपभोक्ताओं को केबल सेवाएं मुहैया कराने से पहले एक लिखित इंटरकनेक्शन समझौता करना जरूरी है।

2. इंटरकनेक्शन विनियम, 2012 की शर्तों में पक्षों से आपसी समझौते द्वारा अपने—अपने कार्य हेतु जिम्मेदारी का निर्धारण करने की अपेक्षा की जाती है जिसका कि समय—समय पर यथा संशोधित 14 मई, 2012 के सेवा की गुणवत्ता विनियम नामतः सेवा की गुणवत्ता के मानक (प्रसारण एवं केबल सेवाएं) विनियम, 2012 (इसमें जिसे आगे 'सेवा की गुणवत्ता विनियम 2012' कहा गया है) में उल्लेख किया गया है। एड्रेसेबल सिस्टम पर लागू समय—समय पर यथा संशोधित दिनांक 21 जुलाई, 2010 के टैरिफ आदेश नामतः दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल सेवाएं) (चौथा) (एड्रेसेबल सिस्टम) टैरिफ आदेश, 2010 (2010 का 1) (इसमें आगे जिसे 'टैरिफ आदेश') में यह प्रावधान किया गया है कि एमएसओ और एलसीओ के बीच राजस्व सेटलमेंट का निर्धारण पक्षों के बीच हुए आपसी समझौते द्वारा होगा। अगर पक्ष कोई आपसी समझौता करने में विफल रहते हैं तो उपभोक्ताओं से लिए गए प्रभार का बंटवारा टैरिफ आदेश में उल्लिखित तरीके से किया जाएगा।

3. चूंकि ऐसे विभिन्न तरीके हो सकते हैं, जिनके द्वारा एमएसओ और एलसीओ के बीच प्रत्येक कार्य की जिम्मेदारी का बंटवारा किया जा सकता है, प्राधिकरण ने 2012 में डीएएस के लिए विस्तृत विनियामक फ्रेमवर्क अधिसूचित करते समय इंटरकनेक्शन समझौता के नियम एवं शर्तों को निर्दिष्ट नहीं किया, बल्कि विनियामक फ्रेमवर्क के तहत इंटरकनेक्शन समझौता तैयार करने का काम पक्षों पर छोड़ दिया गया है। तब यह उल्लेख किया गया था कि यह गैर—एड्रेसेबल सिस्टम से डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम में बदलाव को सुगम बनाने के लिए पक्षों को लचीलापन मुहैया कराएगा।

4. भादूविप्रा को पक्षों के बीच इंटनकनेक्शन समझौते पर हस्ताक्षर संबंधी विभिन्न मुद्दों के संबंध में बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त हुई हैं। एलसीओ ने उल्लेख किया है कि एमएसओ द्वारा प्रस्तावित प्रारूप समझौतों के नियम एवं शर्तें एक तरफा हैं और समान अवसर मुहैया नहीं कराते हैं। दूसरी ओर, एमएसओ ने उल्लेख किया है कि एलसीओ, दोनों पक्षों के बीच पहले से हस्ताक्षरित इंटरकनेक्शन समझौते के नियम एवं शर्तों का पालन करने के लिए तैयार नहीं हैं। एक तरफ, एलसीओ ने कहा कि एमएसओ के द्वारा तैयार मसौदा के नियम एवं शर्तें एकतरफा हैं और पक्षों का समान अवसर नहीं प्रदान करते हैं। दूसरी ओर एमएसओ का कहना था कि एलसीओ हस्ताक्षरित इंटरकनेक्शन समझौतों की नियम एवं शर्तें मानने के लिए तैयार नहीं हैं। अकसर सेवा की गुणवत्ता विनियम 2012 में यथा निर्धारित सेवा की गुणवत्ता के मानदंडों

को पूरा करने के लिए पक्षों के कार्य और जिम्मेदारियां पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित इंटरकनेक्शन समझौते में स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं गई हैं, जिसके कारण पक्षों के बीच विवाद के मामले में उपभोक्ताओं को प्रदान की जाने वाली सेवा की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

5. पक्षों के बीच इंटरकनेक्शन समझौते पर हस्ताक्षर से संबंधित विभिन्न मुद्दों और डीएएस के कार्यान्वयन की परख करने के लिए भादूविप्रा ने देश के विभिन्न भागों में पक्षों के साथ बातचीत की है। सामान्यतः पक्षों का यह मत था कि यह क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ हित में रहेगा कि भादूविप्रा इंटरकनेक्शन समझौते की नियम और शर्तें, जो पक्षों द्वारा किया जा सकता है। इससे पक्षों के बीच विवाद कम करने में मदद मिलेगी और परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं को दी जाने वाली सेवा की गुणवत्ता में सुधार लाने में मदद मिलेगी।

6. हितधारकों से प्राप्त अनेकों अभ्यावेदनों पर गौर करने के बाद प्राधिकरण ने हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया। प्राधिकरण ने इंटरकनेक्शन के नियम एवं शर्तें इस प्रकार से निर्धारित करने का विचार किया जो पक्षों की विभिन्न चिंताओं का समाधान करने के साथ–साथ पक्षों के बीच विभिन्न मुमकिन बिजनस मॉडल्स को समाहित करने के लिए पर्याप्त लचीलापन प्रदान करता हो। इसके अलावा, समय–समय पर यथा संशोधित केबल टेलीविजन नेटवर्क नियमावली, 1994 यह भी प्रावधान करती है कि प्राधिकरण एमएसओ और एलसीओ के बीच अधिसूचित क्षेत्रों में पे और फ्री–टू–एयर चैनलों के वितरण के लिए वाणिज्यिक समझौते करने में इस्तेमाल करने के लिए मानक इंटरकनेक्शन समझौता अधिसूचित कर सकता है।

7. ऐसा इंटरकनेक्शन समझौता निर्धारित करने के लिए प्राधिकरण ने एक प्रारूप मॉडल और मानक इंटरकनेक्शन समझौता (एमएसआईए) तैयार किया। प्रारूप एमएसआईए में एकल दस्तावेज में प्रारूप मॉडल इंटरकनेक्शन समझौता (एमआईए) और प्रारूप मानक इंटरकनेक्शन समझौता (एसआईए) शामिल था। प्रारूप एमएसआईए अन्य बातों के साथ–साथ पक्षों को समान अवसर उपलब्ध कराने और उपभोक्ताओं के लिए सेवा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य के साथ पक्षों के अधिकारों, दायित्वों, कार्यों और जिम्मेदारियों को परिभाषित करता है। प्रारूप एमएसआईए में यह भी उल्लेख किया गया था कि अगर पक्ष प्रत्येक कार्य, बिलिंग और राजस्व सेटलमेंट से संबंधित जिम्मेदारी के लिए परस्पर सहमति व्यक्त करता है तो ऐसे मामलों में एमआईए लागू होगा। अगर पक्ष जिम्मेदारियां साझा करने, बिलिंग या राजस्व के संबंध कोई पारस्परिक समझौता करने में विफल रहते हैं, तो ऐसे मामलों में एसआईए लागू होगा जिसमें प्राधिकरण ने प्रत्येक पक्ष के लिए जिम्मेदारी प्रस्तावित की थी। एसआईए के मामले में राजस्व सेटलमेंट टैरिफ आदेश में निर्दिष्ट दरों के आधार पर किया जाएगा।

8. तदनुसार, प्राधिकरण ने डीएएस के जरिये केबल सेवाओं की पेशकश करने वाले पक्षों द्वारा एमआईए और एसआईए के आदेश पर हस्ताक्षर करने से पहले हितधारकों के साथ एक परामर्श प्रक्रिया आरंभ की है। परामर्श पत्र के साथ प्रारूप एमएसआईए को 9 दिसंबर, 2015 को भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर अपलोड किया गया था, इसमें हितधारकों से टिप्पणियां और जवाबी टिप्पणियां आमंत्रित की गई थी।

9. टिप्पणी और जवाबी टिप्पणी प्रस्तुत करने की अंतिम तिथियां क्रमशः 31 दिसंबर, 2015 और 7 जनवरी, 2016 थी। जवाब में कुछ व्यक्तियों समेत हितधारकों से कुल 18 टिप्पणियां और 3 जवाबी टिप्पणियां प्राप्त हुई थी। इसके बाद, दिल्ली में 28 जनवरी, 2016 को एक ओपन हाउस चर्चा (ओएचडी) आयोजित की गई थी, जिसमें हितधारकों ने बड़ी संख्या में भाग लिया था। ओपन हाउस चर्चा के बाद, हितधारकों को इस मुद्दे पर 01 फरवरी, 2016 तक लिखित में अपनी राय/टिप्पणियां प्रस्तुत करने का एक और मौका दिया गया था। देय तिथि तक तीन अतिरिक्त टिप्पणियां प्राप्त हुई थीं। टिप्पणियां और जवाबी टिप्पणियां भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर अपलोड की गई थी।

10. इसमें आगे दिए गए पैराओं में मुद्दे पर हितधारकों से प्राप्त हुई टिप्पणियों/राय का सारांश, इन टिप्पणियों का विश्लेषण, प्राधिकरण का मत और इंटरकनेक्शन विनियम 2012 में इस संशोधन के उद्देश्य और कारण दिए गए हैं। हितधारकों से प्राप्त कुछ टिप्पणियां, इस परामर्श अधीन मुद्दे से सीधे संबंधित नहीं है मगर ये मौजूदा विनियामक फ्रेमवर्क में संशोधनों

के लिए सुझावों की प्रकृति की हैं। ये सुझााव नोट कर लिए गए हैं और उचित समय पर इन पर अलग से विचार किया जाएगा।

हितधारकों की टिप्पणियों का विश्लेषण

पक्षों (एमएसओ और एलसीओ) का नाम और परिचालन का क्षेत्र

11. कुछ केबल ऑपरेटर एसोसिएशनों की यह राय थी कि एमएसओ को समझौते में हेड—एंड सेवा प्रदाता (एचएसपी) के नाम से संबोधित किया जाए क्योंकि एमएसओ 'पे' टीवी प्रसारकों और एफटीए चैनलों के एग्रीगेटर का एकमात्र मध्यस्थ या थोक विक्रेता है। इसी प्रकार, एलसीओ को लास्ट माइल ओनर (एलएमओ) के नाम से संबोधित किया जाए क्योंकि यह सभी उपभोक्ताओं को जोड़ने वाले नेटवर्क का निर्माण, परिचालन, अनुरक्षण और उन्नयन करता है। एक व्यक्ति का यह मत था कि केबल टीवी अधिनियम में एलसीओ और एलएमओ जैसा कोई शब्द नहीं है और यह 'केबल ऑपरेटर' है, जिस पर केबल टीवी नेटवर्क के प्रबंधन और परिचालन की जिम्मेदारी है। उसने यह सुझाव रखा कि एमएसओ के लिए एचएसपी बेहतर शब्द है। अगर एमएसओ उपभोक्ताओं को सीधे केबल सेवाएं प्रदान करता है, केवल तभी उसे केबल ऑपरेटर माना जाना चाहिए, अन्यथा इसे एचएसपी माना जाना चाहिए।

12. एलसीओ के परिचालन के क्षेत्र के संबंध में एक केबल ऑपरेटर एसोसिएशन ने सुझाव दिया कि परिचालन के क्षेत्र का नक्शा समझौते के साथ संलग्न किया जाना चाहिए।

13. केबल टीवी नेटवर्क (विनियम) अधिनियम 1995 और इसके अंतर्गत बनाई गई केबल टीवी नियमावली एमएसओ को परिभाषित करती है, जिसे निम्नानुसार पढ़ा जाता हैः—

"मल्टी सिस्टम ऑपरेटर" का आशय एक केबल ऑपरेटर से है, जिसे नियम 11सी के तहत पंजीकरण प्रदान किया गया है और जो प्रसारकों और इसके अधिकृत एजेंसियों से प्रोग्रामिंग सेवाएं प्राप्त करता है और सीधे या एक या अधिक लोकल केबल ऑपरेटरों के जरिये बहु—उपभोक्ताओं को इसे पुनःप्रसारित करता है या अपनी प्रोग्रामिंग सेवाएं प्रसारित करता है और इसमें अपनी वितरण एजेंसियों, चाहे जिस नाम से भी पुकारी जाएं, को शामिल करता है।"

14. इसी प्रकार, केबल टीवी नेटवर्क (विनियम) अधिनियम 1995 और इसके तहत बनाए गए केबल टीवी नियम के अनुसार, एलसीओ केबल सेवाएं प्रदान करने के लिए अपने परिचालन क्षेत्रों के प्रधान डाकघर में पंजीकृत होना चाहिए। चूंकि एमएसओ और एलसीओ शब्दों का प्रयोग केबल टीवी नेटवर्क (विनियम) अधिनियम, 1995 में किया जाता है, इसलिए प्राधिकरण का यह मत है कि इन ऑपरेटरों के नाम बदले जाने की आवश्यकता नहीं हैं। क्षेत्र के नक्शे को अनिवार्य बनाए जाने के संबंध में यह उल्लेख किया जाता है कि एमआईए और एसआईए, दोनों में उपयुक्त खंड पहले से मौजूद हैं, जिसमें पक्षों को क्षेत्र का नाम भरना जरूरी है। इसके अलावा, डीएएस में नाम एवं पते के साथ उपभोक्ता का विवरण उपभोक्ता प्रबंधन प्रणाली (एसएमएस) में पारदर्शी ढंग से दर्शाया जाता है और क्षेत्र संबंधी विवादों, यदि कोई हों, का समाधान करने के लिए यह पर्याप्त है। अतः इंटरकनेक्शन समझौते के साथ नक्शा सलंग्न करने से कोई सार्थक प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा बल्कि इससे केवल पक्षों के काम और लागत में वृद्धि होगी। लेकिन पक्ष आपसी समझौते से क्षेत्र का नक्शा आदर्श अंतःसंयोजन समझौते के साथ संलग्न कर सकते हैं।

समझौते की अवधि

15. समझौते की अवधि के पहलु पर एक वितरण एजेंट ने यह टिप्पणी की है कि समझौते की अवधि बढ़ाई जा सकती है बशर्ते कि बढ़ाई गई अवधि एमएसओ या एलसीओ, जो ऐसा समझौता कर रहे हैं, के पंजीकरण की वैधता की तारीख से आगे की न हों।

16. प्राधिकरण ने यह सुझाव स्वीकार किया और तदनुसार एमआईए और एसआईए के संबंधित खंड में यथोचित संशोधन कर दिया गया है।

समझौते की समाप्ति

17. समझौते की समाप्ति के पहलू पर अधिकांश एमएसओ और उनकी एसोसिएशन ने प्रस्ताव रखा है कि महत्वपूर्ण उल्लंघन के सुधार की 30 दिनों की अवधि में समाप्ति हेतु 21 दिन की नोटिस अवधि को शामिल किया जाना चाहिए। एक और एमएसओ ने यह सुझाव रखा कि महत्वपूर्ण उल्लंघन के मामले में 21 दिनों का नोटिस पर्याप्त है। उनके अनुसार, लगातार उल्लंघन के मामले में डिफॉल्ट को 30 दिनों के बाद जारी रखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और इसलिए अतिरिक्त 21 दिनों का नोटिस अपेक्षित नहीं है। वहीं एक प्रसारक एसोसिएशन ने टिप्पणी की कि उल्लंघन में सुधार करने के लिए नोटिस अवधि को 30 दिन से घटाकर 21 दिन किया जाए। एक व्यक्ति ने यह सुझाव रखा कि महत्वपूर्ण उल्लंघन/खामियों में सुधार करने की अवधि को कम करके 15 दिन किया जाए। वहीं एक केबल ऑपरेटर एसोसिएशन ने टिप्पणी की कि एमएसआईए में दिया गया समय उपयुक्त है।

18. एमएसओ द्वारा बिजनस बंद करने के परिणामस्वरूप समझौता समाप्त होने के संबंध में एक केबल ऑपरेटर एसोसिएशन ने टिप्पणी की कि बंद करने की अवधि और तत्संबंधी कारण प्रस्तुत किए जाने चाहिए और समाप्ति कम से कम 30 दिनों की पूर्व सूचना के बाद प्रभावी होनी चाहिए। एक और एसोसिएशन ने टिप्पणी की है कि अगर किसी क्षेत्र विशेष में केवल एक एमएसओ काम कर रहा है और वह अपना बिजनस बंद करना या दूसरे पक्ष को बेचना या मिलाना चाहता है तो एलसीओ के लिए अपना हेड–एंड संस्थापित करने या दूसरे एमएसओ से जुड़ने का इंतजार करने के लिए 90 दिनों का साधारण नोटिस पर्याप्त नहीं होगा।

19. प्राधिकरण ने संज्ञान लिया कि 30 दिनों की सुधार अवधि और 21 दिनों की नोटिस अवधि के परिणास्वरूप 51 दिनो के लिए जारी रखने का उल्लंघन हो सकता है और इससे चूककर्ता पक्ष को अनुचित लाभ मिल सकता है। अतः प्राधिकरण का यह मत है कि सुधार अवधि को कम करके 15 दिन किया जाए और निरंतर उल्लंघन के मामले में 21 दिन की नोटिस अवधि को इसके बाद शुरू किया जाना चाहिए। तदनुसार, संबंधित खंड में संशोधन किया गया है।

20. एक पक्ष द्वारा बिजनस समाप्त किए जाने के मामले में हितधारकों की चिंताओं पर विचार किया गया है। तदनुसार, ऐसे निर्णय के कारणों को निर्दिष्ट करते हुए लिखित नोटिस दूसरे पक्ष को देना जरूरी होगा। प्राधिकरण का यह मत है कि प्रभावित पक्ष द्वार अपने हित की रक्षा करने के लिए 90 दिन का समय पर्याप्त है। संबंधित खंड में संशोधन कर दिया गया है।

समाप्ति और अंत का प्रभाव

21. परामर्श हेतु प्रारूप समझौतों में समझौते की समाप्ति या अंत के मामले से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए संभावित खंडों पर हितधारकों से टिप्पणियां प्राप्त की गई थीं। कुछ एलसीओ एसोसिएशनों ने यह टिप्पणी की थी कि सेवाएं प्रदान करने के लिए एमएसओ से संबंधित या एलसीओ के नेटवर्क में संस्थापित एसटीबी सहित हार्डवेयर या किसी अन्य संपत्ति की सूची समझौते के साथ संलग्न की जानी चाहिए और एमएसओ पर एलसीओ को सेवा प्रदान करने में प्रयुक्त उपस्करों के दैनिक रखरखाव एवं अनुरक्षण की जिम्मेदारी होनी चाहिए। उन्होंने यह भी टिप्पणी की कि एलसीओ केवल उन हानियों की क्षतिपूर्ति करेगा जो उसकी लापरवाही/जानबूझ कर की गई क्षति के कारण हुई है। एक दूसरी एलसीओ एसोसिएशन ने यह टिप्पणी कि कि परिसंपत्तियों की परिभाषा एमएसओ और एलसीओ पर ध्यान दिए बगैर परिभाषित होनी चाहिए।

22. अधिकांश एमएसओ ने सुझाव रखा कि अगर उपभोक्ता को दिया गया एसटीबी एमएसओ की संपत्ति है तो एलसीओ द्वारा एसटीबी एमएसओ को वापस किया जाएगा। एक एलसीओ एसोसिएशन का यह मत था कि संपत्तियां सौंपना भादूविप्रा विनियमों के अनुसार उपभोक्ता द्वारा चुनी गई योजना के अधीन होगा।

23. संपत्ति सौंपने में चूक, हानियों या क्षतियों के मामले में ब्याज वसूलने के मामले पर एक एमएसओ ने यह सुझाव दिया कि 4 प्रतिशत जमा भारतीय स्टेट बैंक की आधार दर का प्रयोग किया जाए। जबकि एक व्यक्ति ने जवाबी टिप्पणी की है कि चूंकि भारतीय स्टेट बैंक की आधार दर पहले से काफी अधिक यानी लगभग 9 प्रतिशत प्रतिवर्ष है इसलिए दर

भारतीय स्टेट बैंक की आधार दर पर निर्धारित की जानी चाहिए। जबकि एक और केबल ऑपरेटर एसोसिएशन ने यह राय रखी है कि वित्तीय राशि का निर्धारण दोनों पक्षों द्वारा मिलकर लिखित में किया जाना चाहिए।

24. दूसरे पक्ष के नेटवर्क में एक पक्ष से संबंधित संपत्तियों की सूची संलग्न करने के मामले पर प्राधिकरण का यह मानना है कि पक्षों को दूसरे पक्ष के नेटवर्क में संपत्ति न केवल इंटरकनेक्शन समझौते पर हस्ताक्षर करते समय बल्कि इंटरकनेक्शन समझौता अवधि के दौरान भी संस्थापित करने की आवश्यकता होती है। अतः प्राधिकरण का यह मानना है कि पक्षों के बीच संपत्ति का कोई भी लेन–देन लिखित में या किसी अन्य सत्यापन योग्य तरीके से किया जाना चाहिए तथा इसमें ऐसी संपत्ति के मूल्य और मूल्यह्रास की दर का उल्लेख होना चाहिए। यह पर्याप्त लचीलापन मुहैया कराएगा और ऐसे लेन–देन करते समय हर बार समझौते में संशोधन करने की जरूरत नहीं होगी। यह समझौता समाप्त होने के मामले में उनके बकायों का भुगतान करने में भी पक्षों की सहायता करेगा। तदनुसार, एमआईए और एसआईए में दस्तावेज के आरंभ में उपयुक्त खंड जोड़े गए हैं।

25. प्राधिकरण ने यह टिप्पणी की है कि उपभोक्ता के परिसर में सेट टॉप बॉक्स की व्यवस्था करना उपभोक्ता द्वारा चुने गए विकल्प के लिए ग्राहक आवेदन फार्म में दी गई शर्तों द्वारा शासित होता है। इसके अलावा, उपभोक्ता द्वारा चुने गए विकल्प के आधार पर अगर एसटीबी एमएसओ से संबंधित है तो उपभोक्ता द्वारा केबल सेवाएं बंद करने के मामले में इसे लौटाने के लिए एलसीओ को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता कि उपभोक्ता ने एलसीओ को एसटीबी नहीं लौटाया है। बहरहाल, अगर उपभोक्ता ने एलसीओ को एसटीबी लौटा दिया है या एलसीओ ने इसे उपभोक्ता से प्राप्त कर लिया है तो एलसीओ इसे एमएसओ को वापस करेगा।

26. चूककर्ता पक्ष पर लगाए गए ब्याज की राशि भविष्य में चूक से बचने के लिए प्रभावी निरोधक के रूप में पूंजी और कार्य की लागत को पूरा करने में समर्थ होनी चाहिए। बाजार पद्धतियों और हितधारकों की टिप्पणियों एवं जवाबी टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण का यह मानना है कि भुगतान में चूक पर ब्याज की दर भारतीय स्टेट बैंक की आधार दर से 2 प्रतिशत अधिक होनी चाहिए।

सेवा का प्रावधान

27. सेवा के प्रावधान की शर्तें समझौते का महत्वपूर्ण भाग होती हैं, जिसमें पक्ष गैर–विशिष्टता, लागू कानून, जिसके तहत सेवा प्रदान की जाती है, जैसे सिद्धांतों का विस्तार से उल्लेख करता है। कुछ एसोसिएशनों ने यह टिप्पणी की है कि एमएसओ को एलसीओ द्वारा दिए गए अभ्यावेदन, वारंटीज और वचनबद्धता के आधार पर टीवी चैनलों के सिगनल पुनःप्रसारित करने का गैर–विशिष्ट अधिकार एलसीओ को देना चाहिए और यह समझौते में निर्धारित नियम एवं शर्तों को एलसीओ द्वारा पालन किए जाने के अध्यधीन होगा और एलसीओ आधिकारों की ऐसी सुपर्दगी को स्वीकार करता है और उन्हें स्वीकार करने के लिए सहमति व्यक्त करता है।

28. एक केबल ऑपरेटर एसोसिएशन का यह मत है कि सेवा की गुणवत्ता के न्यूनतम तकनीकी मापदंड समझौते में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट/उल्लिखित होने चाहिए। दोष और देरी के लिए वाणिज्यिक हतोत्साहन, दंड का प्रावधान साफ–साफ निर्दिष्ट होना चाहिए।

29. गैर–विशिष्टता इंटरकनेक्शन विनियमों के बुनियादी सिद्धांतों में से एक है और इसीलिए प्राधिकरण का यह मानना है कि पक्षों द्वारा इंटरकनेक्शन समझौता गैर–विशिष्टता के आधार पर किया जाना चाहिए। तदनुसार, संबंधित खंडों में यथोचित संशोधन किए गए हैं। जहां तक तकनीकी मापदंडों के संबंध में सेवा की न्यूनतम गुणवत्ता की विशिष्टि का सवाल है, तो सेवा की गुणवत्ता विनियम 2012 में तकनीकी मापदंडों के पहलू को पहले ही शामिल किया जा चुका है और दोनों पक्षों को सेवा की गुणवत्ता विनियम 2012 में निर्दिष्ट मानदंडों का पालन करना जरूरी है। अतः प्राधिकरण ने एमआइए या एसआईए में सेवा की गुणवत्ता के मापदंडों को शामिल नहीं करने का फैसला किया है।

एमएसओ के अधिकार

30. एक एलसीओ एसोसिएशन ने यह राय व्यक्त की कि उपभोक्ताओं के लिए सभी पैकेज/चैनल दरें, छूट योजनाएं, एसटीबी को किराये पर देने की योजनाएं, एमएसओ द्वारा बनाई गई सभी बिजनस योजनाएं, जिसमें एलसीओ का नेटवर्क इस्तेमाल किया जा रहा है, का निर्णय एमएसओ द्वारा एलसीओ के साथ परामर्श से किया जाना चाहिए। एलसीओ के परिचालन का क्षेत्र और उस क्षेत्र के लिए उपभोक्ताओं की पसंद बिजनस योजना बनाने में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

31. डीएएस में, एमएसओ प्रसारकों से प्रोग्रामिंग सेवा प्राप्त करता है और हेड–एंड के तकनीकी कार्य (टर्न अराउंड, इन्कोडिंग, इन्क्रिप्शन, मल्टीप्लेक्सिंग, मॉड्युलेशन, कंबाइनिंग और उपभोक्ता प्रबंधन) करता है, और इसलिए चैनलों की पैकेजिंग/प्राइसिंग की जिम्मेदारी एमएसओ की है। इसके अलावा, प्रत्येक एमएसओ एक से अधिक क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को सेवाएं प्रदान करता है। अतः प्रत्येक एलसीओ की व्यक्तिगत अपेक्षा के अनुसार, सेवाओं की कंपोजिशन या प्राइसिंग को अंतिम रूप देना व्यावहारिक नहीं होगा। अतः प्राधिकरण का यह मानना है कि सेवा की पैकेजिंग और प्राइसिंग का काम एमएसओ द्वारा ही किया जाए।

एलसीओ के अधिकार

32. कुछ एसोसिएशनों ने उल्लेख किया है कि एलसीओ के लिए स्वामित्व का अधिकार केवल उनके अपने नेटवर्क के संदर्भ में होना चाहिए। एक केबल ऑपरेटर एसोसिएशन ने सुझाव दिया है कि यह निर्दिष्टि होना चाहिए कि नेटवर्क, जिसमें फाइबर, समाक्षीय एवं वितरण उपकरणों के साथ–साथ एलसीओ से संबंधित ग्राहक शामिल हैं, और एमएसओ का वितरण नेटवर्क केवल एलसीओ प्वाइंट तक होना चाहिए। जबकि एक एलसीओ एसोसिएशन ने टिप्पणी की है कि एमएसओ से अंतिम उपयोगकर्ता तक नेटवर्क एलसीओ के नेटवर्क के रूप में परिभाषित होना चाहिए।

33. आमतौर पर केबल टीवी वितरण नेटवर्क में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क और लास्ट माइल समाक्षीय केबल नेटवर्क शामिल होता है। प्राधिकरण का मानना है कि एक पक्ष का स्वामित्व भाग तक और नेटवर्क घटकों तक सीमित होना चाहिए जो एकल पक्ष का अपना हैं। यदि एमएसओ ने एलसीओ के छोर तक नेटवर्क बिछाया है तो यह एमएसओ का होगा और उसके अनुरक्षण और रखरखाव का दायित्व एमएसओ का होगा। इसी प्रकार यदि एलसीओ लास्टमाइल का मालिक है तो उसके अनुरक्षण और रखरखाव की जिम्मेदारी एलसीओ की होगी। कोई भी पक्ष दूसरे पक्ष के उस नेटवर्क पर स्वामित्व का दावा नहीं कर सकता, जो उसका अपना नहीं है। तद्नुसार उचित खंड एमआईए और एसआईए में जोड़े गए हैं।

एमएसओ के दायित्व

34. वेब–आधारित शिकायत निवारण प्रणाली मुहैया कराने के संबंध में एक एमएसओ ने सुझाव रखा है कि एसमएसओ को वेब आधारित शिकायत निवारण प्रणाली केवल उपभोक्ताओं को मुहैया करानी चाहिए न कि एलसीओ को, क्योंकि एमएसओ ईमेल और संचार के अन्य साधनों के जरिये एलसीओ की शिकायतों पर पहले से ही निवारण कर रहे हैं। एक एलसीओ ने टिप्पणी की है कि एलसीओ की शिकायतों का निवारण की व्यवस्था शिकायत निवारण हेतु स्थानीय सांविधिक प्राधिकरण के गठन के प्रावधान के साथ मौजूद रहनी चाहिए।

35. बिल उत्पन्न करने के संबंध में एक एलसीओ एसोसिएशन ने सुझाव रखा कि एमएसओ बिलिंग चक्र की समाप्ति के 10 दिनों के भीतर एलसीओ को मुद्रित रूप में बिल भेजेगा न कि किसी सीडी ड्राइव, पेन ड्राइव या किसी अन्य रूप में। एक और एलसीओ एसोसिएशन ने टिप्पणी की कि बिलिंग एलसीओ/एलएमओ के जरिये ऑनलाइन या ऑफलाइन की जानी चाहिए क्योंकि एलसीओ/एलएमओ उपभोक्ताओं को सेवा प्रदान करते हैं और सब्सक्रिप्शन रकम एकत्रित करते हैं। एमएसओ एसोसिएशन का यह मानना था कि बिलिंग चक्र की समाप्ति से बिल भेजने की 3 दिन की अवधि कम है और इसे 7 दिन तक बढ़ाए जाने की आवश्यकता है क्योंकि एलसीओ से विवरण को एसएमएस में डालने में समय लगता है।

36. एक एलसीओ ने कहा कि एमआईए और एसआईए में मासिक प्रभार के बगैर डीमो टाइप सेट टॉप बॉक्स का एक छोटा प्रतिशत (कुल एसटीबी का 2 प्रतिशत) एलसीओ के लिए होना चाहिए।

37. एक एलसीओ एसोसिएशन ने टिप्पणी की कि पैकेज अपग्रेडिंग और डाउनग्रेडिंग सुविधा का संचालन एलसीओ द्वारा होना चाहिए।

38. एक हिट्स (HITS) ने सुझाव दिया कि केवल एफटीए चैनलों के साथ पहले से एक्टीवेट एसटीबी को 7 दिन की अनुमति दी जानी चाहिए। अगर इस अवधि के दौरान, सभी अनिवार्य विवरणों की प्रविष्टि नहीं की जाती है तो एसटीबी को डिएक्टीवेट किया जाना चाहिए।

39. एलसीओ की शिकायतों का निवारण करने के लिए वेब आधारित शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित करने के पहलू पर प्राधिकरण ने यह संज्ञान लिया है कि पक्षों के बीच कार्यों और जिम्मेदारियों के बंटवारे के आधार पर पक्षों को दायित्वों का निर्वाह करने और समझौते के अनुसार एक–दूसरे की शिकायतों का समाधान करने के लिए समय–समय पर बातचीत करते की आवश्यकता होती है। वेब आधारित शिकायत निवारण प्रणाली, ऐसी अपेक्षाओं का सर्वाधिक कुशल और किफायती ढंग से समाधान करने के तरीकों में से एक है। यह उचित उचित और पारदर्शी पद्धति को बढ़ावा देती है। प्रणाली में दर्ज शिकायतों और उनके समाधान के ट्रेल का प्रयोग पक्षों के बीच विवाद का समाधान करने में किया जा सकता है। तदनुसार, इस समझौते के प्रावधानों का प्रभावी कार्यान्वयन के लिए वेब आधारित शिकायत निवारण प्रणाली एलसीओ हेतु आवश्यक है।

40. सेवा की गुणवत्ता विनियम 2012 में एमएसओ का यह दायित्व तय किया गया है कि उपभोक्ताओं द्वारा इस्तेमाल की गई सेवा के बिल बिलिंग चक्र की समाप्ति पर एसएमएस द्वारा स्वतः उत्पन्न होने चाहिए और इसीलिए बिल उत्पन्न करने का दायित्व एलसीओ को नहीं सौंपा जा सकता है। बिलिंग चक्र की समाप्ति से बिल उत्पन्न करने की अवधि के संबंध में प्राधिकरण का यह मानना है कि 3 दिन की अवधि पर्याप्त है क्योंकि बिल एसएमएस द्वारा स्वतः उत्पन्न होते हैं। यह उपभोक्ताओं को बिल देने और तत्संबंधी भुगतान के लिए भी पर्याप्त समय मुहैया कराएगा। तद्नुसार उपयुक्त खंड एमआईए और एसआईए में उपलब्ध हैं।

41. एसटीबी में खराबी आने की स्थिति में एसटीबी की शीघ्रता से मरम्मत/रखरखाव करने के लिए एलसीओ के पास एक अतिरिक्त एसटीबी की व्यवस्था करने के संबंध में प्राधिकरण ने यह टिप्पणी की है कि सेवा की गुणवत्ता विनियम 2012 में सेवा प्रदाताओं को एसटीबी को 24 घंटे के भीतर ठीक करने/बदलने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कुछ अतिरिक्त एसटीबी, जिनका इस्तेमाल उपभोक्ताओं के परिसरों में लगे खराब एसटीबी की जगह किया जा सकता है, की व्यवस्था करने से सेवा शीघ्रता से पुनः शुरू करने में मदद मिलेगी। इससे सेवा की गुणवत्ता के अनुपालन में सुधार करने में भी मदद मिलेगी। तदनुसार, एमआईए और एसआईए पर एमएसओ की ओर से अनुरक्षण अतिरिक्त के रूप में 30 एसटीबी की उपरि सीमा के साथ एलसीओ के नेटवर्क में एक्टिव कुल एसटीबी का कम से कम 2 प्रतिशत मुहैया कराने की जिम्मेदारी रखी गई है। ये एसटीबी पहले से एक्टिव मोड में नहीं होने चाहिए। तदनुसार, एमआईए और एसआईए में उपयुक्त खंड शामिल किए गए हैं।

42. एमएसओ को लागू विनियमों/टैरिफ आदेशों के अध्यधीन चैनलों/पैकेज की कंपोजिशन और प्राइसिंग को अंतिम रूप देने का अधिकार है। बहरहाल, पक्षों के बीच संवाद को बेहतर बनाने के लिए प्राधिकरण ने एमआईए और एसआईए में एक खंड शामिल किया है जिसमें एमएसओ उपभोक्ता को दिए गए पैकेज कंपोजिशन या रिटेल टैरिफ में किसी प्रस्तावित बदलाव के बारे में एलसीओ को कम से कम 15 दिन पहले सूचित करना जरूरी है। जहां तक उपभोक्ता को ऐसे बदलाव के बारे में सूचित करने की जिम्मेदारी का सवाल है, तो यह संबंधित विनियमों के अनुसार केवल एमएसओ की जिम्मेदारी है।

43. डीएएस के पूरे लाभ लेने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि उपभोक्ता के संबंधित विवरण और चैनलों/सेवाओं के लिए उसकी पसंद को एसएमएस में डाला जाए ताकि उपभोक्ता त्रुटि रहित सेवाएं प्राप्त कर सकें। इसलिए यह जरूरी है कि उपभोक्ता का एसटीबी एसएमएस में विवरण डाले जाने के बाद ही एक्टिव किया जाए और इसलिए हितधारकों का यह अनुरोध स्वीकार्य नहीं है।

एलसीओ के दायित्व

44. एमएसओ एसोसिएशन ने टिप्पणी की है कि एलसीओ को सही प्रक्रिया का अनुसरण किए बगैर सिगनलों के अन्य वितरक के पास जाने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। उनके अनुसार, कानूनी प्रक्रिया का अनुपालन किए बगैर किसी अन्य सेवा प्रदाता के एसटीबी के साथ एमएसओ के एसटीबी को नहीं बदलने के संबंध में एलसीओ के दायित्वों में अतिरिक्त खंड जोड़ा जाना चाहिए।

45. ग्राहक आवेदन फार्म की हैंडलिंग के संबंध में एक व्यक्ति ने सुझाव दिया कि ग्राहक आवेदन फार्म की प्रति देने के स्थान पर एमएसओ को मूल ग्राहक आवेदन फार्म दिया जाना चाहिए। एक एमएसओ का मत था कि अगर एमएसओ, एलसीओ द्वारा अधिकृत व्यक्ति ग्राहक आवेदन फार्म को अपनी कस्टडी में रखेगा तो यह उपभोक्ता को इसकी मोहर लगी प्रति मुहैया कराएगा और एमएसओ/किसी अन्य सांवधिक प्राधिकारी द्वारा मांगे जाने पर ग्राहक आवेदन फार्म और किसी अन्य दस्तावेज की प्रतियां/सूचना प्रस्तुत करेगा।

46. समझौते के संबंध में अधिकारों और दायित्यों के हस्तांतरण के संबंध में एक एलसीओ एसोसिएशन का यह मत था कि एलसीओ एक स्वतंत्र बिजनस इकाई है जो उपभोक्ताओं को सेवाएं देने के लिए एमएसओ को अपना नेटवर्क प्रस्तुत कर रहा है। एमएसओ के प्रति उसका दायित्व केवल संयुक्त रूप से प्रदान की सेवाओं तक सीमित है। एलसीओ को अपना व्यापार करने के लिए किसी से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है।

47. एलीसीओ का एक एमएसओ से दूसरे एमएसओ पर माइग्रेशन के संबंध में विनियामक फ्रेमवर्क में यह प्रावधान किया गया है कि एलसीओ एक या अधिक एमएसओ के साथ इंटरनेक्शन की मांग कर सकता है और उनके बीच इंटरकनेक्शन गैर–विशिष्ट पर आधारित होगा। बहरहाल, एमएसओ के साथ किए गए इंटरकनेक्शन समझौते से बाहर निकलने के इच्छुक एलसीओ को इंटरकनेक्शन विनियम 2012 के संदर्भ में डिस्कनेक्शन और तत्संबंधी कारणों के बारे में उचित नोटिस देना चाहिए। कोई एलसीओ किसी और एमएसओ से जुड़ सकता है यदि वह अंतःसंयोजन विनियम में निर्धारित प्रावधानों को पालन करता है। अतः प्राधिकरण का मानना है कि इस संबंध में कोई विशिष्ट खंड जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है।

48. एक एमएसओ के एसटीबी को दूसरे एसटीबी से बदलने के संबंध में, प्राधिकरण ने संज्ञान लिया कि विनियामक फ्रेमवर्क में यह प्रावधान है कि उपभोक्ता द्वारा इस्तेमाल की गई सेवा को उपभोक्ता से लिखित में आवेदन प्राप्त किए बगैर नहीं बदला जा सकता। उपभोक्ता से कनेक्शन काटने हेतु अनुरोध मिलने पर संबद्ध पक्ष को एसएमएस में 24 घंटे के भीतर जानकारी डालने की आवश्यकता है। अतः प्राधिकरण का यह मानना है कि एलसीओ आवेदन फार्म के जरिये उपभोक्ता से अनुरोध प्राप्त किए बगैर एक एमएओ के एसटीबी को दूसरे एमएसओ के एसटीबी से नहीं बदलेगा। तदनुसार, एमआईए और एसआईए में उपयुक्त खंड जोड़ा गया है।

49. डीएएस के लिए विनियामक फ्रेमवर्क के अनुसार ग्राहक हर लिहाज से पूर्ण और विधिवत रूप से हस्ताक्षरित, निर्दिष्ट फार्मेट में कनेक्शन या कनेक्शन शिफ्ट करने का आवेदन दो प्रतियों में एमएसओ या इसके संबद्ध एलसीओ को प्रस्तुत कर सकता है, जो ओवदन की डुप्लीकेट प्रति आवेदन प्राप्त करने की पावती के रूप में आवेदक को वापस करेगा। दोनों पक्ष आपस में आपसी समझौते से भरे हुए आवेदन पत्र के संग्रहण के बारे में निश्चित कर सकते हैं। तद्नुसार दोनों पक्ष एमआईए में आपसी समझौते से इस संदर्भ में खंड को जोड़ा जा सकता है परंतु भरे हुए आवेदन पत्र की प्रतिलिपि 15 दिन के अंदर एमएसओ को भेजना होगा और इसके लिए एमआईए और एसआईए में प्रावधान किया गया है।

50. इस समझौते के अंतर्गत अधिकारों और दायित्वों को सौंपने या हस्तांतरण के संबंध में प्राधिकरण एलसीओ को एक स्वतंत्र बिजनस इकाई मानता है और एलसीओ को बिजनस की स्वतंत्रता का अधिकार है। इसलिए प्राधिकरण का यह मानना है कि दोनों पक्ष अपने किसी भी अधिकार या दायित्व को सौंपने या हस्तांतरित करने के लिए स्वतंत्र हैं, बहरहाल पक्षों के हितों की रक्षा करने के लिए संबंधित खंड में उपयुक्त संशोधन करके पक्षों को एक–दूसरे को अग्रिम सूचना देना अनिवार्य बनाया गया है ताकि दूसरा पक्ष अपने हितों की रक्षा करने के लिए जरूरी कदम उठा सकें। तदनुसार, एमआईए और एसआईए में संबंधित खंड में उपयुक्त संशोधन किए गए हैं।

कार्य और जिम्मेदारियां

51. परामर्श हेतु प्रारूप समझौतों में एमएसओ और एलसीओ के कार्यों और जिम्मेदारियों के विभिन्न पहलुओं पर हितधारकों की टिप्पणियां मांगी गई थी। आवेदन फार्म और अभ्यास पुस्तिका (एमओपी) के प्रकाशन के लिए फार्मेट तैयार करने के संबंध में एक केबल ऑपरेटर एसोसिएशन ने सुझाव दिया कि एमएसओ और एलसीओ, दोनों को आवेदन फार्म और एमओपी तैयार करने की आजादी दी जानी चाहिए। शिकायत निगरानी प्रणालियों के संबंध में कुछ एमएसओ एसोसिएशनों ने यह राय व्यक्त की है कि शिकायत निगरानी प्रणाली स्थापित करने की जिम्मेदारी एमएसओ के साथ–साथ एलसीओ की भी होनी चाहिए क्योंकि एलसीओ उपभोक्ताओं के सीधे संपर्क में रहते हैं और उन्हें उनके नेटवर्क के तकनीकी समस्याओं की जानकारी होती है। अवरोध के कारण छूट की प्रणाली की विशिष्टियों के संबंध में एक एमएसओ एसोसिएशन ने टिप्पणी की है कि ऐसी योजना को निर्दिष्ट करने की जिम्मेदारी सेवा की गुणवत्ता के अनुसार केवल एमएसओ के बजाय एमएसओ और एलसीओ, दोनों पर डालनी चाहिए।

52. अनूठी पहचान संख्या (यूआईएन) के संबंध में एमएसओ का यह मत है कि यह एमएसओ की जिम्मेदारी होनी चाहिए क्योंकि एसएमएस का संबंध एमएसओ से है। बहरहाल, एलसीओ यह उपभोक्ता को मुहैया कराएगा। एक व्यक्ति ने सुझाव दिया कि एलसीओ इस कार्य को नहीं कर सकता क्योंकि यूआईएन एप्लीकेशन सर्वर में जनरेट होता है, जिसकी पहुंच प्रतिबंधित है।

53. एक केबल ऑपरेटर एसोसिएशन ने टिप्पणी कि की एसटीबी बिक्री/किराया योजना, सेवा सहायता/वस्तुसूची द्वारा समर्थन/सेवा स्तर समझौता/वार्षिक अनुरक्षण संविदा के संबंध में एमएसओ की जिम्मेदारी का भी उल्लेख होना चाहिए। एक व्यक्ति ने टिप्पणी की कि एसटीबी की खरीद पूरी तरह से एमएसओ की जिम्मेदारी है और एसटीबी उचित दस्तावेज जैसे बिल वारंटी या किश्तों पर खरीद समझौता आदि देकर एलसीओ के माध्यम से उपभोक्ता को दिए जाने चाहिए। अगर उपभोक्ता का एसटीबी सही ढंग से काम नहीं करता है या इसे बदलने/मरम्मत की आवश्यकता है तो इसके लिए एमएसओ द्वारा एलसीओ को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए।

54. उपभोक्ता को केबल सेवाएं बंद करने या काटने के संबंध में 15 दिन के अग्रिम नोटिस के संबंध में एक एलसीओ एसोसिएशन ने टिप्पणी की कि उपभोक्ता को केबल सेवाएं बंद करने या काटने के संबंध में 15 दिन के अग्रिम नोटिस देने की जिम्मेदारी एमएसओ की होनी चाहिए। सेवा बंद करने के संबंध में उपभोक्ता से अनुरोध प्राप्त करने के संबंध में एक व्यक्ति ने टिप्पणी की है कि केबल ऑपरेटर इसे नहीं कर सकता क्योंकि एप्लीकेशन सर्वर तक उनकी पहुंच नहीं है।

55. प्राधिकरण ने संज्ञान में लिया कि डीएएस पर लागू विनियामक फ्रेमवर्क पक्षों को व्यापार करने की छूट और लचीलापन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराता है। साथ ही साथ प्राधिकरण ने पाया कि एमएसओ और एलसीओ के संबंध में एलसीओ केबल सेवाएं प्रदान करने के लिए सामान्यतः उपभोक्ताओं से संपर्क रखता है जबकि एमएसओ ऐसे कार्य करता है जो कि एसएमएस और अन्य संबंधित सिस्टमों पर आधारित है। यह सुनिश्चित करने के लिए उपभोक्ता को दी जा रही सेवा की गुणवत्ता से कोई समझौता न किया जाए, इस संबंध में पक्षों को लचीलापन मुहैया कराने के संबंध में प्राधिकरण का मानना है कि पक्ष एमआईएस के खंड 10 के तहत सूचीबद्ध जिम्मेदारियों के खंडों पर परस्पर सहमति द्वारा उपभोक्ताओं को दी जाने वाली केबल सेवा के प्रावधान के लिए एक इंटरकनेक्शन समझौता कर सकते हैं। पक्ष एमआईए के किसी खंड को हटाए या बदले बगैर कोई अतिरिक्त शर्त निर्धारित करने के लिए परस्पर सहमति द्वारा एमआईए में अतिरिक्त

खंड जोड़ सकते हैं बशर्ते कि ऐसी अतिरिक्त शर्त एमआईए में यथा निर्धारित किसी शर्त के प्रभाव को कम नहीं करेगी। बहरहाल, प्राधिकरण ने एसआईए में प्रत्येक जिम्मेदारी को अलग–अलग निर्धारित किया है। एसआईए में एलसीओ को उपभोक्ता केन्द्रित जिम्मेदारियां दी गई हैं जबकि एमएसओ को वो जिम्मेदारियां दी गई हैं जो उपभोक्ताओं के लिए बिलिंग सहित प्रसारकों और एसएमएस से सीधे जुड़ी हुई है।

56. आवेदन फार्म बनाने के संबंध में प्राधिकरण ने पाया कि कंडीशनल एक्सेस सिस्टम सहित हेडएंड और एसएमएस की स्थापना और अनुरक्षण एमएसओ के द्वारा किया जाता है और एमएसओ टीवी चैनलों के पुनः प्रसारण के लिए प्रसारकों से अंतःसंयोजन करार करते हैं इसलिए चैनलों और पैकेजों का मूल्य और उनकी संरचना का निर्धारण एमएसओ के द्वारा ही किया जाना चाहिए। आवेदन फार्म बनाने के संबंध में सभी पक्ष परस्पर समझौते के आधार पर केबल टीवी कनेक्शन के कनेक्शन, डिस्कनेक्शन, रिकनेक्शन और शिफ्टिंग और एसटीबी लेने और वापस करने के लिए आवेदन का फार्मेट बनाने के लिए स्वतंत्र हैं। बहरहाल, ऐसा फार्मेट बनाते समय, एमएसओ द्वारा अंतिम रूप से यथा तैयार चैनलों/पैकेजों की प्राइसिंग और कंपोजिशन से संबंधित सूचना को ग्राहक आवेदन फार्म में शामिल किया जाएगा। एमआईए में पक्ष एसटीबी प्राप्त करने और लौटाने की योजनाओं और इसकी वारंटी/मरम्मत नीति का प्रचार करने की जिम्मेदारी साझा कर सकते हैं। विनियामक फ्रेमवर्क के अनुसार इन योजनाओं का ब्यौरा एमओपी में भी प्रकाशित करना जरूरी होगा। एसआईए में यह जिम्मेदारी मौजूदा परिपाटी के अनुसार एमएसओ को दी गई है। बहरहाल, यह प्रावधान किया गया है कि एमएसओ ऐसी प्रकाशित योजनाओं की प्रति एलसीओ को उनकी सूचना के लिए और आगे उपभोक्ताओं को सूचित करने के लिए मुहैया कराएगा।

57. सेवा की गुणवत्ता के संदर्भ में वेब आधारित शिकायत निगरानी प्रणाली की स्थापना के संबंध में, सेवा गुणवत्ता के मापदंडों की समग्र जिम्मेदारी एमएसओ की है। बहरहाल, पक्षों द्वारा इंटरकनेक्शन समझौतों के द्वारा इसे साझा किया जा सकता है। तदनुसार, प्राधिकरण का मानना है कि एमआईए के संदर्भ में शिकायत निगरानी प्रणाली की स्थापना की जिम्मेदारी को साझा कर सकते हैं। बहरहाल, एसआईए में इसकी जिम्मेदारी एमएसओ को दी गई है।

58. सेवा में बाधा के कारण उपभोक्ताओं के लिए छूट या रियायत की प्रणाली की विशिष्टियों के संबंध में चूंकि उपभोक्ताओं के लिए पैकेजिंग, प्राइसिंग और बिल भेजने की जिम्मेदारी एमएसओ की है इसलिए एमएसओ ऐसी योजनाओं को अंतिम रूप देगा और इसकी सूचना एलसीओ को देगा ताकि वे इसे आगे उपभोक्ताओं तक पहुंचा सकें। एसआईए में यह जिम्मेदारी एमएसओ को सौंपी गई है। बहरहाल दोनों पक्ष इस जिम्मेदारी को एमआईए में साझा कर सकते हैं।

59. आवेदकों को यूआईएन देने के संबंध में प्राधिकरण ने पाया कि यूआईएन एसएमएस से स्वतः उत्पन्न होता है। जहां पर यूआईएन देने की जिम्मेदारी एलसीओ को दी जाती है, वहां एमएसओ यह सुनिश्चित करेगा कि वह एलसीओ को एसएमएस का उचित भाग मुहैया कराए जिससे एलसीओ समझौते के अंतर्गत जिम्मेदारी पूरी कर सके। जहां यह जिम्मेदारी एमएसओ की है वहां एमएसओ एसएमएस का उचित भाग एलसीओ को देगा जिससे एलसीओ यूआईएन के बारे में जानकारी पा सकेगा। तद्नुसार संबंधित खंड में उचित परिवर्तन किया गया है।

60. डीएएस में उपोक्ताओं को केबल सेवाएं बंद करने या काटने के सबंध में 15 दिन पहले नोटिस जारी करने के संबंध में यह एमएसओ है जो स्क्रॉल्स के जरिये उपभोक्ताओं को सूचना प्रदान कर सकता है। प्राधिकरण का यह मानना है कि एमएसओ उपभोक्ताओं को ऐसा नोटिस जारी करने से पहले एलसीओ को सूचित करेगा। एलसीओ द्वारा निरोधक अनुरक्षण के लिए सिगनलों के अवरोध के संबंध में उपभोक्ता को सूचित करने के संबंध में एलसीओ एमएसओ को सूचित करेगा ताकि वह उपभोक्ताओं को सूचना देने में समर्थ हो सकें। यह उपभोक्ताओं के लिए सेवा की बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित करेगा। तदनुसार, एमआईए और एसआईए में जरूरी संशोधन किए गए हैं।

बिलिंग

61. एक केबल ऑपरेटर एसोसिएशन ने टिप्पणी की कि एमएसओ वाईवाईवाई एमएसओ द्वारा समर्थित एक्सएक्सएक्स एलसीओ के रूप में पठित एलसीओ के साथ संयुक्त नाम से बिल उत्पन्न करेगा। एमएसओ एलसीओ को अंतःसंयोजन

करार के आधार पर हर माह एक बीजक देगा जिसमें उपभोक्ता संख्या के बारे में विवरण होगा। एक दूसरी केबल ऑपरेटर एसोसिएशन की राय है कि एकल बिल बनाने के लिए एमएसओ द्वारा एलसीओ को समेकित उपभोक्ता आईडी–वार बिल दिए जाने चाहिए और किसी पूर्वदत्त भुगतान की अनुमति नहीं होनी चाहिए। एमएसओ ने टिप्पणी की कि एलसीओ को बिल जारी करने चाहिए और सब्सक्रिप्शन भुगतान प्राप्त करने चाहिए। एक हिट्स ऑपरेटर ने कहा कि ट्रांसफर प्राइसिंग कार्यान्वित की जानी चाहिए जिसमें एमएसओ उपभोक्ता को बिल प्रस्तुत करेगा और इसे एलसीओ को सौंपेगा और एमएसओ कुल राशि में अपने शेयर के लिए एलीसीओ को बिल/खाता विवरण भी प्रस्तुत करेगा ताकि एलसीओ एमएसओ को वास्तविक आधार पर भुगतान कर सकें। प्रसारक ने टिप्पणी की है कि एमएसओ को अवधि के लिए बिलिंग की सूचना उपभोक्ताओं को देनी चाहिए और उपभोक्ताओं या एलसीओ को रिचार्ज करने में समर्थ बनाने के लिए अपने या एलसीओ के साथ टर्मिनल स्थापित करेगा क्योंकि यह त्वरित कलेक्शन और प्रीपेड बिलिंग को प्रोत्साहित करेगा।

62. करों के भुगतान के संबंध में एमएसओ ने कहा है कि 'संबंधित कर प्राधिकरणों के लागू नियमों एवं विनियमों के अनुसार' इसे इस खंड में जोड़ा जाए। और यह एमएसओ या एलसीओ की जिम्मेदारी होगी क्योंकि एक समय पर दोनों को एक साथ जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। एक एलसीओ एसोसिएशन का मानना है कि कर भुगतान संबंधित जिम्मेदारियों का विशिष्ट विवरण, संबंधित कर प्राधिकरणों के नियमों और विनियमों के अनुसार समझौते पर हस्ताक्षर करते समय साथ वाले सेल्स में भरा जाए। जबकि एक एलसीओ एसोसिएशन ने टिप्पणी की है कि बिल उत्पन्न करने वाली इकाई को करों का भुगतान करना चाहिए।

63. हितधारकों की उपरोक्त टिप्पणियों से एक चीज बिल्कुल स्पष्ट है कि उपभोक्ताओं की बिलिंग विभिन्न तरीकों से की जा सकती है और विभिन्न पक्षों की अलग–अलग अपेक्षाएं/आवश्यकताएं हैं। एक चीज कॉमन है कि प्रत्येक हितधारक हरेक पक्ष को सौंपी गई बिलिंग की जिम्मेदारी की उचित पहचान में रूचि रखता है। मुद्दे और सेवा की गुणवत्ता विनियम, 2012 के संबंध में हितधारकों के उत्तरों को ध्यान में रखते हुए एमआईए में पर्याप्त लचीलापन मुहैया कराया गया है। बिलों पर पक्ष (पक्षों) का नाम छपवाने का निर्णय पक्षों को लेना है। एमआईए में पक्ष अपनी जरूरत के अनुसार और खंड जोड़ सकते हैं। बहरहाल, यह नोट किया जाए कि अगर बिल पर एलसीओ का नाम प्रदर्शित होता है तो बिल पर एमएसओ का सेवा कर पंजीकरण नंबर और मनोरंजन कर पंजीकरण नंबर छपा होना चाहिए जैसा कि सेवा की गुणवत्ता विनियम 2012 द्वारा अधिदेशित है और संबंधित कर प्राधिकरणों के लागू नियमों एवं विनियमों का भी अनुपालन किया जाना चाहिए। एसआईए में बिल एमएसओ के नाम में जारी किए जाएंगे।

64. सेवा की गुणवत्ता विनियम 2012 में यह प्रावधान है कि प्रत्येक एमएसओ की जिम्मेदारी होगी कि वह उपभोक्ताओं के लिए बिल उत्पन्न करें और यह जिम्मेदारी एलसीओ के साथ साझा नहीं की जा सकती। उपभोक्ताओं को बिल और रसीद पहुंचाने की पूरी जिम्मेदारी एमएसओ की है। बहरहाल परस्पर समझौते के मामलों में पक्ष उपभोक्ता को बिल और रसीद पहुंचाने की जिम्मेदारी साझा कर सकते हैं। पक्ष उपभोक्ताओं से सब्सक्रिप्शन राशि प्राप्त करने और और जमा करने की जिम्मेदारी भी साझा कर सकते हैं और ऐसे मामलों में संबंधित पक्ष (एलसीओ या एमएसओ, जैसा भी मामला हों) प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर जारी विनियमों/निदेशों के अनुसार, एसएमएस में सूचना तुरंत अपडेट करेगा। पक्षों द्वारा एसआईए के जरिये इंटरकनेक्शन समझौता करने के मामले में बिल और रसीद मुहैया कराने और एसएमएस में भुगतान के विवरण डालने की जिम्मेदारी एमएसओ की है।

65. सेवा की गुणवत्ता विनियम 2012 के तहत बिल में वसूले गए करों की दर सहित सब्सक्रिप्शन राशि, लागू करों जैसे सेवा कर, मनोरंजन कर आदि के विवरण का उल्लेख होना चाहिए। प्राधिकरण ने देखा है कि कर अनुपालन का दायित्व मनोरंजन कर के संबंध में अलग–अलग राज्य में अलग–अलग है। अतः प्राधिकरण का मानना है कि उपरोक्त कारणों से पक्ष विशेष को कर अनुपालन के लिए उत्तरदायी ठहराना संभव नहीं है। इसलिए प्राधिकरण ने एसआईए में इसे खुला रखा है और पक्षों को अपने–अपने राज्यों में लागू कर नियमों एवं विनियमों के अनुसार कर भुगतान संबंधी जिम्मेदारियां

तय करने की छूट दी है। कर भुगतान संबंधी जिम्मेदारियों का विशिष्ट विवरण समझौते पर हस्ताक्षर करते समय 'कार्य और जिम्मदारियां' के तहत खंड 10 उप–खंड 24 में भरना जरूरी होगा।

66. लेखा रिकॉर्ड को रखने के लिए, प्राधिकरण का मत है कि पक्ष, जिसके नाम पर सब्सक्राइबर को बिल देने की सहमति हुई है, उपभोक्ता के द्वारा भुगतान किए गए सब्सक्रिप्शन फीस को प्राप्त करेगा और दूसरा पक्ष अपने राजस्व के हिस्से की प्राप्ति के लिए उस पक्ष को बीजक देगा। तद्नुसार संबंधित प्रावधान किया गया है।

राजस्व निपटान

67. एक एलसीओ एसोसिएशन ने टिप्पणी की कि राजस्व शेयर शब्द को विस्तार से परिभाषित किया जाना चाहिए और यह सभी हितधारकों द्वारा शेयर किया जाना चाहिए क्योंकि प्रसारक एमएसओ और विज्ञापनों से राजस्व जनरेट करते हैं और एमएसओ कैरेज फीस, प्लेसमेंट फीस, विज्ञापन फीस और एलसीओ से राजस्व के रूप में राजस्व जनरेट करते हैं जबकि एलसीओ केवल सब्सक्रिप्शन राशि से राजस्व जनरेट करते हैं। एक दूसरी एलसीओ एसोसिएशन ने सुझाव दिया कि राजस्व की परिभाषा (ग्राहक बिलिंग, प्लेसमेंट फीस और विज्ञापन आय सहित) एमएसओ और एलसीओ द्वारा मिलकर तय की जाए।

68. एक एलसीओ एसोसिएशन का यह मत था कि राजस्व शेयर सीएएस मॉडल की तरह होना चाहिए और उपभोक्ताओं के लिए पे चैनलों का एमआरपी सीएएस प्रणाली के जैसा होना चाहिए जिसमें 100 प्रतिशत एफटीए राजस्व एलसीओ को उसके मूल सेवा प्रभारों के रूप में दिया गया था। एक दूसरी एलसीओ एसोसिएशन ने टिप्पणी की कि सब्सक्रिप्शन राजस्व शेयरिंग का फैसला एमएसओ और एलसीओ मिलकर करना चाहिए।

69. वैल्यू चेन में प्रत्येक हितधारक के लिए राजस्व के एक से अधिक स्रोत हो सकते हैं। यहां तक कि एलसीओ अकेला या एमएसओ/इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (आईएसपी) के साथ मिलकर ब्रॉडबैंड सेवाएं और अन्य उभरती मूल्य संवर्धित गृह निगरानी जैसी सेवाएं मुहैया कराने के लिए उसी नेटवर्क का इस्तेमाल करके अतिरिक्त राजस्व जनरेट कर सकते हैं। एकीकृत इकाइयों के मामले में सेटलमेंट उद्देश्य के लिए राजस्व के सभी स्रोतों को संयोजित करना मुमकिन है और स्वतंत्र इकाइयों के मामले में यह संभव नहीं है क्योंकि यह मामला विचाराधीन है। प्रधान से प्रधान के आधार पर एमआईए और एसआईए पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। प्रत्येक इकाई एकल आधार पर बाजार में प्रतिस्पर्धा करने में समर्थ होनी चाहिए। और इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि पक्ष को जिम्मेदारियों और बाजार दशाओं को शेयर करने के दृष्टिगत पूर्ण शर्त या प्रतिशत शर्त या दोनों के संयोजन के तहत विशिष्ट रकम, राजस्व के स्वतंत्र स्रोत का निर्णय मिलकर लेना चाहिए। इसलिए राजस्व शब्द की परिभाषा के संबंध में हितधारकों के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जा सकता।

70. विनियामक फ्रेमवर्क में यह प्रावधान पहले से है कि राजस्व सेटलमेंट का निर्णय परस्पर समझौते के जरिये किया जाना चाहिए। टैरिफ आदेश में उस तरीके का निर्धारण किया गया है जिसके अनुसार पक्षों के बीच परस्पर समझौता नहीं होने के मामले में राजस्व शेयर का निर्धारण किया जाएगा। अतः प्राधिकरण का यह मानना है कि पक्षों को राजस्व सेटलमेंट आपस में मिलकर करना चाहिए और इसके तौर–तरीके उनके बीच साझा जिम्मेदारियों के अनुसार होने चाहिए। पक्षों के द्वारा की जाने वाली सभी गतिविधियों को अंतःसंयोजन करार में स्पष्ट तरीके से परिभाषित किया जाना चाहिए और राजस्व हिस्से का निर्धारण और उसके तरीके को भी एमआईए में स्पष्ट तरीके में परिभाषित किया जाना चाहिए। एसआईए में एमएसओ को सब्सक्राइबर के बिल एवं भुगतान की पूरी जानकारी एलसीओ को देनी होगी। एलसीओ अपने हिस्से की राजस्व प्राप्ति हेतु एमएसओ को बीजक प्रदान करेगा।

चूक

71. पक्षों द्वारा भुगतान में चूक के संबंध में एक एमएसओ ने सुझाव दिया कि साधारण ब्याज की दर एसबीआई की ब्याज की आधार दर जमा चार (4 प्रतिशत) होगी। एक एमएसओ एसोसिएशन ने टिप्पणी की है कि राजस्व सेटलमेंट के संबंध में एलसीओ द्वारा लगातार दो चूक के मामले में एमएसओ एलसीओ से अग्रिम जमा करने के लिए कह सकता है।

72. प्राधिकरण का यह मानना है कि भुगतान में विलंब/चूक को हतोत्साहित करने के लिए उचित अर्थदंड लगाए जाने चाहिए। प्राधिकरण द्वारा निर्धारित एसबीआई की आधार दर से ऊपर 2 प्रतिशत की ब्याज दर उचित है और एमआई एवं एसआईए में किए गए प्रावधानों के अनुसार है।

73. प्राधिकरण ने टिप्पणी की कि भुगतान में विलंब या चूक का मुद्दा प्रमुख मुद्दों में से एक है जिनकी वजह से पक्षों के बीच विवाद होता है। इस समस्या का समाधान करने के लिए प्राधिकरण का यह मानना है कि अगर लगातार तीन महीनों तक कोई पक्ष देय तारीख पर या पहले भुगतान करने में विफल रहता है तो दूसरे पक्ष को ब्याज मुक्त प्रतिभूति जमा मांगने का अधिकार होगा जो पिछले छह माह के बिलों की राशि के औसत से अधिक नहीं होगी और इसे समझौता की शेष अवधि के लिए रखा जाएगा। तदनुसार, एमआईए और एसआईए में उचित खंड जोड़े गए हैं।

वचनपत्र

74. एमएसओ संघ, कुछ एमएसओ तथा एक व्यक्ति ने टिप्पणी की कि लोगो (प्रतीक चिन्ह) का प्रयोग करने के लिए एलसीओ को एमएसओ का फ्रैचाइजी माना जाना चाहिए।

75. प्राधिकरण ने पाया है कि एमएसओ तथा एलसीओ एक स्वतंत्र पंजीकृत कंपनी हैं तथा कोई भी एलसीओ अपने नेटवर्क में एक या एक से अधिक एमएसओ के सिग्नल कैरी कर (ले जा) सकता है। अतः प्राधिकरण का मत है कि एक पक्ष(पार्टी) को अन्य पक्ष (पार्टी) की फ्रैचाइजी नहीं कहा जा सकता है। करार में प्रत्येक पक्ष (पार्टी) की भूमिका एवं दायित्वों को अवश्य परिभाषित किया जा जाना चाहिए।

पायरेसी की रोकथाम

76. सिगनल की पायरेसी की रोकथाम करना इस क्षेत्र का प्रमुख मामला है। एक एमएसओ ने अनुरोध किया कि पायरेसी की रोकथाम करने के लिए भारी जुर्माने का प्रावधान किया जाए। कुछ प्रसारकों ने सुझाव रखा कि अगर पायरेसी का पता लगें तो तुरंत कनेक्शन काटने की अनुमति दी जाए, एमएसओ को चोरी के उचित प्रमाण प्रस्तुत करने चाहिए।

77. प्राधिकरण ने टिप्पणी की कि चोरी रोकने के लिए विनियामक फ्रेमवर्क के साथ–साथ केबल टीवी नेटवर्क (विनियम) अधिनियम, 1995 में पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं। समझौते के अधीन, दोनों पक्षों का दायित्व है कि वे इसका पालन करें। इसलिए प्राधिकरण का यह मानना कि एमआईए और एसआईए में कोई अतिरिक्त खंड जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है।

दावा परित्याग, क्षतिपूर्ति एवं विवाद समाधान

78. एक एलसीओ एसोसिएशन ने टिप्पणी की कि चूंकि टीडीसैट केवल दिल्ली में है और एलसीओ दूरवर्ती क्षेत्रों में मौजूद हैं इसलिए समय पर टीडीसैट तक पहुंचना संभव नहीं है। एलसीओ को समाधान के लिए स्थानीय न्यायालय में जाने की अनुमति दी जानी चाहिए। भादूविप्रा में तदनुसार संशोधन किया जाए ताकि दूरवर्ती क्षेत्रों के एलसीओ अपने राज्य में तुरंत समाधान प्राप्त कर सकें। एक व्यक्ति ने टिप्पणी की कि समझौते में एक मध्यस्थता खंड शामिल किया जाए।

79. स्थानीय न्यायालय के न्यायाधिकार क्षेत्र और टीडीसैट की खंडपीठ स्थापित करने के संबंध में हितधारक द्वारा उठाया गया मुद्दा वर्तमान परामर्श का विषय नहीं है। जहां तक मध्यस्थता खंड का संबंध है, भादूविप्रा अधिनियम में माननीय टीडीसैट द्वारा सेवा प्रदाताओं के बीच विवादों के निबटारे का उल्लेख किया गया है। प्राधिकरण मत है कि सेवा प्रदाताओं के बीच विवाद के समाधान के लिए अलग से आर्बिट्रेटर की आवश्यकता नहीं।

अपरिहार्य घटना एवं नोटिस

80. कुछ एमएसओ ने सुझाव दिया कि नोटिस ईमेल या कोरियर के द्वारा भी भेजे जा सकते हैं।

81. प्राधिकरण ने सुझाव नोट कर लिया है और नोटिस भेजने के दूसरे तरीके के रूप में डाक विभाग की स्पीड पोस्ट सेवा को शामिल करने के लिए संबंधित खंड में जरूरी संशोधन किया गया है।

82. प्राधिकरण ने पाया कि किसी पक्ष के रजिस्ट्रेशन के निरस्तीकरण की स्थिति में दूसरे पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह अंतःसंयोजन करार को खत्म कर सके। अतः अपरिहार्य घटना खंड में इस स्थिति को शामिल किया गया है। तद्नुसार उपयुक्त संशोधन एमआईए और एसआईए में किया गया है।

हस्तांतरण पर प्रतिबंध

83. एक एलसीओ एसोसिएशन ने राय व्यक्त की कि इस पर उस सीमा तक प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, जहां तक एक–दूसरे की नेटवर्क सुविधाओं को साझा और इस्तेमाल किया जा रहा है।

84. केबल टीवी सेवाएं प्रदान करने के लिए एलसीओ और एमएसओ, दोनों पंजीकृत स्वतंत्र इकाइयां हैं और वे अपने नेटवर्कों/प्रणालियों की स्वामी हैं तथा यह खंड उसके अनुरूप है।

सामान्य टिप्पणियां

85. एक एलसीओ एसोसिएशन ने टिप्पणी की कि एमएसओ को उसके द्वारा मुहैया कराए गए ट्रांसमिशन की विफलता के मामले में स्थानीय कार्यक्रम और डीडी चैनलों के लिए एलसीओ को कम से कम 2 से 3 अतिरिक्त आवृत्तियां मुहैया करानी चाहिए। एसोसिएशन ने यह भी टिप्पणी की कि एमएसओ द्वारा चैनल पैकेजिंग में कोई बदलाव करने से पहले एलसीओ को सूचित किया जाना चाहिए।

86. एक एलसीओ एसोसिएशन ने कहा कि समझौते की भाषा अंग्रेजी के साथ–साथ हिंदी या स्थानीय भाषा होनी चाहिए।

87. एक एलसीओ एसोसिएशन ने राय व्यक्त की कि इंटरकनेक्शन समझौते में एक और उप–खंड 'एमएसओ और एलसीओ के बीच सहयोग और समन्वय' जोड़ा जाना चाहिए जो डिजिटलीकरण मोड में बिजनस और डिजिटलीकरण को बनाए रखने के लिए केबल टीवी उपभोक्ताओं को सर्वश्रेष्ठ सेवा और कंटेंट प्रदान करने के उद्देश्य की साझा भावना में सफलता हासिल करने के लिए पक्षों को बाध्य करता है।

88. एफटीए और दूरदर्शन चैनलों का प्रसारण करने के लिए एलसीओ को 2 से 3 अतिरिक्त आवृत्तियां देने के संबंध में प्राधिकरण ने यह टिप्पणी की कि डीएएस में यह एमएसओ है जो टीवी चैनलों के सिगनलों को इन्क्रिप्ट रूप में डाउनलिंकिंग और पुन–प्रसारित कर सकता है। डीएएस क्षेत्र में एलसीओ द्वारा चैनल डालने के संबंध में प्राधिकरण का यह मानना है कि पक्ष डिजिटली एड्रेसेबल इन्क्रिप्ट फार्मेट में ऐसे चैनलों का प्रसारण सुनिश्चित करने के लिए एक उपयुक्त और तकनीकी रूप से व्यावहारिक व्यवस्था कर सकते हैं। एमआईए में पक्ष परस्पर समझौते के जरिये केबल टीवी अधिनियम 1995 और नियमावली के वर्तमान प्रावधानों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर अतिरिक्त शर्तों को शामिल कर सकते हैं।

89. समझौते की भाषा के संबंध में प्राधिकरण का यह मानना है कि दोनों पक्ष द्विभाषिक समझौते पर सहमत हो सकते हैं, जिसमें एक भाषा अंग्रेजी होनी जरूरी है क्योंकि माननीय टीडीसैट में इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। खंड की व्याख्या के संबंध में विवाद होने के मामले में समझौते के अंग्रेजी संस्करण को वरीयता दी जाएगी।

90. प्राधिकरण ने टिप्पणी की कि इंटरकनेशन समझौते के जरिये पक्ष अपने अधिकार, कार्य और जिम्मेदारियां तय करें, जिनका उद्देश्य विनियमों के आशय के संदर्भ में उपभोक्ताओं को सेवाएं मुहैया कराना हों। प्राधिकरण का यह मानना है कि परस्पर जुड़े पक्ष एमआईए में विनियमों के अनुपालन में जरूरी समझे जाने पर 'एमएसओ और एलसीओ के बीच सहयोग और समन्वय'' पर अतिरिक्त खंड शामिल करने के लिए सहमत हो सकते हैं।

91. यह देखा गया है कि कभी–कभी एमएसओ और एलसीओ के बीच बिजनस ट्रांजेक्शन लिखित में नहीं किए जाते हैं और ये मौखिक आधार पर किए जाते हैं जिसके परिणामस्वरूप उनके बीच बार–बार विवाद होता है। इसलिए प्राधिकरण का

यह मानना है कि पक्षों के बीच प्रत्येक ट्रांजेक्शन लिखित में या किसी अन्य सत्यापन योग्य रूप में किए जाने चाहिए ताकि विवाद कम से कम किए जा सकें। तदनुसार, एमआईए और एसआईए में खंड जोड़ा गया है।

एमआईए और एसआईए में उपबंध शामिल करने के लिए विनियम में संशोधन के कारण

92. प्राधिकरण ने माना है कि एमआईए और एसआईए के उपबंधों को शामिल करने के लिए इंटरकनेक्शन विनियम 2012 में संशोधन करना अपेक्षित है।

93. केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियम) अधिनियम,1995 और उसके तहत बनाए गए केबल टीवी नियम के अनुसार, एमएसओ सीधे या एक या अधिक संबद्ध एलसीओ के माध्यम से टीवी चैनल के सिगनल उपभोक्ता को मुहैया करा सकता है। एलसीओ उभोक्ताओं को केबल टीवी सेवाएं मुहैया कराने के लिए एक पंजीकृत इकाई है। इंटरकनेक्शन विनियम 2012 में एलसीओ को टीवी चैनलों के सिगनल प्राप्त करने के अधिकार प्रदान किए गए हैं। बहरहाल, एलसीओ को सिगनल प्राप्त करने के लिए एमएसओ को लिखित में अनुरोध करना अपेक्षित है। एमएसओ को लिखित इंटरकनेक्शन समझौता करने के बाद एलसीओ को टीवी चैनलों के सिगनल मुहैया कराना जरूरी है। इस संशोधन में प्राधिकरण ने यह अधिदेश दिया है कि एलसीओ से लिखित में अनुरोध प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों के अंदर एमआईए और एसआईए के संदर्भ में पक्षों द्वारा इंटरनकेक्शन समझौता किया जाएगा और मौजूदा प्रावधानों के अनुसार टीवी चैनलों के सिगनल लिखित अनुरोध प्राप्त होने की तारीख से 60 दिनों के अंदर एलसीओ को मुहैया कराए जाएंगे। तदनुसार, विनियम में संशोधन किए गए हैं।

94. इंटरकनेक्शन विनियम, 2012 के अनुसार एमएसओ और एलसीओ को उपभोक्ताओं को केबल टीवी सेवाएं देने से पहले एक इंटरकनेक्शन समझौता करना होगा। पक्ष एमआईए के अनुसार इंटरकनेक्शन समझौता कर सकते हैं या एसआईए की शर्तों का कड़ाई से पालन करते हुए समझौते पर हस्ताक्षर करके ऐसा कर सकते हैं। एमआईए मूल रूप से समझौता का एक फार्मेट है जो पक्षों को विनियामक फ्रेमवर्क के अनुरूप प्रक्रियाबद्ध ढंग से आपसी समझौता करने में समर्थ बनाता है। उद्योग की परिपाटी के अनुसार, पक्ष सामान्यतः निम्नलिखित के संदर्भ में अपनी वाणिज्यिक शर्तों पर बातचीत करते हैं (i) जिम्मदारियों को साझा करना (ii) बिलिंग और/या (iii) राजस्व सेटलमेंट। संशोधन इन पहलुओं पर पूर्ण लचीलापन मुहैया कराता है क्योंकि पक्ष एमआईए के खंड 10 (कार्य और जिम्मेदारियां), 11 (बिलिंग) और/या 12 (राजस्व सेटलमेंट) में संशोधन करके लिखित इंटरकनेक्शन समझौता कर सकते हैं। उन्हें कोई नई शर्त निर्धारित करने के लिए आपसी सहमति द्वारा एमआईए में अतिरिक्त खंड जोड़ने की स्वतंत्रता है। बहरहाल, यह अधिदेशित किया गया है कि पक्षों को यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसे किसी परिवर्धन के कारण एमआईए में निर्धारित किसी शर्त का प्रभाव कम/समाप्त नहीं होना चाहिए। यह पक्षों को विनियामक फ्रेमवर्क द्वारा उन्हें दिए गए अधिकारों और दायित्वों पर दृंढ रहने और विवादों से बचने में सहायक होगा। अगर पक्ष एसआईए की शर्तों पर इंटरकनेक्शन करने का फैसला करते हैं तो कोई परिवर्धन और इसमें दिए गए खंड में परिवर्तन या विलोपन की अनुमति नहीं होगी। तदनुसार, एमआईए और एसआईए के लिए फार्मेट मुहैया कराने के लिए अनुसूची IV और V को शामिल करने के लिए विनियम 3 के उप—विनियम 14 और विनियम 5 के उप—विनियम 13 में संशोधन किए गए हैं।

95. इंटरनेक्शन विनियम 2012 के उप—विनियम 15 और 16 राजस्व सेटलमेंट के तौर—तरीके निर्दिष्ट करते हैं। इसमें यह प्रावधान है कि एमएसओ वर्तमान देय भुगतानों और बकायों, यदि कोई हों, का स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हुए एलसीओ एक बिल प्रस्तुत करेगा। एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को बिल प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी पक्षों के बीच वाणिज्यिक समझौते की प्रकृति पर निर्भर करती है। चूंकि एमआईए में राजस्व सेटलमेंट की शर्तें परस्पर बातचीत के लिए पक्षों पर छोड़ दी गई हैं, इसलिए बिल प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी पक्षों द्वारा परस्पर सहमति वाले समझौते पर निर्भर करेगी। इस दृष्टि से प्राधिकरण ने इन उप—विनियमों को हटाने का निर्णय लिया है। इसलिए इस संशोधन के साथ पक्ष एमआईए के अनुसार इस जिम्मेदारी पर मिलकर निर्णय ले सकते हैं या एसआईए का पालन कर सकते हैं जिसमें राजस्व सेटलमेंट खंड के तहत ये जिम्मेदारी एमएसओ को सौंपी गई है।

96. इस संशोधन में प्राधिकरण ने एमएसओ के लिए एसआईए या एमआईए के अनुसार अपने मौजूदा इंटरकनेक्शन समझौतों में संशोधन करने के लिए अपने मौजूदा संबद्ध केबल ऑपरेटरों को विकल्प देने के लिए 30 दिनों की अवधि निर्धारित की है। यह एलसीओ पर निर्भर है कि वो वह एमआईए या एसआईए के संदर्भ में अपने मौजूदा समझौते में संशोधन करें या इसके समाप्त होने तक मौजूदा समझौते को जारी रखें। विकल्प, जिसमें एलसीओ से मौजूदा समझौते में संशोधन के लिए लिखित में अनुरोध प्राप्त होता है, के अनुसरण में एमएसओ ऐसा अनुरोध प्राप्त होने के 30 दिनों के अंदर एमआईए या एसआईए के अनुसार मौजूदा इंटरकनेक्शन समझौते में संशोधन करेगा।

97. प्राधिकरण का यह मानना है कि एमआईए और एसआईए का निर्धारण क्षेत्र के विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा, एमएसओ एलसीओ के बीच विवाद कम करने में मदद करेगा, पक्षों को समान अवसर मुहैया कराएगा और क्षेत्र में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगा जो अंततः उपभोक्ताओं के लिए सेवा की गुणवत्ता को बेहतर करने में मदद करेगा।

एस. के. गुप्ता, प्रधान सलाहकार

[विज्ञापन– III/4/असा.(142) 400]

TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th March, 2016

THE TELECOMMUNICATION (BROADCASTING AND CABLE SERVICES) INTERCONNECTION (DIGITAL ADDRESSABLE CABLE TELEVISION SYSTEMS) (SEVENTH AMENDMENT) REGULATIONS, 2016 (No. 3 of 2016)

No. 26-01/2015-B&CS.—In exercise of the powers conferred by section 36, read with sub clauses (ii), (iii), (iv) and (v) of clause (b) of sub-section (1) of section 11, of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997), read with notification of the Government of India, in the Ministry of Communication and Information Technology (Department of Telecommunication) No.39,-----

(a) issued, in exercise of the powers conferred upon the Central Government by proviso to clause (k) of sub-section (1) of section 2 and clause (d) of sub-section (1) of section 11 of the said Act, and

(b) published under notification No. 39 (S.O. 44 (E) and 45 (E)) dated the 9th January, 2004 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II- Section 3- Sub-section (ii), ----

the Telecom Regulatory Authority of India hereby makes the following regulations to further amend the Telecommunication (Broadcasting and Cable Services) Interconnection (Digital Addressable Cable Television Systems) Regulations, 2012 (9 of 2012), namely:-

1. (1) These regulations may be called the Telecommunication (Broadcasting and Cable Services) Interconnection (Digital Addressable Cable Television Systems) (Seventh Amendment) Regulations, 2016 (3 of 2016).

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. For sub-regulation 14 of regulation 3 of the Telecommunication (Broadcasting and Cable Services) Interconnection (Digital Addressable Cable Television Systems) Regulations, 2012 (9 of 2012), (hereinafter referred to as the principal regulations), the following sub-regulation shall be substituted, namely:---

"(14) Every multi system operator or its authorized agent shall provide the signals of TV channels to a local cable operator, in accordance with the regulation 5, within sixty days from the date of receipt

of the written request and in case the request for providing signals of TV channels is not agreed to, the reasons for such refusal to provide signals shall be conveyed to the local cable operator making a request within sixty days from the date of request."

3. The sub-regulations 15 and 16 of regulation 3 of the principal regulations shall be deleted.

4. For sub-regulation 13 of regulation 5 of the principal regulations, the following sub-regulation shall be substituted, namely:----

"(13) The multi system operator shall enter into a written interconnection agreement with the local cable operator for providing signals of TV channels to the local cable operator, on lines of the model interconnection agreement as set out in the Schedule IV of these regulations, by mutually agreeing on the clauses 10, 11 and 12 of the said agreement:

Provided that the multi system operator and the local cable operator, without altering or deleting any clause of model interconnection agreement, may add, through mutual agreement, clauses to the model interconnection agreement, provided that no such addition shall have the effect of diluting any of the clauses as laid down in the model interconnection agreement:

Provided further that in case the multi system operator and the local cable operator fail to enter into interconnection agreement as provided above in this sub-regulation, the multi system operator and the local cable operator shall enter into standard interconnection agreement as specified in Schedule-V of these regulations.

Explanation: for removal of doubts it is clarified that in the event of any conflict between the terms and conditions of the prescribed model interconnection agreement and new terms and conditions added through mutual agreement by the parties, the terms and conditions of the prescribed model interconnection agreement shall prevail."

5. After sub-regulation 13 of regulation 5 of the principal regulations, the following sub-regulations shall be inserted, namely:----

"(13A) Every multi-system operator shall, within thirty days from the date of commencement of the Telecommunication (Broadcasting and Cable Services) Interconnection (Digital Addressable Cable Television Systems) (Seventh Amendment) Regulations, 2016, give a written option to all linked local cable operators to modify their existing agreements in accordance with the model interconnection agreement or standard interconnection agreement, as the case may be, and it shall be open to the linked local cable operator to modify their existing agreement within thirty days from the date of receipt of such option or continue with the existing agreement till its expiry and enter into the model interconnection agreement or standard interconnection agreement, as the case may be, thereafter.

(13B) Every multi-system operator shall, within a period of thirty days from the date of receipt of request from the local cable operator to provide the signals of TV channels, enter into an interconnection agreement in accordance with the terms and conditions of the model interconnection agreement or standard interconnection agreement, as the case may be."

6. In the principal regulations, after Schedule III, the following Schedules shall be inserted, namely:-

"**Schedule IV**

(Refer sub-regulation 13 of the regulation 5)

MODEL INTERCONNECTION AGREEMENT BETWEEN MULTI SYSTEM OPERATOR AND LOCAL CABLE OPERATOR FOR PROVISIONING OF CABLE TV SERVICES THROUGH DIGITAL ADDRESSABLE SYSTEMS (DAS).

[1. Each page of this Agreement shall be signed by the authorised signatory of Multi System Operator and Local Cable Operator;

2. The numbers allotted to the clauses in this format shall not be altered and additions (if any) may either be carried out at the end of relevant clause or after the last clause of this format].

This Technical and Commercial Interconnection Agreement along with its Schedules and Annexures is executed on this _____ day of _____ 201_ by and between:

_____**,** having its office at _____, through its Authorised Signatory, hereinafter referred to as the "**MSO**" which expression shall unless repugnant to the context or meaning thereof, be deemed to include its successors, assignees, legal heirs and executors of the **ONE PART**.

MSO's Status: Individual/Firm/Company/Association of Persons/Body of Individuals *(strike out whichever is not applicable or modify suitably in case of Association of Persons or Body of Individuals)*

AND

_____**,** having its office at _____ _____, through its Authorised Signatory, hereinafter referred to as the "**LCO**" which expression shall unless repugnant to the context or meaning thereof, be deemed to include its successors, assignees, legal heirs and executors, of the **OTHER PART**

LCO's Status: Individual/Firm/Company/Association of Persons/Body of Individuals *(strike out whichever is not applicable or modify suitably in case of Association of Persons or Body of Individuals)*

The **MSO** and the **LCO** are hereinafter individually referred to as 'Party' and collectively referred to as "**Parties**".

WHEREAS,

A. The MSO is a cable operator, who has been granted registration No. _____ dated _____ under the Cable Television Networks Rules, 1994, by the Ministry of Information and Broadcasting, for providing cable TV services through digital addressable systems in the areas of _____notified by the Central Government under Section 4A of the Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995.

B. The LCO is a cable operator, who has been granted registration under the Cable Television Networks Rules, 1994, having postal registration No. _____ dated _____, in the head post office _____, [Name of the head post office] for providing Cable TV Services in _____ [Mention the area].

C. The LCO has requested the MSO vide its letter No._____ dated_____for making available signals of TV channels and the MSO has agreed vide its letter No._____ dated_____to provide signals of TV channels to such LCO.

D. TERRITORY: Territory, in the context of this Agreement is _____ *[mention the name of area(s)/ city(ies)/ district(s)/ state(s) for which this agreement is being signed.]*

E. The Parties have mutually agreed to execute this Agreement - on principal to principal and non-exclusive basis - between them to govern the roles, responsibilities, rights, obligations, technical and commercial arrangement in regard to the distribution of TV channels in the Territory.

F. The Parties also mutually agree that each and every transaction including transaction of any properties/ assets between the Parties shall be carried out in writing or in any other verifiable means.

NOW, THEREFORE, in consideration of the foregoing and the mutual covenants contained herein, the Parties agree as follows: -

1. DEFINITIONS

The words and expressions used in this Agreement shall have meanings as assigned to them in the Schedule to this Agreement**.** All other words and expressions used in this Agreement, but not defined, and defined in the Act and rules and regulations made there under or the Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995 (7 of 1995) shall have the meanings respectively assigned to them in those Acts or the rules or regulations, as the case may be.

2. TERM OF THE AGREEMENT

2.1 The Agreement shall commence on_____[dd/mm/yyyy] and remain in force till_____ [dd/mm/yyyy] or the date of expiry of registration of the MSO or the LCO, as the case may be, whichever is earlier, unless terminated by either Party as per the terms and conditions of this Agreement.

2.2 The duration of the Agreement may be extended on terms and conditions to be mutually agreed between the Parties and recorded in writing provided that the extended term does not go beyond the last date of validity of registration of the MSO or the LCO, whichever is earlier.

3. TERMINATION OF THE AGREEMENT

3.1 Either Party has a right to terminate the Agreement by serving an advance notice of 21 days in writing to the other Party in the event of:-

(i) material breach of the Agreement by the other Party which has not been cured within 15 days of being required in writing to do so; or

(ii) the bankruptcy, insolvency or appointment of receiver over the assets of other Party; or

(iii) the other Party indulging in, or allowing or inducing any person to indulge in piracy or carrying programming service provided on the channel which is in violation of the Programme & Advertising Codes prescribed in the Cable Television Network Rules, 1994, as amended from time to time.

3.2 The LCO has a right to terminate the Agreement in the event of the MSO discontinuing the business of retransmission of signals of TV channels in the Territory.

3.3 The MSO has a right to terminate the agreement in the event of the LCO discontinuing its cable TV business in the Territory.

3.4 If the MSO decides to discontinue the business of retransmission of signals of TV channels in the Territory for any reason, it shall give a notice in writing, specifying the reasons for such decision, to the LCO at least 90 days prior to such discontinuation.

3.5 If the LCO decides to discontinue its business of providing signals of TV channels to the subscriber in the territory, it shall give a notice in writing, specifying the reasons for such decision, to the MSO at least 90 days prior to such discontinuation.

4. EFFECT OF TERMINATION AND EXPIRY

4.1 In the event of termination or expiry of the term of the Agreement, as the case may be, at the instance of either Party, each Party shall pay all amounts due and payable up to the date of termination or expiry to the other Party.

4.2 The LCO shall, within 15 days of the termination or expiry of the term of this Agreement, as the case may be, in terms of the provisions mentioned herein, hand over to the MSO all properties and assets belonging to the MSO, which are in the custody of the LCO**.** The LCO shall also be liable to make good all the losses or damages, if any, caused to such properties and assets belonging to the MSO, in custody of the LCO, within 30 days from the receipt of notice to this effect from the MSO and in the event of inability of LCO to repair such properties/assets, the LCO shall pay to the MSO the depreciated value of such properties/ assets.

4.3 The MSO shall, within 15 days of the termination or expiry of the term of this Agreement, as the case may be, in terms of the provisions mentioned herein, hand over to the LCO all properties and assets belonging to the LCO, which are in the custody of the MSO**.** The MSO shall also be liable to make good all the losses or damages, if any, caused to such properties and assets belonging to the LCO, in custody of the MSO, within 30 days from the receipt of notice to this effect from the LCO and in the event of inability of MSO to repair such properties/assets, the MSO shall pay to the LCO the depreciated value of such properties/ assets.

Explanation:- The clause 4.2 and 4.3 above shall not have any application in respect of Hardware or any other equipment belonging to the MSO or the LCO, as the case may be, which are installed at the premises of the subscribers.

4.4 If the LCO or the MSO, as the case may be, fails to hand over the assets or make good losses or damages caused to such properties and assets within the above stipulated period, the defaulting Party shall be liable to make payment for the depreciated value of the same together with simple interest calculated at the rate 2% over and above the base rate of interest of the State Bank of India.

5. PROVISIONING OF SERVICES

5.1 The MSO shall make available signals of TV channels to the LCO, on non-exclusive basis, in order to re-transmit the same to the subscribers in the Territory, in terms of this agreement and as per prevailing norms, policies, the applicable laws and rules, regulations, directions and orders of the concerned authorities.

5.2 The LCO shall carry signals of TV channels received from the MSO, on non-exclusive basis, for distribution to the subscribers in the Territory.

5.3 The Parties shall compulsorily transmit, re-transmit or otherwise carry any channel, content or programme only in encrypted mode through a digital addressable system strictly in terms of and in accordance with the applicable laws and regulations.

5.4 The roles and responsibilities of the Parties to the Agreement for provisioning of services are contained in **clause 10** of this Agreement.

5.5 In consideration of the roles and responsibilities mentioned in **clause 10** of the Agreement, the revenue settlement between the LCO and the MSO have been mentioned in the **clause 12** of the Agreement.

6. RIGHTS OF THE MSO

6.1 The MSO shall continue to have a right of ownership of its network used to deliver the cable TV services under this agreement and it may expand/ upgrade/ change/ replace/ re-design any part or entire network subject to the condition that any such activity does not interrupt or degrade the Quality of Service provided to the subscribers.

6.2 The MSO shall sign the interconnection agreement with broadcasters for re-transmission of signals of TV Channels as per prevailing norms, policies, the applicable laws and rules, regulations, directions and orders of the concerned authorities.

6.3 The MSO shall have the right to finalise the maximum retail price of each channel, as payable by the subscriber in compliance with the provisions of applicable laws and rules, regulations and tariff orders.

6.4 The MSO shall have the right to package the channels/ services offered on the network, as per its business plan and as per prevailing norms, policies, the applicable laws and rules, regulations and tariff orders.

6.5 The MSO shall have the right to finalise the rate of Basic Service Tier (BST) in compliance with the provisions of the applicable tariff orders and regulations notified by the Authority from time to time.

6.6 The MSO shall have the right to finalise the rates of bouquets of channels, if offered by the MSO, in compliance with the provisions of the applicable tariff orders and regulations notified by the Authority.

6.7 The MSO shall have the right to get all requisite information from the LCO for the purpose of fulfilling its responsibilities under the Agreement, and the applicable orders and regulations.

7. RIGHTS OF THE LCO

7.1 The LCO shall continue to have its right of ownership of its network used to deliver the cable TV services under this agreement and it can expand/ upgrade/ change/ replace/ re-design any part or entire network subject to the condition that any such activity does not interrupt or degrade the Quality of Service offered to the subscriber on its network.

7.2 The LCO shall have right to get all the requisite information from the MSO for the purpose of fulfilling its responsibilities under the Agreement, and the applicable orders and regulations.

8. OBLIGATIONS OF THE MSO

8.1 MSO shall set up and operationalise the Head-end, Conditional Access System (CAS) and Subscriber Management System (SMS) for ensuring efficient and error-free services to the subscribers by recording and providing individualized preferences for channels, billing cycles or refunds.

8.2 The MSO shall make available to the LCO, the necessary and sufficient information relating to the details of channels, bouquets of channels, and services offered to the subscribers including their prices.

8.3 The MSO shall provide web based grievance redressal mechanism for addressing the complaints of LCOs in relation to the provision of services, roles and responsibilities, revenue settlements, quality of services etc.

8.4 The MSO shall not issue pre-activated STBs and the STBs shall be activated only after the details of the Customer Application Form (CAF) have been entered into the SMS.

8.5 The MSO shall generate bills for subscribers on regular basis, for charges due and payable for each month or as per the billing cycle applicable for that subscriber, within 3 days from the end of the billing cycle.

8.6 The MSO shall provide access to the relevant part of the SMS under its control to the LCO for the purpose of fulfilling responsibilities by the Parties under the Agreement, and the applicable orders and regulations.

8.7 The MSO shall not indulge in any piracy or other activities, which has the effect of, or which shall result into, infringement and violation of trade mark and copyrights of the LCO or person associated with such transmission.

8.8 The MSO shall comply with all the applicable statutes or laws for the time being in force, or any rules, codes, regulations, notifications, circulars, guidelines, orders, directions etc. issued, published or circulated under any law for the time being in force.

8.9 The MSO shall not do any act or thing as a result of which, any right or interest of the LCO in respect of cable TV signals under this Agreement or any property of the LCO may be infringed or prejudiced.

8.10 The MSO shall be responsible for encryption of the complete signal, up to the STB installed at the premises of the subscriber.

8.11 The MSO shall not disconnect the signals of TV Channels, without giving three weeks' advance notice to the LCO clearly specifying the reasons for the proposed disconnection as envisaged in the Interconnection Regulation.

8.12. The MSO shall make available online payment gateway, prepaid system for subscribers and facility for electronic acknowledgment to the subscriber on the receipt of payment from the subscriber.

8.13 The MSO shall provide to the LCO at least 2% of the total STBs active in the network of the LCO with an upper cap of 30 STBs as maintenance spare, which are not pre-activated, to ensure speedy restoration of services affected due to any fault in STB. This quantity of maintenance spare STBs shall be maintained during the term of the agreement.

8.14 The MSO shall intimate to the LCO, at least 15 days in advance, in respect of any proposed changes in the package composition or the retail tariff being offered to the subscriber.

8.15 The MSO shall have no right, without the prior written intimation to the LCO, to assign or transfer any of its rights or obligations under this Agreement.

9. OBLIGATIONS OF THE LCO

9.1 The LCO shall handover a copy of CAF received from subscribers within 15 days to the MSO;

9.2 The LCO shall be responsible for entering the details of the bill amount paid by the individual subscriber to the LCO for the Cable TV services in the SMS.

9.3 The LCO shall not indulge in any piracy or other activities, which has the effect of, or which shall result into, infringement and violation of trade mark and copyrights of the MSO, or any other person associated with such retransmission.

9.4 The LCO shall have no right, without the prior written intimation to the MSO, to assign or transfer any of its rights or obligations under this Agreement.

9.5 The LCO shall not replace the STBs of the MSO with the STBs of any other MSO without receiving the requests from the subscribers through application forms for returning the STB of the existing connections and for providing new connections through Customer Application Form. The new Set Top Box shall be activated only after entry of the details, as provided in new Customer Application Form, into the Subscriber Management System of the new MSO.

9.6 The LCO shall –

(i) not transmit or retransmit, interpolate or mix any signals which are not transmitted or generated by the MSO without the prior written consent of the MSO;

(ii) not insert any commercial or advertisement or information on any signal transmitted by the MSO. Any such tampering of signals or interpolating of signals shall be deemed to be a violation of this Agreement and shall constitute sufficient cause for termination of this Agreement by the MSO by giving such notice as prescribed under the law or under this agreement;

(iii) not interfere in any way with the signals provided by the MSO and also not use any decoding, receiving, recording equipment(s), counterfeit set top box or Smart card and any other like equipments;

(iv) not alter or tamper the Hardware including the seal (seal to prevent opening of set top box), misuse, replace, remove and shift the Smart card or STB without the written consent of MSO from their respective original addresses;

(v) not use, either before or after the installation of STB, of any decoding, receiving, recording equipment(s), counterfeit set top box(es), smart card(s) other than the STB(s), Smart cards and any other equipments supplied/ approved by the MSO, and to take actions as directed by the MSO against such subscribers.

(vi) intimate the MSO promptly about any alteration, tampering with the Hardware including the seal, misuse, replacement, removal and shifting of Smart cards and STBs, without the written consent of MSO, from their respective original addresses and also about the use, either before or after the STBs, of any decoding, receiving, recording equipment(s), counterfeit set top box(es) and smart card(s) other than the STB(s), Smart card(s) and any other items of Hardware supplied by the MSO, and to take actions as directed by the MSO against such subscribers.

9.7 The LCO shall not provide connection to any entity for further retransmission of the Cable TV signals.

9.8 The LCO shall not record and then retransmit Cable TV signals or otherwise to block or add or substitute or otherwise tamper with the signal being transmitted by the MSO or with the trunk line nor shall allow any other person to do so.

9.9 The LCO shall not do any act or thing as a result of which, any right or interest of the MSO in respect of the Cable TV signals under this Agreement or any property of the MSO may be infringed or prejudiced.

9.10 The LCO shall permit access to the systems under its control to the MSO, on non-exclusive basis, for the purpose of fulfilling responsibilities by the Parties under the Agreement, and the applicable orders and regulations.

9.11 The LCO shall not disconnect the signals of TV Channels, without giving three weeks' notice to the MSO clearly specifying the reasons for the proposed disconnection as envisaged in the Interconnection Regulation.

10. ROLES AND RESPONSIBILITIES OF THE MSO AND THE LCO:

Sl. No.	**Role**	***Responsibility of the MSO or the LCO as mutually agreed by the Parties - fill the cell accordingly***	**Remarks**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**
1	Publicizing schemes for obtaining and returning the Set Top Boxes (STBs) by the subscriber and the warranty/ repairing policy applicable thereof.		
2	Devising formats of application as specified in the schedule-I of the QoS regulations for seeking connection, disconnection, reconnection, transfer, and shifting of Cable TV services;		
3	Publication of Manual of Practice (MoP)		
4	Publication of Consumer Charter.		
5	Setting up of Website containing information pertaining to services, details of complaint centre, complaint redressal system, complaint monitoring system, citizen charter, nodal officer etc.		
6	a. Establishment of Complaint centre for (i) addressing service requests of subscribers, (ii) redressal of complaints of subscribers. b. Establishment of web based Complaint Monitoring system. c. Providing Toll free Consumer Care Number and its publicity. d. Maintenance of records of all complaints filed by the consumer as provided in the Complaint Redressal Regulations.		In case this responsibility is given to the MSO then the MSO shall communicate to the LCO the details of complaint centre for onward communication to subscribers.
7	Specification of a system of discount or rebate to the subscriber due to interruptions in service and creating awareness about such scheme.		

8	a. Providing information to the subscriber about the schemes for obtaining and returning the STB and the warranty/ repairing policy applicable thereof. b. Providing of the application form along with the MOP to the applicants/ subscribers and c. Receiving of application form from applicants/ subscribers for (i) connection**,** reconnection, transfer, and shifting of Cable TV services; (ii) obtaining and returning of STB. d. Returning of the duplicate copy of the application form to the applicant/ subscriber as an acknowledgment of receipt of application. e. Communication of shortcomings or deficiency, in the application form, in writing to the applicant, within 2 days of receipt of the application. f. Communication of technical or operational non-feasibility to the applicant, in case it is technically or operationally non-feasible to provide connection, reconnection, shifting of service or supply of STB at the location, where the services are requested by the applicant, within 2 days of receipt of the application.		The Party who has been assigned this responsibility shall update the information in the Subscriber Management System (SMS) in each case within 24 hours from the receipt of the application.
9	Issue of Unique Identification Number (UIN) for the applicant.		The UIN shall be generated from the SMS. In case the responsibility is assigned to the LCO then the relevant access of the SMS should be provided by the MSO to the LCO.
10	Installation of STB at the premises of the subscriber and activation through SMS.		In case the responsibility is assigned to the LCO then the MSO should provide relevant access to SMS for STB activation.
11	Providing rebate to the subscriber for delay in installation and activation of STB.		
12	Issuance of advance notice of 15 days regarding discontinuing or disconnection of cable service to the subscriber, indicating the reasons for such discontinuation or disconnection.		
13	Receipt of request from the subscriber for disconnection or suspension of service and its execution through SMS.		
14	Receipt of request for change in subscription package from the subscribers and its execution through SMS.		
15	Notice to the Subscribers regarding disruption of signals for preventive maintenance.		

16	Response to the consumer complaints as per norms of the QoS regulations.		The complaints received by the Party shall be immediately updated in the web based complaint monitoring system so that the necessary corrective action can be taken by the Parties in time and the same can be monitored by the complainant.
17	Redressal of consumer complaints as per the norms of the QoS regulations:- (i) relating to 'No signal'; (ii) relating to STB; (iii) relating to subscriber's billing and receipts; (iv) any other complaint.		The complaints redressed by the Party shall be immediately updated in the web based complaint monitoring system.
18	Designation of nodal officer as per the provisions of the consumer complaint redressal regulation.		
19	Communication to subscriber about redressal of the complaint received from the Authority.		
20	Printing and delivery of system generated itemized bills to subscribers.		
21	Delivery of payment receipts to subscribers.		
22	Electronic acknowledgement to subscriber.		
23	Providing information relating to itemised usage showing actual usage of service in case of prepaid bills for any period within 6 months.		The requests received by the LCO shall be immediately updated in the SMS so that the MSO can provide the requisite details to the subscriber in time.
24	Payment of taxes to the Government.	**MSO and/ or LCO**	The specific details of tax payment responsibilities need to be filled in the adjoining cells at the time of signing of the agreement as per the rules and regulations of the respective Tax authorities.

Note:- The responsibilities for various roles mentioned in the column (2) above can be mutually agreed by the Parties and accordingly the cells of the column (3) to be filled.

11. BILLING

11.1 The billing for subscriber shall be in the name of _____. However, each Party shall ensure that the applicable laws, rules and regulations relating to taxes are complied with.

11.2 The Party, in whose name the billing for subscribers have been agreed in the clause 11.1 above, shall receive the payment of the subscription fee paid by the subscribers. The revenue share as per clause 12.1 of this Agreement shall be paid by this Party to the other Party on receipt of the invoice from the other Party.

12. REVENUE SETTLEMENT BETWEEN THE LCO AND THE MSO AND RELATED RIGHTS AND OBLIGATIONS

12.1 The revenue settlement between the LCO and the MSO shall be in the following manner:-

(a) the charges collected from the subscription of channels of Basic Service Tier, free to air channel and bouquet of free to air channels shall be shared in the ratio of _____:_____ between the MSO and the LCO respectively; and

(b) the charges collected from the subscription of channels or bouquet of channels or channels and bouquet of channels other than those specified under clause (a) shall be shared in the ratio of _____:_____ between the MSO and the LCO respectively.

Note:-

For mutual agreement cases where the roles and responsibilities of the MSO and the LCO have been agreed as per column (3) of clause (10), this clause can be suitably amended based on mutual agreement.

12.2*

(When the billing for subscribers is in the name of the LCO and the LCO receives the payment of subscription fee paid by the subscribers)

The MSO shall issue monthly invoice to the LCO towards dues payable by the LCO for revenue settlement and such invoice shall clearly specify the current payment dues and arrears, if any, along with the due date of payment which shall not be less than seven days. Any demand of arrears shall be accompanied by the proof of service of invoices for the period for which the arrears pertain. The amounts raised in the invoice shall be payable on or before the due date as mentioned therein.

OR

12.2*

(When the billing for subscribers is in the name of the MSO and the MSO receive the payment of subscription fee paid by the subscribers)

The MSO shall share the complete information relating to the subscribers billing and receipt of the payments with the LCO. The LCO shall issue monthly invoice to the MSO towards dues payable by the MSO for revenue settlement and such invoice shall clearly specify the current payment dues and arrears, if any, along with the due date of payment which shall not be less than seven days. Any demand of arrears shall be accompanied by the proof of service of invoices for the period for which the arrears pertain. The amounts raised in the invoice shall be payable on or before the due dates as mentioned therein.

(*Strike out whichever is not applicable at the time of signing individual agreement)

12.3 The Party shall update the details of the subscription amount realised from the subscriber, in the SMS within 7 days from the due date.

13. DEFAULTS

13.1 Without prejudice to such rights and remedies that the Parties may have in law or under the provisions of this Agreement, in the event of any delay or failure by the MSO or the LCO, as the case may be, to make payments of dues on or before the respective due dates, the LCO or the MSO, as the case may be, shall have the right:-

(i) to disconnect the services subject to the compliance of the applicable rules, regulations, directions or orders of the Authority;

(ii) to terminate this Agreement, subject to compliance of the applicable laws in force;

(iii) to charge a simple interest at the rate 2% over and above of the base rate of interest of the State Bank of India from the date such amounts became due until those are fully and finally paid;

13.2 In cases where any of the Parties has failed to make payment on or before due date for three consecutive months in the past, the other Party shall have right to demand the interest free security deposit which shall not exceed average of immediately preceding 6 months billing amounts and the same shall be maintained for the remaining term of the agreement.

13.3 Upon disconnection of the service as mentioned in clause 13.1 above, whether accompanied by termination of this Agreement or not, the defaulting Party shall be liable to deposit forthwith all sums payable by it. In the case of termination, accounts shall be settled within thirty days and for delayed payments, either Party shall be liable to pay simple interest at the rate 2% over and above of the base rate of interest of the State Bank of India.

14. UNDERTAKINGS

14.1 Each Party shall recognize the exclusive ownership of the property owned and installed by the other Party and shall not have or claim any right, title or interest or lien of whatsoever nature.

14.2 Nothing contained herein shall constitute either Party as the agent or partner or the representative of the other for any purpose and neither Party shall have the right or authority to assume, create or incur any liability or obligation of any kind, express or implied, in the name of or on behalf of the other Party and the relationship between the MSO and the LCO shall remain on "Principal to Principal" basis.

14.3 It is expressly understood by the Parties that "_____" logo(s) is a Registered Trade Mark of the MSO, and the LCO shall use the said logo only during the currency of this Agreement for the benefit of the cable television networking business of the MSO. Consent of the MSO is hereby given to the LCO to use the said logo, to the extent of or in connection with the business of the MSO.

14.4 It is expressly understood by the Parties that "_____" logo(s) is a Registered Trade Mark of the LCO, and the MSO shall use the said logo only during the currency of this Agreement for the benefit of the cable television networking business of the LCO. Consent of the LCO is hereby given to the MSO to use the said logo, to the extent of or in connection with the business of the LCO.

14.5 It is clearly understood and accepted by each Party that it shall have no right to use any intellectual property of the other on its Cable TV service or otherwise on or after the withdrawal by the other Party of its consent for such uses.

14.6 In case the LCO or the MSO, as the case may be, decides to transfer its interest in respect of its business of providing Cable TV Service to any other party / person (third party), in whole or in part, the LCO or the MSO, as the case may be, shall give prior notice to the MSO or the LCO. One Party shall not have any objection to such transfer if the other Party has complied with its obligations under this contract and has paid all its dues.

Provided, however, that such third party shall sign and execute a deed of adherence to the terms & conditions of this Agreement and other undertaking/ bonds to the satisfaction of the MSO or the LCO, as the case may be, in order to give effect to the provisions of this Agreement.

14.7 The LCO shall maintain and continue to maintain its Postal Registration Certificate renewed from time to time in accordance with the Cable TV Networks (Regulation) Act, 1995 and comply with the terms and conditions of the registration certificate issued by the Postal Authority.

14.8 The MSO shall maintain and continue to maintain its Registration Certificate renewed from time to time in accordance with the Cable TV Networks (Regulation) Act, 1995 and comply with the terms and conditions of the registration.

14.9 Both the Parties shall comply with the Programme Codes and Advertising Codes prescribed in the Cable Television Network Rules, 1994, as amended from time to time.

14.10 Both the Parties shall comply with the laws for the time being in force in India, as applicable to them.

15. PREVENTION OF PIRACY

15.1 The Parties shall not indulge or allow any person to indulge in Piracy or in reverse engineering any technology used in the Hardware or any component thereof nor shall they use the Hardware to be connected to any equipment for setting up a mini head-end for retransmission of the signals generated from the same.

15.2 Signal to any subscriber shall be disconnected by the MSO or the LCO, as the case may be, after giving due notice as required under applicable regulations, if found to be indulged in or abetting any Piracy.

16. DISCLAIMER AND INDEMNITY

16.1 In no event, the MSO shall be liable to the LCO for any indirect, special, incidental or consequential damage arising out of or in connection with the disruption, interruption or discontinuance of the Service or for any inconvenience, disappointment or due to deprival of any programme or information or for any indirect or consequential loss or damage, which is not attributable to any act of the MSO.

16.2 In no event, the LCO shall be liable to the MSO for any indirect, special, incidental or consequential damage arising out of or in connection with the disruption, interruption or discontinuance of the Service or for any inconvenience, disappointment or due to deprival of any programme or information or for any indirect or consequential loss or damage, which is not attributable to any act of the LCO.

16.3 LCO shall indemnify the MSO for all cost, expense and damages by reason of any claim, action or proceedings from any third party or from subscribers for any inconvenience, loss or annoyance caused to them due to any default of the LCO or due to termination of the Agreement or suspension of the Service due to LCO's breach.

16.4 MSO shall indemnify the LCO for all cost, expense and damages by reason of any claim, action or proceedings from any third party or from subscribers for any inconvenience, loss or annoyance caused to them due to any default of the MSO or due to termination of the Agreement or suspension of the Service due to MSO's breach.

17. GOVERNING LAW AND DISPUTE RESOLUTION

17.1 As mandated by the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997, the Parties shall not institute any suit or seek injection or interim orders in any court or judicial tribunal/ authority in India with respect to any claims, dispute or differences between the Parties arising out of this Agreement save and except before the Telecom Disputes Settlement and Appellate Tribunal, New Delhi **("TDSAT").** The Parties agree that all disputes between the Parties shall be resolved solely through proceedings instituted before the TDSAT.

18. FORCE MAJEURE

18.1 Failure on the part of the MSO or the LCO to perform any of its obligations, shall not entitle either Party to raise any claim against the other or constitute a breach of this Agreement to the extent that such failure arises from an event of Force Majeure. If through Force Majeure the fulfilment by either Party of any obligation set forth in this Agreement is delayed, the period of such delay shall not be taken into account in computing periods prescribed by this Agreement. Force Majeure will include act of god, earthquake, tides, storm, flood, lightening, explosion, fire, sabotage, quarantine, epidemic, arson, civil disturbance, terrorist attack, war like situation, or enactment of any law or rules and regulation made by the Authorities or revocation of registration of the Parties any circumstances beyond the reasonable control of the Parties herein that directly or indirectly hinders or prevents either of the Parties from commencing or proceeding with the consummation of the transactions contemplated hereby. The Party affected by such Force Majeure event shall promptly notify the other Party of the occurrence of such event. It is agreed between the Parties that lack of funds shall not in any event constitute or be considered an event of Force Majeure. If the conditions of Force Majeure to continue for a period exceeding one month, the Parties shall meet to decide upon the future performance of the Agreement. If the Parties are unable to agree upon a plan for future performance, then the Agreement shall be terminated upon notice of either Party to the other, on expiry of one month from the date of such notice.

18.2 Any accrued payment obligation of a Party prior to the commencement of Force Majeure shall survive the termination of this Agreement pursuant to such Force Majeure.

19. NOTICES

19.1 Any notice to be served on any Party by the other shall be deemed to have been validly sent if sent by Registered Post Acknowledgement Due (RPAD) or speed post service of Department of Post, Government of India or by hand delivery duly acknowledged at the address mentioned in the beginning or at such other changed address as the Party may inform and the date of receipt of such notice shall be the date of receipt by the other Party or 7 days from the date of dispatch of the notice by RPAD, whichever is earlier.

20. RESTRICTION ON TRANSFER

20.1 The either Party shall not remove, sell, assign, mortgage, transfer/sublet and encumber all or any part of the network which belongs to the other Party. If the Party indulges in any of the above-mentioned acts, the said acts shall be illegal and void ab-initio and the Party shall also be liable for any action under the applicable law.

21. CONFIDENTIALITY

21.1 The Parties shall keep in strict confidence, any information received by one from the other while participating in the affairs/business of each other and shall not disclose the same to any person not being a party to this Agreement.

21.2 The Parties shall also bind their employees, officers, advisors, associates, contractors, agents, authorized persons and other similar persons to whom the above mentioned information may be disclosed, to the obligations of confidentiality.

21.3 The Parties hereby agrees that the confidential information can be disclosed to the statutory authority on demand by such authorities.

22. MODIFICATIONS

22.1 The Agreement cannot be modified, varied or terminated except in writing. Any variation of the Agreement, including Addendum Agreements, Annexures, Schedules or any other document, called by whatever name, but executed in relation to this Agreement, shall be mutually agreed to in writing and executed by or on behalf of the Parties.

23. BINDING EFFECT

23.1 This Agreement modifies all prior understanding of the Parties as to the subject matter thereof and shall not be amended except in writing by both the Parties. Any other understanding between the Parties (if any) with regard to any other matter or any accrued rights and obligation of the Parties not covered under this agreement, if any, shall continue to be in full force and effect.

IN WITNESS WHEREOF the Parties have set and subscribed their respective hands to this Agreement on the date and year appearing hereinabove.

Signed on behalf of the MSO

(_____)

In the presence of

1. ……..

2. ……..

Signed on behalf of the LCO

(_____)

In the presence of

1. ……..

2. ……..

Note: The self attested copies of power of attorney/authorization letter, whereby the signatories of this agreement have been authorised to sign and execute this agreement by the Parties, shall be attached with this agreement.

Schedule

DEFINITIONS AND INTERPRETATIONS

A. DEFINITIONS

In the Agreement unless the context requires otherwise, the following words and expressions shall have the meanings set out herein below:

(a) **"Act"** means the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997), as amended from time to time;

(b) **"Addressable System"** shall have the same meaning as assigned to it in the Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995 (7 of 1995), as amended from time to time;

(c) **"Authority"** means the Telecom Regulatory Authority of India established under subsection (1) of section 3 of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997;

(d) **"Basic Service Tier"** shall have the same meaning as assigned to it in the Tariff Order.

(e) **"Bouquet" or "bouquet of channels"** means an assortment of distinct channels, offered together as a group or as a bundle;

(f) **"Broadcaster"** means a person or a group of persons, or body corporate, or any organization or body who, after having obtained, in its name, uplinking permission or downlinking permission, as may be applicable for its channels, from the Central Government, provides programming services;

(g) **"Cable service or cable TV service"** means the transmission by cables of programmes including retransmission by cables of any broadcast television signals;

(h) **"Cable television network or cable TV network"** means any system consisting of a set of closed transmission paths and associated signal generation, control and distribution equipment, designed to provide cable service for reception by multiple subscribers;

(i) **"Channel or TV channel"** means a channel, which has been registered under -----

(i) the guidelines for uplinking from India, issued vide No.1501/2/2002-

TV(I)(Pt.) dated the 2nd December, 2005; or

(ii) policy guidelines for downlinking of televisions channels, issued vide No.

13/2/2002-BP&L/BC-IV dated the 11th November, 2005, ---------

as amended from time to time, or such other guidelines for uplinking or downlinking of television channels, as may be issued from time to time by Government of India

(Ministry of Information and Broadcasting) and reference to the term 'channel' shall be construed as a reference to "channel or TV channel";

(j) **"Complaint Centre"** means a facility established by the multi-system operator or his

linked local cable operators, as the case may be, under Consumer Complaint Redressal Regulation;

(k) **"Consumer Complaint Redressal Regulation"** means the Consumers Complaint Redressal (Digital Addressable Cable TV Systems) Regulations, 2012 (13 of 2012), dated 14th May 2012, as amended from time to time;

(l) **"CTN Act"** means the Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995 (7 of 1995), as amended from time to time.

(m) **"Encryption or encrypted"** in respect of a signal of cable television network, means the changing of such signal in a systematic way so that the signal would be unintelligible without use of an addressable system and the expression "unencrypted" shall be construed accordingly;

(n) **"Free To Air channel"** shall have the same meaning as assigned to it in the Tariff Order.

(o) **"Hardware"** means a multi-system operator approved set top box to enable the decryption of signals of Channels transmitted in encrypted form, the remote and other associated components and accessories.

(p) **"Headend"** means a facility that contains satellite receivers, modulator, compression equipment, multiplexes, and conditional access facilities, other transmission equipments and has antennas which receive signals from Satellite and/or from local studio for retransmission to subscribers directly or through linked LCOs;

(q) **"Interconnection Regulation"** means the Telecommunication (Broadcasting and Cable Services) Interconnection (Digital Addressable Cable Television Systems) Regulations, 2012 (9 of 2012), dated 30th April, 2012, as amended from time to time.

(r) **"Manual of Practice (MoP)"** means the Manual of Practice referred in the QoS Regulation;

(s) **"Nodal Officer"** means the officer appointed or designated by the multi-system operator or his linked local cable operator, as the case may be, under the Consumer Complaint Redressal Regulation;

(t) **"Pay Channel"** shall have the same meaning as assigned to it in the Tariff Order;

(u) **"Piracy"** means unauthorized reception, retransmission or redistribution of Cable TV Signal by any person by any means and modes including but not limited to any alteration, tampering of the seal or any component or accessory thereof or misuse, replacement, removal and/or shifting of Hardware or any use, either before or after the set top box, any decoding, receiving, recording equipment(s), counterfeit or unauthorized devices or any activity, which has the effect of, or which may result into, infringement and violation of trade mark and copyright of the MSO or the LCO as the case may be;

(v) "**Programme**" means any television broadcast and includes;

(i) exhibition of films, features, dramas, advertisements and serials;

(ii) any audio or visual or audio-visual live performance or presentation and----

the expression "programming service" shall be construed accordingly;

(w) **"QoS Regulation"** means the Standards of Quality of Service (Digital Addressable Cable TV Systems) Regulations, 2012 (12 of 2012), dated 14th May, 2012, as amended from time to time.

(x) **"Set top box or STB "** means a device, which is connected to, or is part of a television and which allows a subscriber to receive in unencrypted and descrambled form subscribed channels through an addressable system;

(y) **"Smart Card"** means the card duly approved by the multi-system operator as part of the Hardware, which enables the subscriber to gain access to the Cable TV signals of Channels.

(z) **"Subscriber"** means a person who receives broadcasting services or cable services from a multi-system operator or cable operator at a place indicated by him to the multi-system operator or cable operator, as the case may be, without further transmitting it to any person and includes ordinary subscribers and commercial subscribers, unless specifically excluded;

"For removal of doubts, it is clarified that each set top box installed at the premises would constitute a subscriber."

(za) **"Subscriber management system or SMS"** means a system or device which stores the subscriber records and details with respect to name, address and other information regarding the hardware being utilized by the subscriber, channels or bouquets of channels subscribed to by the subscriber, price of such channels or bouquets of channels as defined in the system, the activation or deactivation dates and time for any channel or bouquets of channels, a log of all actions performed on a subscriber's record, invoices raised on each subscriber and the amounts paid or discount allowed to the subscriber for each billing period;

(zb) **"Tariff Order"** means the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services (Fourth) (Addressable Systems) Tariff Order, 2010 (1 of 2010), dated 21st July 2010, as amended from time to time;

(zc) **"Trunk Line"** means the coaxial/optic fiber cable network and other allied equipment such as receiver nodes, amplifiers, splitters etc. owned and installed by the multi-system operator or its associate companies for the purpose of transmitting Cable TV Signal to various LCOs till the receiving end of various LCOs, including the LCO, to enable them to re-transmit the Cable TV Signal to respective subscribers;

All other words and expressions used in this interconnection agreement but not defined, and defined in the Act and rules and regulations made thereunder or the CTN Act and the rules and regulations made thereunder, shall have the meanings respectively assigned to them in those Acts or the rules or regulations, as the case may be.

B. INTERPRETATION

In this Agreement, unless the context otherwise requires:

(a) Any reference to the singular in the Agreement shall include a reference to the plural and vice versa and words importing one gender only shall include all other genders unless the context otherwise requires;

(b) The word "person" shall include individuals, corporations, partnerships, association of persons and any other entities;

(c) Any references to article, clauses, sub-clauses, appendices, annexure and schedules are references to Articles, clauses, sub-clauses, appendices, annexure and schedules to the Agreement unless the context otherwise expressly provides;

(d) References to a "month" are to a calendar month;

(e) Headings and titles are for ease of reference only and shall not affect the interpretation of this agreement and in no way be read to give a construction not harmonious with the interpretation of various clauses of this agreement done otherwise independent of the title.

(f) Any reference to law, regulation, statutory provision, order, guideline, policy, etc, includes references to such law or regulation or provision, order, guideline, policy, etc., as modified, codified, amended or re-enacted from time to time.

Schedule V

(Refer second proviso of sub-regulation (13) of regulation 5)

STANDRAD INTERCONNECTION AGREEMENT BETWEEN MULTI SYSTEM OPERATOR AND LOCAL CABLE OPERATOR FOR PROVISIONING OF CABLE TV SERVICES THROUGH DIGITAL ADDRESSABLE SYSTEMS (DAS).

[Each page of the Agreement shall be signed by the authorised signatory of the Multi System Operator and the Local Cable Operator]

This Technical and Commercial Interconnection Agreement along with its Schedules and Annexures is executed on this _____ day of _____ 201_ by and between:

_____**,** having its office at _____,

through its Authorised Signatory, hereinafter referred to as the "**MSO**" which expression shall unless repugnant to the context or meaning thereof, be deemed to include its successors, assignees, legal heirs and executors of the **ONE PART**.

MSO's Status: Individual/Firm/Company/Association of Persons/Body of Individuals *(strike out whichever is not applicable or modify suitably in case of Association of Persons or Body of Individuals)*

AND

_____**,** having its office at _____ _____, through its Authorised Signatory, hereinafter referred to as the "**LCO**" which expression shall unless repugnant to the context or meaning thereof, be deemed to include its successors, assignees, legal heirs and executors, of the **OTHER PART**

LCO's Status: Individual/Firm/Company/Association of Persons/Body of Individuals *(strike out whichever is not applicable or modify suitably in case of Association of Persons or Body of Individuals)*

The **MSO** and the **LCO** are hereinafter individually referred to as 'Party' and collectively referred to as "**Parties**".

WHEREAS,

A. The MSO is a cable operator, who has been granted registration No. _____ dated _____ under the Cable Television Networks Rules, 1994, by the Ministry of Information and Broadcasting, for providing cable TV services through digital addressable systems in the areas of _____notified by the Central Government under Section 4A of the Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995.

B. The LCO is a cable operator, who has been granted registration under the Cable Television Networks Rules, 1994, having postal registration No. _____ dated _____, in the head post office _____, [Name of the head post office] for providing Cable TV Services in _____ [Mention the area].

C. The LCO has requested the MSO vide its letter No._____ dated_____for making available signals of TV channels and the MSO has agreed vide its letter No._____ dated_____to provide signals of TV channels to such LCO.

D. TERRITORY: Territory, in the context of this Agreement is _____ *[mention the name of area(s)/ city(ies)/ district(s)/ state(s) for which this agreement is being signed.]*

E. The Parties have mutually agreed to execute this Agreement - on principal to principal and non-exclusive basis - between them to govern the roles, responsibilities, rights, obligations, technical and commercial arrangement in regard to the distribution of TV channels in the Territory.

F. The Parties also mutually agree that each and every transaction including transaction of any properties/ assets between the Parties shall be carried out in writing or in any other verifiable means.

NOW, THEREFORE, in consideration of the foregoing and the mutual covenants contained herein, the Parties agree as follows: -

1. DEFINITIONS

The words and expressions used in this Agreement shall have meanings as assigned to them in the Schedule to this Agreement**.** All other words and expressions used in this Agreement, but not defined, and defined in the Act and rules and regulations made there under or the Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995 (7 of 1995) shall have the meanings respectively assigned to them in those Acts or the rules or regulations, as the case may be.

2. TERM OF THE AGREEMENT

2.1 The Agreement shall commence on_____[dd/mm/yyyy] and remain in force till_____ [dd/mm/yyyy] or the date of expiry of registration of the MSO or the LCO, as the case may be, whichever is earlier, unless terminated by either Party as per the terms and conditions of this Agreement.

2.2 The duration of the Agreement may be extended on terms and conditions to be mutually agreed between the Parties and recorded in writing provided that the extended term does not go beyond the last date of validity of registration of the MSO or the LCO, whichever is earlier.

3. TERMINATION OF THE AGREEMENT

3.1 Either Party has a right to terminate the Agreement by serving an advance notice of 21 days in writing to the other Party in the event of:-

(iv) material breach of the Agreement by the other Party which has not been cured within 15 days of being required in writing to do so; or

(v) the bankruptcy, insolvency or appointment of receiver over the assets of other Party; or

(vi) the other Party indulging in, or allowing or inducing any person to indulge in piracy or carrying programming service provided on the channel which is in violation of the Programme & Advertising Codes prescribed in the Cable Television Network Rules, 1994, as amended from time to time.

3.2 The LCO has a right to terminate the Agreement in the event of the MSO discontinuing the business of retransmission of signals of TV channels in the Territory.

3.3 The MSO has a right to terminate the agreement in the event of the LCO discontinuing its cable TV business in the Territory.

3.4 If the MSO decides to discontinue the business of retransmission of signals of TV channels in the Territory for any reason, it shall give a notice in writing, specifying the reasons for such decision, to the LCO at least 90 days prior to such discontinuation.

3.5 If the LCO decides to discontinue its business of providing signals of TV channels to the subscriber in the territory, it shall give a notice in writing, specifying the reasons for such decision, to the MSO at least 90 days prior to such discontinuation.

4. EFFECT OF TERMINATION AND EXPIRY

4.1 In the event of termination or expiry of the term of the Agreement, as the case may be, at the instance of either Party, each Party shall pay all amounts due and payable up to the date of termination or expiry to the other Party.

4.2 The LCO shall, within 15 days of the termination or expiry of the term of this Agreement, as the case may be, in terms of the provisions mentioned herein, hand over to the MSO all properties and assets belonging to the MSO, which are in the custody of the LCO. The LCO shall also be liable to make good all the losses or damages, if any, caused to such properties and assets belonging to the MSO, in custody of the LCO, within 30 days from the receipt of notice to this effect from the MSO and in the event of inability of LCO to repair such properties/assets, the LCO shall pay to the MSO the depreciated value of such properties/ assets.

4.3 The MSO shall, within 15 days of the termination or expiry of the term of this Agreement, as the case may be, in terms of the provisions mentioned herein, hand over to the LCO all properties and

assets belonging to the LCO, which are in the custody of the MSO**.** The MSO shall also be liable to make good all the losses or damages, if any, caused to such properties and assets belonging to the LCO, in custody of the MSO, within 30 days from the receipt of notice to this effect from the LCO and in the event of inability of MSO to repair such properties/assets, the MSO shall pay to the LCO the depreciated value of such properties/ assets.

Explanation:- The clause 4.2 and 4.3 above shall not have any application in respect of Hardware or any other equipment belonging to the MSO or the LCO, as the case may be, which are installed at the premises of the subscribers.

4.4 If the LCO or the MSO, as the case may be, fails to hand over the assets or make good losses or damages caused to such properties and assets within the above stipulated period, the defaulting Party shall be liable to make payment for the depreciated value of the same together with simple interest calculated at the rate 2% over and above the base rate of interest of the State Bank of India.

5. PROVISIONING OF SERVICES

5.1 The MSO shall make available signals of TV channels to the LCO, on non-exclusive basis, in order to re-transmit the same to the subscribers in the Territory, in terms of this agreement and as per prevailing norms, policies, the applicable laws and rules, regulations, directions and orders of the concerned authorities.

5.2 The LCO shall carry signals of TV channels received from the MSO, on non-exclusive basis, for distribution to the subscribers in the Territory.

5.3 The Parties shall compulsorily transmit, re-transmit or otherwise carry any channel, content or programme only in encrypted mode through a digital addressable system strictly in terms of and in accordance with the applicable laws and regulations.

5.4 The roles and responsibilities of the Parties to the Agreement for provisioning of services are contained in **clause 10** of this Agreement.

5.5 In consideration of the roles and responsibilities mentioned in **clause 10** of the Agreement, the revenue settlement between the LCO and the MSO have been mentioned in the **clause 12** of the Agreement.

6. RIGHTS OF THE MSO

6.1 The MSO shall continue to have a right of ownership of its network used to deliver the cable TV services under this agreement and it may expand/ upgrade/ change/ replace/ re-design any part or entire network subject to the condition that any such activity does not interrupt or degrade the Quality of Service provided to the subscribers.

6.2 The MSO shall sign the interconnection agreement with broadcasters for re-transmission of signals of TV Channels as per prevailing norms, policies, the applicable laws and rules, regulations, directions and orders of the concerned authorities.

6.3 The MSO shall have the right to finalise the maximum retail price of each channel, as payable by the subscriber in compliance with the provisions of applicable laws and rules, regulations and tariff orders.

6.4 The MSO shall have the right to package the channels/ services offered on the network, as per its business plan and as per prevailing norms, policies, the applicable laws and rules, regulations and tariff orders.

6.5 The MSO shall have the right to finalise the rate of Basic Service Tier (BST) in compliance with the provisions of the applicable tariff orders and regulations notified by the Authority from time to time.

6.6 The MSO shall have the right to finalise the rates of bouquets of channels, if offered by the MSO, in compliance with the provisions of the applicable tariff orders and regulations notified by the Authority.

6.7 The MSO shall have the right to get all requisite information from the LCO for the purpose of fulfilling its responsibilities under the Agreement, and the applicable orders and regulations.

7. RIGHTS OF THE LCO

7.1 The LCO shall continue to have its right of ownership of its network used to deliver the cable TV services under this agreement and it can expand/ upgrade/ change/ replace/ re-design any part or entire network subject to the condition that any such activity does not interrupt or degrade the Quality of Service offered to the subscriber on its network.

7.2 The LCO shall have right to get all the requisite information from the MSO for the purpose of fulfilling its responsibilities under the Agreement, and the applicable orders and regulations.

8. OBLIGATIONS OF THE MSO

8.1 MSO shall set up and operationalise the Head-end, Conditional Access System (CAS) and Subscriber Management System (SMS) for ensuring efficient and error-free services to the subscribers by recording and providing individualized preferences for channels, billing cycles or refunds.

8.2 The MSO shall make available to the LCO, the necessary and sufficient information relating to the details of channels, bouquets of channels, and services offered to the subscribers including their prices.

8.3 The MSO shall provide web based grievance redressal mechanism for addressing the complaints of LCOs in relation to the provision of services, roles and responsibilities, revenue settlements, quality of services etc.

8.4 The MSO shall not issue pre-activated STBs and the STBs shall be activated only after the details of the Customer Application Form (CAF) have been entered into the SMS.

8.5 The MSO shall generate bills for subscribers on regular basis, for charges due and payable for each month or as per the billing cycle applicable for that subscriber, within 3 days from the end of the billing cycle.

8.6 The MSO shall provide access to the relevant part of the SMS under its control to the LCO for the purpose of fulfilling responsibilities by the Parties under the Agreement, and the applicable orders and regulations.

8.7 The MSO shall not indulge in any piracy or other activities, which has the effect of, or which shall result into, infringement and violation of trade mark and copyrights of the LCO or person associated with such transmission.

8.8 The MSO shall comply with all the applicable statutes or laws for the time being in force, or any rules, codes, regulations, notifications, circulars, guidelines, orders, directions etc. issued, published or circulated under any law for the time being in force.

8.9 The MSO shall not do any act or thing as a result of which, any right or interest of the LCO in respect of cable TV signals under this Agreement or any property of the LCO may be infringed or prejudiced.

8.10 The MSO shall be responsible for encryption of the complete signal, up to the STB installed at the premises of the subscriber.

8.11 The MSO shall not disconnect the signals of TV Channels, without giving three weeks' advance notice to the LCO clearly specifying the reasons for the proposed disconnection as envisaged in the Interconnection Regulation.

8.12. The MSO shall make available online payment gateway, prepaid system for subscribers and facility for electronic acknowledgment to the subscriber on the receipt of payment from the subscriber.

8.13 The MSO shall provide to the LCO at least 2% of the total STBs active in the network of the LCO with an upper cap of 30 STBs as maintenance spare, which are not pre-activated, to ensure speedy restoration of services affected due to any fault in STB. This quantity of maintenance spare STBs shall be maintained during the term of the agreement.

8.14 The MSO shall intimate to the LCO, at least 15 days in advance, in respect of any proposed changes in the package composition or the retail tariff being offered to the subscriber.

8.15 The MSO shall have no right, without the prior written intimation to the LCO, to assign or transfer any of its rights or obligations under this Agreement.

9. OBLIGATIONS OF THE LCO

9.1 The LCO shall handover a copy of CAF received from subscribers within 15 days to the MSO;

9.2 The LCO shall be responsible for entering the details of the bill amount paid by the individual subscriber to the LCO for the Cable TV services in the SMS.

9.3 The LCO shall not indulge in any piracy or other activities, which has the effect of, or which shall result into, infringement and violation of trade mark and copyrights of the MSO, or any other person associated with such retransmission.

9.4 The LCO shall have no right, without the prior written intimation to the MSO, to assign or transfer any of its rights or obligations under this Agreement.

9.5 The LCO shall not replace the STBs of the MSO with the STBs of any other MSO without receiving the requests from the subscribers through application forms for returning the STB of the existing connections and for providing new connections through Customer Application Form. The new Set Top Box shall be activated only after entry of the details, as provided in new Customer Application Form, into the Subscriber Management System of the new MSO.

9.6 The LCO shall –

(i) not transmit or retransmit, interpolate or mix any signals which are not transmitted or generated by the MSO without the prior written consent of the MSO;

(ii) not insert any commercial or advertisement or information on any signal transmitted by the MSO. Any such tampering of signals or interpolating of signals shall be deemed to be a violation of this Agreement and shall constitute sufficient cause for termination of this Agreement by the MSO by giving such notice as prescribed under the law or under this agreement;

(iii) not interfere in any way with the signals provided by the MSO and also not use any decoding, receiving, recording equipment(s), counterfeit set top box or Smart card and any other like equipments;

(iv) not alter or tamper the Hardware including the seal (seal to prevent opening of set top box), misuse, replace, remove and shift the Smart card or STB without the written consent of MSO from their respective original addresses;

(v) not use, either before or after the installation of STB, of any decoding, receiving, recording equipment(s), counterfeit set top box(es), smart card(s) other than the STB(s), Smart cards and any other equipments supplied/ approved by the MSO, and to take actions as directed by the MSO against such subscribers.

(vi) intimate the MSO promptly about any alteration, tampering with the Hardware including the seal, misuse, replacement, removal and shifting of Smart cards and STBs, without the written consent of MSO, from their respective original addresses and also about the use, either before or after the STBs, of any decoding, receiving, recording equipment(s), counterfeit set top box(es) and smart card(s) other than the STB(s), Smart card(s) and any other items of Hardware supplied by the MSO, and to take actions as directed by the MSO against such subscribers.

9.7 The LCO shall not provide connection to any entity for further retransmission of the Cable TV signals.

9.8 The LCO shall not record and then retransmit Cable TV signals or otherwise to block or add or substitute or otherwise tamper with the signal being transmitted by the MSO or with the trunk line nor shall allow any other person to do so.

9.9 The LCO shall not do any act or thing as a result of which, any right or interest of the MSO in respect of the Cable TV signals under this Agreement or any property of the MSO may be infringed or prejudiced.

9.10 The LCO shall permit access to the systems under its control to the MSO, on non-exclusive basis, for the purpose of fulfilling responsibilities by the Parties under the Agreement, and the applicable orders and regulations.

9.11 The LCO shall not disconnect the signals of TV Channels, without giving three weeks' notice to the MSO clearly specifying the reasons for the proposed disconnection as envisaged in the Interconnection Regulation.

10. ROLES AND RESPONSIBILITIES OF THE MSO AND THE LCO:

Sl. No.	**Role**	**Responsibility in the event of agreement signed under the proviso to the clause 5 of the Tariff Order.**	**Remarks**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**
1	Publicizing schemes for obtaining and returning the Set Top Boxes (STBs) by the subscriber and the warranty/ repairing policy applicable thereof.	**MSO**	• The MSO shall finalize the schemes for provisioning/ returning STBs, warrantee/ repairing policy applicable thereof. However

2	Devising formats of application as specified in the schedule-I of the QoS regulations for seeking connection, disconnection, reconnection, transfer, and shifting of Cable TV services;		the MSO shall share such details with the LCO. • The MSO shall finalize the packaging and pricing of channels/ services and such details shall be shared with the LCO. • The MSO shall finalize the contents of MOP and consumer charter. Copies of such MoP and Consumer Charter documents shall be shared with the LCO.
3	Publication of Manual of Practice (MoP)		
4	Publication of Consumer Charter.		
5	Setting up of Website containing information pertaining to services, details of complaint centre, complaint redressal system, complaint monitoring system, citizen charter, nodal officer etc.	**MSO**	
6	e. Establishment of Complaint centre for (iii) addressing service requests of subscribers, (iv) redressal of complaints of subscribers. f. Establishment of web based Complaint Monitoring system. g. Providing Toll free Consumer Care Number and its publicity. h. Maintenance of records of all complaints filed by the consumer as provided in the Complaint Redressal Regulations.	**MSO**	The MSO shall communicate to the LCO the details of complaint centre for onward communication to subscribers.
7	Specification of a system of discount or rebate to the subscriber due to interruptions in service and creating awareness about such scheme.	**MSO**	The MSO shall communicate to the LCO, the details of such scheme for onward communication to subscribers.

8	g. Providing information to the subscriber about the schemes for obtaining and returning the STB and the warranty/ repairing policy applicable thereof. h. Providing of the application form along with the MOP to the applicants/ subscribers and i. Receiving of application form from applicants/ subscribers for (iii) connection**,** reconnection, transfer, and shifting of Cable TV services; (iv) obtaining and returning of STB. j. Returning of the duplicate copy of the application form to the applicant/ subscriber as an acknowledgment of receipt of application. k. Communication of shortcomings or deficiency, in the application form, in writing to the applicant, within 2 days of receipt of the application. l. Communication of technical or operational non-feasibility to the applicant, in case it is technically or operationally non-feasible to provide connection, reconnection, shifting of service or supply of STB at the location, where the services are requested by the applicant, within 2 days of receipt of the application.	**LCO**	The LCO shall update the information in the Subscriber Management System (SMS) in each case within 24 hours from the receipt of the application.
9	Issue of Unique Identification Number (UIN) for the applicant.	**LCO**	The UIN shall be generated from the SMS. The relevant access of the SMS should be provided by the MSO to the LCO.
10	Installation of STB at the premises of the subscriber and activation through SMS.	**LCO**	MSO should provide relevant access to SMS for STB activation.
11	Providing rebate to the subscriber for delay in installation and activation of STB.	**MSO**	In cases where the delay can be attributed to the LCO, for such cases the MSO may recover the rebate amount from the LCO.
12	Issuance of advance notice of 15 days regarding discontinuing or disconnection of cable service to the subscriber, indicating the reasons for such discontinuation or disconnection.	**MSO**	The MSO shall intimate the LCO in writing before issuing such advance notice to the subscriber.
13	Receipt of request from the subscriber for disconnection or suspension of service and its execution through SMS.	**LCO**	The LCO shall update the information in the SMS immediately.
14	Receipt of request for change in subscription package from the subscribers and its execution through SMS.	**LCO**	The LCO shall update the information in the SMS immediately.
15	Notice to the Subscribers regarding disruption of signals for preventive maintenance.	**MSO**	If the preventive maintenance is to be carried out by the LCO then he shall inform the MSO to enable him to give notice to the subscribers.

16	Response to the consumer complaints as per norms of the QoS regulations.	**MSO**	The complaints received by the Party shall be immediately updated in the web based complaint monitoring system so that the necessary corrective action can be taken by the Parties in time and the same can be monitored by the complainant.
17	Redressal of consumer complaints as per the norms of the QoS regulations:- (v) relating to 'No signal'; (vi) relating to STB; (vii) relating to subscriber's billing and receipts; (viii) any other complaint.	**Overall responsibility of MSO, faults in the network of the LCO shall be rectified by the LCO.**	The complaints redressed by the Party shall be immediately updated in the web based complaint monitoring system.
18	Designation of nodal officer as per the provisions of the consumer complaint redressal regulation.	**MSO**	
19	Communication to subscriber about redressal of the complaint received from the Authority.	**MSO**	
20	Printing and delivery of system generated itemized bills to subscribers.	**MSO**	In cases where the payment is collected by the LCO from the subscriber, then in such cases details of payment received by LCO shall be updated in the SMS immediately so that electronic acknowledgement to the subscriber is generated automatically.
21	Delivery of payment receipts to subscribers.	**MSO**	
22	Electronic acknowledgement to subscriber.	**MSO**	
23	Providing information relating to itemised usage showing actual usage of service in case of prepaid bills for any period within 6 months.	**MSO**	The requests received by the LCO shall be immediately updated in the SMS so that the MSO can provide the requisite details to the subscriber in time.
24	Payment of taxes to the Government.	**MSO and/ or LCO**	The specific details of tax payment responsibilities need to be filled in the adjoining cells at the time of signing of the agreement as per the rules and regulations of the respective Tax authorities.

11. BILLING

11.1 The billing for subscribers shall be in the name of the MSO. However, each party shall ensure that the applicable laws, rules and regulations relating to taxes are complied with.

11.2 The MSO shall receive the payment of the subscription fee paid by the subscribers. The revenue share as per clause 12.1 of this Agreement shall be paid by the MSO to the LCO on receipt of the invoice from the LCO.

12. REVENUE SETTLEMENT BETWEEN THE MSO AND THE LCO AND RELATED RIGHTS AND OBLIGATIONS

12.1 The revenue settlement between the MSO and the LCO shall be in the following manner:-

(c) the charges collected from the subscription of channels of Basic Service Tier, free to air channel and bouquet of free to air channels shall be shared in the ratio of 55:45 between the MSO and the LCO respectively; and

(d) the charges collected from the subscription of channels or bouquet of channels or channels and bouquet of channels other than those specified under clause (a) shall be shared in the ratio of 65:35 between the MSO and the LCO respectively.

12.2 The MSO shall share the complete information relating to the subscribers billing and receipt of the payments with the LCO. The LCO shall issue monthly invoice to the MSO towards dues payable by the MSO for revenue settlement and such invoice shall clearly specify the current payment dues and arrears, if any, along with the due date of payment which shall not be less than seven days. Any demand of arrears shall be accompanied by the proof of service of invoices for the period for which the arrears pertain. The amounts raised in the invoice shall be payable on or before the due dates as mentioned therein.

12.3 The Party shall update the details of the subscription amount realised from the subscriber, in the SMS within 7 days from the due date.

13. DEFAULTS

13.1 Without prejudice to such rights and remedies that the Parties may have in law or under the provisions of this Agreement, in the event of any delay or failure by the MSO or the LCO, as the case may be, to make payments of dues on or before the respective due dates, the LCO or the MSO, as the case may be, shall have the right:-

(i) to disconnect the services subject to the compliance of the applicable rules, regulations, directions or orders of the Authority;

(ii) to terminate this Agreement, subject to compliance of the applicable laws in force;

(iii) to charge a simple interest at the rate 2% over and above of the base rate of interest of the State Bank of India from the date such amounts became due until those are fully and finally paid;

13.2 In cases where any of the Parties has failed to make payment on or before due date for three consecutive months in the past, the other Party shall have right to demand the interest free security deposit which shall not exceed average of immediately preceding 6 months billing amounts and the same shall be maintained for the remaining term of the agreement.

13.3 Upon disconnection of the service as mentioned in clause 13.1 above, whether accompanied by termination of this Agreement or not, the defaulting Party shall be liable to deposit forthwith all sums payable by it. In the case of termination, accounts shall be settled within thirty days and for delayed payments, either Party shall be liable to pay simple interest at the rate 2% over and above of the base rate of interest of the State Bank of India.

14. UNDERTAKINGS

14.1 Each Party shall recognize the exclusive ownership of the property owned and installed by the other Party and shall not have or claim any right, title or interest or lien of whatsoever nature.

14.2 Nothing contained herein shall constitute either Party as the agent or partner or the representative of the other for any purpose and neither Party shall have the right or authority to assume, create or incur any liability or obligation of any kind, express or implied, in the name of or on behalf of the other Party and the relationship between the MSO and the LCO shall remain on "Principal to Principal" basis.

14.3 It is expressly understood by the Parties that "_____" logo(s) is a Registered Trade Mark of the MSO, and the LCO shall use the said logo only during the currency of this Agreement for the benefit of the cable television networking business of the MSO. Consent of the MSO is hereby given to the LCO to use the said logo, to the extent of or in connection with the business of the MSO.

14.4 It is expressly understood by the Parties that "_____" logo(s) is a Registered Trade Mark of the LCO, and the MSO shall use the said logo only during the currency of this Agreement for

the benefit of the cable television networking business of the LCO. Consent of the LCO is hereby given to the MSO to use the said logo, to the extent of or in connection with the business of the LCO.

14.5 It is clearly understood and accepted by each Party that it shall have no right to use any intellectual property of the other on its Cable TV service or otherwise on or after the withdrawal by the other Party of its consent for such uses.

14.6 In case the LCO or the MSO, as the case may be, decides to transfer its interest in respect of its business of providing Cable TV Service to any other party / person (third party), in whole or in part, the LCO or the MSO, as the case may be, shall give prior notice to the MSO or the LCO. One Party shall not have any objection to such transfer if the other Party has complied with its obligations under this contract and has paid all its dues.

Provided, however, that such third party shall sign and execute a deed of adherence to the terms & conditions of this Agreement and other undertaking/ bonds to the satisfaction of the MSO or the LCO, as the case may be, in order to give effect to the provisions of this Agreement.

14.7 The LCO shall maintain and continue to maintain its Postal Registration Certificate renewed from time to time in accordance with the Cable TV Networks (Regulation) Act, 1995 and comply with the terms and conditions of the registration certificate issued by the Postal Authority.

14.8 The MSO shall maintain and continue to maintain its Registration Certificate renewed from time to time in accordance with the Cable TV Networks (Regulation) Act, 1995 and comply with the terms and conditions of the registration.

14.9 Both the Parties shall comply with the Programme Codes and Advertising Codes prescribed in the Cable Television Network Rules, 1994, as amended from time to time.

14.10 Both the Parties shall comply with the laws for the time being in force in India, as applicable to them.

15. PREVENTION OF PIRACY

15.1 The Parties shall not indulge or allow any person to indulge in Piracy or in reverse engineering any technology used in the Hardware or any component thereof nor shall they use the Hardware to be connected to any equipment for setting up a mini head-end for retransmission of the signals generated from the same.

15.2 Signal to any subscriber shall be disconnected by the MSO or the LCO, as the case may be, after giving due notice as required under applicable regulations, if found to be indulged in or abetting any Piracy.

16. DISCLAIMER AND INDEMNITY

16.1 In no event, the MSO shall be liable to the LCO for any indirect, special, incidental or consequential damage arising out of or in connection with the disruption, interruption or discontinuance of the Service or for any inconvenience, disappointment or due to deprival of any programme or information or for any indirect or consequential loss or damage, which is not attributable to any act of the MSO.

16.2 In no event, the LCO shall be liable to the MSO for any indirect, special, incidental or consequential damage arising out of or in connection with the disruption, interruption or discontinuance of the Service or for any inconvenience, disappointment or due to deprival of any programme or information or for any indirect or consequential loss or damage, which is not attributable to any act of the LCO.

16.3 LCO shall indemnify the MSO for all cost, expense and damages by reason of any claim, action or proceedings from any third party or from subscribers for any inconvenience, loss or annoyance caused to them due to any default of the LCO or due to termination of the Agreement or suspension of the Service due to LCO's breach.

16.4 MSO shall indemnify the LCO for all cost, expense and damages by reason of any claim, action or proceedings from any third party or from subscribers for any inconvenience, loss or annoyance caused to them due to any default of the MSO or due to termination of the Agreement or suspension of the Service due to MSO's breach.

17. GOVERNING LAW AND DISPUTE RESOLUTION

17.1 As mandated by the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997, the Parties shall not institute any suit or seek injection or interim orders in any court or judicial tribunal/ authority in India with respect to any claims, dispute or differences between the Parties arising out of this Agreement save and except before the Telecom Disputes Settlement and Appellate Tribunal, New Delhi **("TDSAT").** The Parties agree that all disputes between the Parties shall be resolved solely through proceedings instituted before the TDSAT.

18. FORCE MAJEURE

18.1 Failure on the part of the MSO or the LCO to perform any of its obligations, shall not entitle either Party to raise any claim against the other or constitute a breach of this Agreement to the extent that such failure arises from an event of Force Majeure. If through Force Majeure the fulfilment by either Party of any obligation set forth in this Agreement is delayed, the period of such delay shall not be taken into account in computing periods prescribed by this Agreement. Force Majeure will include act of god, earthquake, tides, storm, flood, lightening, explosion, fire, sabotage, quarantine, epidemic, arson, civil disturbance, terrorist attack, war like situation, or enactment of any law or rules and regulation made by the Authorities or revocation of registration of the Parties any circumstances beyond the reasonable control of the Parties herein that directly or indirectly hinders or prevents either of the Parties from commencing or proceeding with the consummation of the transactions contemplated hereby. The Party affected by such Force Majeure event shall promptly notify the other Party of the occurrence of such event. It is agreed between the Parties that lack of funds shall not in any event constitute or be considered an event of Force Majeure. If the conditions of Force Majeure to continue for a period exceeding one month, the Parties shall meet to decide upon the future performance of the Agreement. If the Parties are unable to agree upon a plan for future performance, then the Agreement shall be terminated upon notice of either Party to the other, on expiry of one month from the date of such notice.

18.2 Any accrued payment obligation of a Party prior to the commencement of Force Majeure shall survive the termination of this Agreement pursuant to such Force Majeure.

19. NOTICES

19.1 Any notice to be served on any Party by the other shall be deemed to have been validly sent if sent by Registered Post Acknowledgement Due (RPAD) or speed post service of Department of Post, Government of India or by hand delivery duly acknowledged at the address mentioned in the beginning or at such other changed address as the Party may inform and the date of receipt of such notice shall be the date of receipt by the other Party or 7 days from the date of dispatch of the notice by RPAD, whichever is earlier.

20. RESTRICTION ON TRANSFER

20.1 The either Party shall not remove, sell, assign, mortgage, transfer/sublet and encumber all or any part of the network which belongs to the other Party. If the Party indulges in any of the above-mentioned acts, the said acts shall be illegal and void ab-initio and the Party shall also be liable for any action under the applicable law.

21. CONFIDENTIALITY

21.1 The Parties shall keep in strict confidence, any information received by one from the other while participating in the affairs/business of each other and shall not disclose the same to any person not being a party to this Agreement.

21.2 The Parties shall also bind their employees, officers, advisors, associates, contractors, agents, authorized persons and other similar persons to whom the above mentioned information may be disclosed, to the obligations of confidentiality.

21.3 The Parties hereby agrees that the confidential information can be disclosed to the statutory authority on demand by such authorities.

22. MODIFICATIONS

22.1 The Agreement cannot be modified, varied or terminated except in writing. Any variation of the Agreement, including Addendum Agreements, Annexures, Schedules or any other document, called by whatever name, but executed in relation to this Agreement, shall be mutually agreed to in writing and executed by or on behalf of the Parties.

23. BINDING EFFECT

23.1 This Agreement modifies all prior understanding of the Parties as to the subject matter thereof and shall not be amended except in writing by both the Parties. Any other understanding between the Parties (if any) with regard to any other matter or any accrued rights and obligation of the Parties not covered under this agreement, if any, shall continue to be in full force and effect.

IN WITNESS WHEREOF the Parties have set and subscribed their respective hands to this Agreement on the date and year appearing hereinabove.

Signed on behalf of the MSO

(_____)

In the presence of

1. ……..

2. ……..

Signed on behalf of the LCO

(_____)

In the presence of

1. ……..

2. ……..

Note: *The self attested copies of power of attorney/authorization letter, whereby the signatories of this agreement have been authorised to sign and execute this agreement by the Parties, shall be attached with this agreement.*

Schedule

DEFINITIONS AND INTERPRETATIONS

A. DEFINITIONS

In the Agreement unless the context requires otherwise, the following words and expressions shall have the meanings set out herein below:

(a) **"Act"** means the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997), as amended from time to time;

(b) **"Addressable System"** shall have the same meaning as assigned to it in the Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995 (7 of 1995), as amended from time to time;

(c) **"Authority"** means the Telecom Regulatory Authority of India established under subsection (1) of section 3 of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997;

(d) **"Basic Service Tier"** shall have the same meaning as assigned to it in the Tariff Order.

(e) **"Bouquet" or "Bouquet of channels"** means an assortment of distinct channels, offered together as a group or as a bundle;

(f) **"Broadcaster"** means a person or a group of persons, or body corporate, or any organization or body who, after having obtained, in its name, uplinking permission or downlinking permission, as may be applicable for its channels, from the Central Government, provides programming services;

(g) **"Cable service or cable TV service"** means the transmission by cables of programmes including retransmission by cables of any broadcast television signals;

(h) **"Cable television network or cable TV network"** means any system consisting of a set of closed transmission paths and associated signal generation, control and distribution equipment, designed to provide cable service for reception by multiple subscribers;

(i) **"Channel or TV Channel"** means a channel, which has been registered under -----

(i) the guidelines for uplinking from India, issued vide No.1501/2/2002-

TV(I)(Pt.) dated the 2nd December, 2005; or

(ii) policy guidelines for downlinking of televisions channels, issued vide No.

13/2/2002-BP&L/BC-IV dated the 11th November, 2005, ---------

as amended from time to time, or such other guidelines for uplinking or downlinking of television channels, as may be issued from time to time by Government of India

(Ministry of Information and Broadcasting) and reference to the term 'channel' shall be construed as a reference to "channel or TV channel";

(j) **"Complaint Centre"** means a facility established by the multi-system operator or his linked local cable operators, as the case may be, under Consumer Complaint Redressal Regulation;

(k) **"Consumer Complaint Redressal Regulation"** means the Consumers Complaint Redressal (Digital Addressable Cable TV Systems) Regulations, 2012 (13 of 2012), dated 14th May 2012, as amended from time to time;

(l) **"CTN Act"** means the Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995 (7 of 1995), as amended from time to time.

(m) **"Encryption or encrypted"** in respect of a signal of cable television network, means the changing of such signal in a systematic way so that the signal would be unintelligible without use of an addressable system and the expression "unencrypted" shall be construed accordingly;

(n) **"Free To Air channel"** shall have the same meaning as assigned to it in the Tariff Order.

(o) **"Hardware"** means a multi-system operator approved set top box to enable the decryption of signals of Channels transmitted in encrypted form, the remote and other associated components and accessories.

(p) **"Headend"** means a facility that contains satellite receivers, modulator, compression equipment, multiplexes, and conditional access facilities, other transmission equipments and has antennas which receive signals from Satellite and/or from local studio for retransmission to subscribers directly or through linked LCOs;

(q) **"Interconnection Regulation"** means the Telecommunication (Broadcasting and Cable Services) Interconnection (Digital Addressable Cable Television Systems) Regulations, 2012 (9 of 2012), dated 30th April, 2012, as amended from time to time.

(r) **"Manual of Practice (MoP)"** means the Manual of Practice referred in the QoS Regulation;

(s) **"Nodal Officer"** means the officer appointed or designated by the multi-system operator or his linked local cable operator, as the case may be, under the Consumer Complaint Redressal Regulation;

(t) **"Pay Channel"** shall have the same meaning as assigned to it in the Tariff Order;

(u) **"Piracy"** means unauthorized reception, retransmission or redistribution of Cable TV Signal by any person by any means and modes including but not limited to any alteration, tampering of the seal or any component or accessory thereof or misuse, replacement, removal and/or shifting of Hardware or any use, either before or after the set top box, any decoding, receiving, recording equipment(s), counterfeit or unauthorized devices or any activity, which has the effect of, or which may result into, infringement and violation of trade mark and copyright of the MSO or the LCO as the case may be;

(v) "**Programme**" means any television broadcast and includes;

(i) exhibition of films, features, dramas, advertisements and serials;

(ii) any audio or visual or audio-visual live performance or presentation and----

the expression "programming service" shall be construed accordingly;

(w) **"QoS Regulation"** means the Standards of Quality of Service (Digital Addressable Cable TV Systems) Regulations, 2012 (12 of 2012), dated 14th May, 2012, as amended from time to time.

(x) **"Set top box or STB "** means a device, which is connected to, or is part of a television and which allows a subscriber to receive in unencrypted and descrambled form subscribed channels through an addressable system;

(y) **"Smart Card"** means the card duly approved by the multi-system operator as part of the Hardware, which enables the subscriber to gain access to the Cable TV signals of Channels.

(z) **"Subscriber"** means a person who receives broadcasting services or cable services from a multi-system operator or cable operator at a place indicated by him to the multi-system

operator or cable operator, as the case may be, without further transmitting it to any person and includes ordinary subscribers and commercial subscribers, unless specifically excluded;

"For removal of doubts, it is clarified that each set top box installed at the premises would constitute a subscriber."

(za) **"Subscriber Management System or SMS"** means a system or device which stores the subscriber records and details with respect to name, address and other information regarding the hardware being utilized by the subscriber, channels or bouquets of channels subscribed to by the subscriber, price of such channels or bouquets of channels as defined in the system, the activation or deactivation dates and time for any channel or bouquets of channels, a log of all actions performed on a subscriber's record, invoices raised on each subscriber and the amounts paid or discount allowed to the subscriber for each billing period;

(zb) **"Tariff Order"** means the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services (Fourth) (Addressable Systems) Tariff Order, 2010 (1 of 2010), dated 21st July, 2010, as amended from time to time;

(zc) **"Trunk Line"** means the coaxial/optic fiber cable network and other allied equipment such as receiver nodes, amplifiers, splitters etc. owned and installed by the multi-system operator or its associate companies for the purpose of transmitting Cable TV Signal to various LCOs till the receiving end of various LCOs, including the LCO, to enable them to re-transmit the Cable TV Signal to respective subscribers;

All other words and expressions used in this interconnection agreement but not defined, and defined in the Act and rules and regulations made thereunder or the CTN Act and the rules and regulations made thereunder, shall have the meanings respectively assigned to them in those Acts or the rules or regulations, as the case may be.

B. INTERPRETATION

In this Agreement, unless the context otherwise requires:

(a) Any reference to the singular in the Agreement shall include a reference to the plural and vice versa and words importing one gender only shall include all other genders unless the context otherwise requires;

(b) The word "person" shall include individuals, corporations, partnerships, association of persons and any other entities;

(c) Any references to article, clauses, sub-clauses, appendices, annexure and schedules are references to Articles, clauses, sub-clauses, appendices, annexure and schedules to the Agreement unless the context otherwise expressly provides;

(d) References to a "month" are to a calendar month;

(e) Headings and titles are for ease of reference only and shall not affect the interpretation of this agreement and in no way be read to give a construction not harmonious with the interpretation of various clauses of this agreement done otherwise independent of the title.

(f) Any reference to law, regulation, statutory provision, order, guideline, policy, etc, includes references to such law or regulation or provision, order, guideline, policy, etc., as modified, codified, amended or re-enacted from time to time."

S. K. GUPTA, Pr. Advisor (B&CS)

***Note.1---**---The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, vide its notification No. 3- 24/2012- B&CS dated the 30th April 2012 and subsequently amended vide notifications No. 3- 24/2012- B&CS dated the 14th May 2012, No. 3-24/2012-B&CS dated the 20th September 2013, No. 3-24/2012- B&CS dated the 10th February, 2014, No. 6-33/2014-B&CS dated the 18th July, 2014, 6-29/2015-B&CS dated: 14th September 2015 and. No. 3-106/2015-B&CS dated 7th January 2016.*

***Note. 2**-----The Explanatory Memorandum explains the objects and reasons of the Telecommunication (Broadcasting and Cable Services) Interconnection (Digital Addressable Cable Television Systems) (Seventh Amendment) Regulations, 2016 (___ of 2016).*

Explanatory Memorandum

1. The Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) has notified a comprehensive regulatory framework for Digital Addressable Cable TV Systems (DAS) encompassing the interconnection regulations, the quality of service regulations, the tariff orders and the consumer complaint redressal regulations. The Interconnection Regulation applicable for DAS, namely the Telecommunication (Broadcasting and Cable Services) Interconnection (Digital Addressable Cable Television Systems) Regulations, 2012, dated 30th April 2012, as amended from time to time [herein after referred to as 'the Interconnection Regulations 2012'], inter alia, provides a framework for interconnection between Multi System Operators (MSOs) and Local Cable Operators (LCOs). Based on this framework, the MSOs and LCOs (collectively herein after referred to as 'the Parties') are required to enter into written interconnection agreement before providing cable services to subscribers.

2. In terms of the Interconnection Regulations 2012, the Parties, through mutual agreement, are required to decide upon the responsibility for each role as envisaged in the quality of service regulations namely the Standards of Quality of Service (Broadcasting and Cable Services) Regulations 2012, dated 14th May 2012, as amended from time to time [herein after referred to as 'the QoS Regulations 2012']. The tariff order applicable for addressable systems namely the Telecommunication (Broadcasting and Cable Services) (Fourth) (Addressable Systems) Tariff Order, 2010 (1 of 2010), dated 21st July 2010, as amended from time to time [herein after referred to as 'the Tariff Order'], provides that the revenue settlement between the MSO and the LCO shall be determined by mutual agreement between the Parties. In case, the Parties fail to arrive at a mutual agreement the charges collected from the subscribers shall be shared in a manner prescribed in the Tariff Order.

3. As there could be various ways in which the responsibility for each role are divided between the MSOs and the LCOs, the Authority while notifying the comprehensive regulatory framework for DAS, in the year 2012, detailing each and every aspects of interconnection, did not prescribe any specific terms and conditions for interconnection agreement and left it open to market conditions. It was then envisaged that this will provide enough flexibility to the Parties for smooth transitioning from non-addressable systems to digital addressable systems.

4. TRAI received a large number of complaints regarding various issues in signing of the interconnection agreement between the Parties. On one end, the LCOs represented that the terms and conditions of draft agreements offered by MSOs are one sided and do not provide a level playing field. On the other end, the MSOs indicated that the LCOs are not willing to follow the terms and conditions of interconnection agreement already executed between the Parties. Often the roles and responsibilities of the Parties, for meeting the quality of service norms as prescribed in the QoS Regulations 2012, are not clearly defined in the interconnection agreement signed by

the Parties and due to which, in the event of dispute between the Parties, the quality of service delivered to the consumers is adversely affected.

5. To get an insight into the various issues relating to signing of the interconnection agreement between the Parties and implementation of DAS, TRAI held interactions with the Parties in various parts of the country. The Parties, in general, were of the opinion that it would be in the best interest of the sector if TRAI prescribes the terms and conditions of an interconnection agreement which can be entered into by the Parties. This would help in reducing disputes between the Parties and consequently help in improving the quality of service delivered to consumers.

6. After considering representations from the stakeholders, the Authority decided to intervene. The Authority contemplated to prescribe the terms and conditions for interconnection agreement in such a way that it addresses the various concerns of the Parties as well as it provide enough flexibility for accommodating various plausible business models between the Parties. Moreover, the Cable Television Network Rules, 1994, as amended from time to time, provides that the Authority may notify a standard interconnection agreement to be used for entering into commercial agreements for distribution in the notified areas, of pay or free-to-air channels among MSOs and LCOs.

7. To prescribe such interconnection agreement, the Authority formulated a draft Model and Standard Interconnection Agreements (MSIA). The draft MSIA consisted of a draft Model Interconnection Agreement (MIA) and a draft Standard Interconnection agreement (SIA) in a single document. The draft MSIA contained necessary terms and conditions, in line with the existing regulatory framework, inter alia, defining rights, obligations, roles and responsibilities of the Parties with an aim to provide a level playing field to them. It was envisaged in the draft MSIA that in cases where the Parties can mutually agree upon the responsibility corresponding to each role and the revenue settlement, MIA part of the MSIA would be applicable. In cases where the Parties are not able to arrive at a mutual agreement on sharing of the responsibilities or the revenue, SIA part of MSIA would be applicable wherein the Authority had prescribed the responsibility of the Parties corresponding to each role listed in the draft MSIA. In such cases the revenue settlement would be based on the ratios prescribed in the Tariff Order.

8. The Authority, accordingly, decided to initiate a consultation process with the stakeholders before prescription of the MIA or the SIA between the Parties, as the case may be, offering cable services through DAS. The draft MSIA along with a consultation note was uploaded on TRAI website www.trai.gov.in on 9th December 2015, inviting comments and counter comments from stakeholders.

9. The last date for submission of comments & counter-comments was 31st December 2015 and 7th January 2016, respectively. In response, a total of 18 comments & 3 counter-comments were received from stakeholders, including some from individuals. Subsequently, an Open House Discussion (OHD) was held on 28th January 2016 in Delhi, which was attended by a large number of stakeholders. Post OHD, the stakeholders were given a further opportunity to provide their views/ comments in writing on the issue by 01st February 2016. Three additional comments were received by the due date. The comments and counter comments were uploaded on TRAI website www.trai.gov.in.

10. The following paragraphs provide gist of the comments/ views of the stakeholders received on the issue, analysis of these comments and objects & reasons of this amendment to the Interconnection Regulations 2012. Some of the comments received from the stakeholders do not relate directly to the issue under consultation but are in the nature of suggestions for amendments in the present

regulatory framework. These suggestions may be considered for consultation by the Authority separately at appropriate time.

Analysis of the comments of stakeholders

Nomenclature of the Parties (MSOs and LCOs) and territory of operation

11. Some cable operator associations opined that MSOs may be referred to as Head-end Service Provider (HSP) in the agreement as MSO is only a mediator or a wholesaler of 'pay' TV broadcasters and aggregator of FTA channels. Similarly, they stated that the LCOs should be referred as Last Mile Owners (LMO) as it builds, operates, maintains and upgrades the networks connecting all consumers. An individual was of the view that in the Cable TV Act there is no term like the LCO or the LMO and it is the 'cable operator' who is responsible for management and operation of cable TV network. He suggested that Head-end Service Provider (HSP) is the better term for the MSO. If MSO provides cable service directly to the subscribers only then it should be treated as cable operator otherwise it should be treated as HSP.

12. On the aspect of the territory of the operation of the LCO, one cable operators association suggested that the map of the area of operation should be attached with the agreement.

13. The Cable TV Networks (Regulation) Act 1995 and the Cable TV Rules made there under defines the MSO which reads as under:-

"Multi System Operator" means a cable operator who has been granted registration under rule 11C and who receives a programming service from a broadcaster or its authorised agencies and re-transmits the same or transmits his own programming service for simultaneous reception either by multiple subscribers directly or through one or more ***local cable operators*** *and includes his authorised distribution agencies, by whatever name called."*

14. Similarly, as per the Cable TV Networks (Regulation) Act 1995 and the Cable TV Rules made there under, the LCO is registered in the head post office of the areas of its operations for providing cable services. Since the MSO and the LCO terminologies are used in the Cable TV Networks (Regulation) Act 1995, the Authority is of the view that the names of these entities need not be changed. On the aspect of mandating the map of the territory, the Authority observed that names of the territory are already part of the MIA and SIA. Further in DAS, the subscriber's details along with names and addresses are transparently reflected in the Subscriber Management System (SMS) and the same is sufficient to resolve the territory related disputes, if any. Therefore attachment of the map with the interconnection agreement may not serve any useful purpose except to increase the cost to the Parties. However, the map of the area can be attached with mutual consent with the model interconnection agreement.

Term of agreement

15. On the aspect of term of agreement, a distribution agent of broadcasters commented that the duration of the agreement may be extended, provided that the extended term does not go beyond the date of expiry of registration of the MSO or the LCO.

16. The Authority accepted the suggestion and accordingly the relevant clause in the MIA and the SIA has been suitably modified.

Termination of the agreement

17. On the aspect of termination of the agreement, most of the MSOs and their association proposed that the curing period of 30 days should include 21 days notice period for termination. Another MSO suggested that 21 days notice should be sufficient in case of material breach. As per them,

for continued breach the default should not be allowed to continue after 30 days and therefore additional 21 days notice is not required. Whereas a broadcaster's association commented that the notice period for curing the breach may be reduced from 30 days to 14 days**.** An individual suggested that the time to cure material breaches/ deficiencies should be reduced to 15 days. Whereas a cable operator association commented that the time provided in the draft MSIA is appropriate.

18. On the aspect of termination of the agreement, in the event of MSO discontinuing the business, a cable operator association commented that period of disconnection and reason thereof should be given and discontinuation should effect after prior notice of at least 30 days. Another association expressed that in cases where only one MSO is having operations in a particular area and it plans to discontinue or wants to sell/ merge with another Party, a simple notice of 90 days may not be adequate for LCO to install his own head-end or wait for another MSO to get connected.

19. The Authority noted that the curing period of 30 days and notice period of 21 days may result in breach continuing for 51 days and which may give undue advantage to the defaulting Party. Therefore the Authority is of the view that the curing period should be reduced to 15 days and in case of continued breach the notice period of 21 days should start thereafter. Accordingly, the relevant clause has been modified.

20. On the aspect of disconnection due to a Party exiting the business, the Authority is of the view that the time of 90 days is sufficient for the purpose and notice in writing specifying the reasons for such decision shall be given to the other Party. Accordingly, the relevant clause has been modified.

Effect of Termination and Expiry.

21. In the draft agreements for consultation, comments of stakeholders were drawn on the possible clauses for mitigating the situation in the event of termination or expiry of the agreement. Some LCO associations commented that the list of hardware or any other property/asset including STBs belonging to MSO and installed in the network of the LCO for delivery of services should be attached with the agreement and MSO should be responsible for daily upkeep and maintenance of equipment meant to provide services to the LCO. LCO will compensate only such damage that has been caused due to his negligence/ willful damage and not otherwise. Another LCO association commented that definition of properties and assets should be defined irrespective of MSO and LCO.

22. Most of the MSOs suggested that in cases where the STB provided to the customer is the property of MSO then the STB should be returned back to the MSO by the LCO. An LCO association opined that handing over the properties shall be subject to the scheme chosen by the subscriber in terms of TRAI Regulations.

23. On the aspects of levy of interest in case of default in handing over the asset or make good losses or damages, an MSO suggested the interest @ 4% plus base rate of State Bank of India (SBI) should be applied. Whereas an individual counter-commented that since the base rate of SBI is already very high at around 9% per annum, the rate should be fixed at SBI's base rate only. Whereas another cable operator association opined that the financial amount should be decided mutually in writing by both the Parties.

24. On the aspect of enclosing the list of properties/assets belonging to a Party in the network of the other Party, the Authority observed that the Parties may require to install properties/ assets in the network of the other Party, not only at the time of interconnection but during the currency of

interconnection agreement. Therefore the Authority is of the view that any transaction of properties/ assets between the Parties shall be carried out in writing or any other verifiable means indicating the cost of such properties/ assets. This would help the Parties to settle their dues in the event of termination of the agreement. Accordingly the suitable clause provision has been added in the MIA and the SIA.

25. The Authority observed that, the provisioning of Set Top Box at the premises of the subscriber is governed by the conditions prescribed in the Customer Application Form (CAF) for the option chosen by the subscriber. Further, based on the option chosen by the subscriber, if the STB belongs to the MSO, then LCO cannot be made responsible for returning the same in the event of discontinuation of cable services by the subscriber and subscriber has not returned the STB to the LCO. Therefore, the Set Top Box cannot be included in the list of hardware which is required to be handed over due to effect of termination/ expiry of the interconnection agreement.

26. The amount of interest levied on defaulting Party should work as effective deterrent to avoid further defaults. Keeping in view the market practices and comments-counter comments of the stakeholders, the Authority is of the view that rate of interest on default in payment should be retained as 2% plus the base rate of State Bank of India (SBI).

Provisioning of Services

27. The conditions of provision of service are an important part of the agreement wherein the Parties broadly specifies the principles such as non-exclusivity, applicable laws under which the service is provide. Some associations commented that the MSO should grant non-exclusive right to the LCO to retransmit the signals of TV channels on the basis of the representation, warranties and undertakings given by the LCO, and shall be subject to LCO complying with all the terms and conditions as set out in the Agreement, and LCO accepts such grant of rights and agrees and acknowledges them.

28. A cable operator association opined that minimum technical quality of service parameters should be specified/ mentioned clearly in the Agreement. Financial disincentives, penalties etc against faults, delays etc. should also be clearly specified.

29. One of the fundamental principles of the interconnection regulations is non exclusivity and therefore, the Authority is of the view that the interconnection agreement shall be entered into by the Parties on non-exclusive basis. Accordingly, the relevant clause has been suitably modified. As far as the specification of minimum quality of service in terms of technical parameters is concerned, the QoS Regulations 2012 already cover the aspect of technical parameters and both the Parties are required to adhere to the norms prescribed in the QoS Regulations 2012 or as modified from time to time. Therefore the Authority has decided not to include QoS parameters in the MIA or the SIA.

Rights of the MSO

30. An LCO Association opined that all package/ channel rates, discount schemes, STB hiring schemes for subscribers & all business plans are made by the MSO. It was suggested that wherever LCO network is being used, it should be decided by the MSO in consultation with the LCOs. LCO's area of operation and choice of consumers of that area is very important in making business plans.

31. In DAS, it is the MSO who receives a programming service from broadcasters and perform technical functions of a head-end (turn-around, encoding, encryption, multiplexing, modulation, combining and subscriber management) and therefore, the responsibility of packaging and pricing

of channels/ services remains with the MSOs. It is not practically feasible to formulate the composition of services as per the individual requirement of each LCO. Therefore the Authority is of the view that the right of packaging and pricing of the service offerings shall remain with the MSOs.

Rights of the LCO

32. Some associations stated that the right of ownership to LCOs should be clearly defined with respect to their own network only. A cable operator association suggested that it should be specified that the network which comprises of fiber, coaxial and distribution devices including the customers belongs to LCO and MSO distribution network is limited up to LCO point only. Whereas, another LCO association commented that the network from the MSO to the end users should be defined as the network of LCO.

33. The cable TV distribution network generally comprises of optical fiber network and last mile co-axial cable network. The Authority is of the view that the ownership of the individual Party is limited to the portion which the individual Party owns. If the MSO has laid the network till the LCO end then it belongs to the MSO and the responsibility of maintenance and upkeep remains with the MSO. Similarly, if the LCO owns last mile connectivity then the maintenance and upkeep of the same remains with the LCO. No Party can claim an ownership over the other Party network which it does not own. Accordingly suitable clause has been included in the MIA and the SIA.

Obligations of the MSO

34. On the aspect of providing web-based LCO grievance redressal system, one MSO suggested that, MSOs should be required to provide web based grievance redressal facility only to the consumers, and not to LCOs, as MSOs are already entertaining the complaints of the LCOs through emails and other mode of communication. An LCO commented that provision for redressal of grievances of LCOs should be present along with a provision of designating local statutory authority for grievance redressal.

35. On aspect of bill generation, an LCO association suggested that the MSOs shall generate bills within 10 days from the end of the billing cycle and deliver to LCO in printed format and not on CD Drive, Pen Drive or any other format. Another LCO association commented that billing should be done through LCO/LMO whether online or offline, as LCO/LMO gives service to the consumers and collects the subscription amount. MSO's Association were of the view that the period of 3 days for bill generation from the end of the billing cycle is less and needs to be extended to 7 days as the details from LCOs take time to be entered into the SMS.

36. An LCO stated that there should be a provision in the MIA and SIA to allow LCOs some small percent (2% of total STBs) of demo type active Set Top Box without monthly charges.

37. An LCO association commented that package upgrading & downgrading facility should be operated by LCO.

38. A HITS operator suggested that pre-activated STB's along with only FTA channels should be allowed for 7 days. If, during this period, all mandatory details are not entered, then STB should be deactivated.

39. On the aspect of setting up of web based grievance redressal system, the Authority noted that depending upon sharing of the roles and responsibilities between the Parties, the Parties may need to communicate frequently to fulfill the obligations and address the concerns of each other as per the agreement. Web based grievance redressal system is one of the most efficient and cost

effective way of managing such requirements. It encourages healthy and transparent practices. The trail of issues and their solutions recorded in the system can also be used to resolve the disputes between the Parties. Accordingly, for effective implementation of the provisions of this agreement, web-based grievance redressal system is necessary for LCOs also.

40. The QoS Regulations 2012 puts an obligation on the MSO that the bills for the services availed by the subscriber must be generated from the SMS automatically at the end of billing cycle. Therefore, the obligation of bill generation cannot be assigned to the LCO. On the aspect of the time period for generation bill from the end of the billing cycle, the Authority is of the view that the period of 3 days is sufficient as the bills are automatically generated in the SMS. This would also give sufficient time for delivery of bills to the subscribers which would increase the time period between the receiving of the bills by the subscriber and the due date for payment. Accordingly relevant clause has been provided in the MIA and the SIA.

41. On the aspect of provisioning of spare STBs in possession of LCOs for undertaking speedy repair/maintenance of STBs in the event of fault in STBs, the Authority noted that the QoS Regulation 2012 mandates the service providers to replace/repair the STBs within 24 hours. The provisioning of few STBs as a spare which can be used in place faulty STBs, installed at premises of subscribers, would help in the speedy restoration of services. This would also help in compliance of the QoS Regulations 2012. Accordingly, the MIA and the SIA puts an obligation on the part of MSO to provide to the LCO, at least 2% of the total STBs active in the network of LCO with an upper cap of 30 STBs as maintenance spare, which are not pre-activated, to ensure speedy restoration of service affected due to any fault in STBs. Accordingly suitable clause has been added in the MIA and the SIA.

42. The MSO has a right to decide the composition and pricing of channels/ package subject to the applicable Regulations/ Tariff orders. However to ensure transparency in the business among the Parties, the Authority has included a clause in the MIA and SIA where MSO has been asked to intimate to the LCO at least 15 days in advance in respect of any proposed changes in the package composition or the retail tariff being offered to the subscriber. As far as the responsibility of communicating this to the subscriber is concerned, that still lies with the MSO only as per the relevant regulations.

43. To accrue the full benefit of DAS, it is important that the relevant details of the customer and its choice of channels/ services are entered into the SMS so that the subscriber gets error free services. Therefore, it is essential that the STB of the subscriber is activated only after the details are entered into the SMS and therefore the stakeholders request regarding pre-activated STBs cannot be acceded to.

Obligations of the LCO

44. MSO associations commented that the LCO should not be allowed to migrate to any other distributor of signals without following proper process. They further stated that additional clause should be added that the LCO should not replace the STBs of MSO with STBs of any other service provider without following the process of law.

45. On the aspect of customer application form handling, an individual suggested that instead of handing over a copy of customer application form, the original customer application form should be given to the MSO. An MSO opined that, if authorized by MSO, LCO shall keep customer application form in his custody, provide its stamped copy to the subscriber and shall produce the copies/ information of customer application form and other documents if demanded by MSO/any other Statutory Authority.

46. On the aspect to assign or transfer rights and obligation in respect of agreement, an LCO association opined that the LCO is an independent business entity offering its network to the MSO to pass through its services to the consumers. Its liability to the MSO is limited to only the services provided jointly. The LCO does not require any permission to do its business.

47. On the aspect of migration of an LCO from one MSO to the other MSO, the Authority noted that the regulatory framework provides that the LCO can seek interconnection with one or more MSOs and the interconnection between them is on non-exclusive basis. However, LCO exiting the interconnection from the MSO must provide proper notice for disconnection and reasons thereof in the terms of the Interconnection Regulations 2012 or as applicable from time to time. Any LCO can migrate to the other MSOs provided that it follows the provision laid down in the Interconnection Regulations. In view of the above, the Authority is of the view that there is no need for introducing specific clause in this regard.

48. On the aspect of replacing one MSO's STB with the other's STBs, The Authority noted that the regulatory framework mandates that the service used by a subscriber cannot be changed without written request from the subscriber. However the Party receiving the request of disconnection from the subscriber shall update the information in the SMS within 24 hours. Therefore, the Authority is of the view that the LCO shall not replace the STBs of one MSO with the STBs of any other MSO without receiving the request from subscriber through disconnection application form. Accordingly, suitable clause has been added in the MIA and SIA.

49. The regulatory framework for DAS provides that a customer may submit an application for connection or shifting of connection in the specified format, in duplicate, duly signed and complete in all respect, to the MSO or its linked LCO who shall return the duplicate copy of the application to the applicant as an acknowledgment of receipt of application. However, the Parties can mutually decide about the storage of original filled application form. Accordingly, the clause may be added by mutual agreement in the MIA. However the copy of customer application form shall be sent to the MSO within 15 days of receipt from subscriber, the provision for which has already been provided in the MIA and the SIA.

50. On the aspect of transfer of rights and obligation in respect of agreement, the Authority recognizes both the Parties as independent business entities and each Party's right of freedom of business. Therefore, the Authority is of the view that the Parties are is free to assign or transfer any of its rights or obligation, however while doing so the Party shall give prior intimation to the other Party about the same so that the other Party can take necessary action for protection of its interests. Accordingly, relevant clause has been suitably modified in the MIA and the SIA.

Roles and Responsibility

51. In the draft agreements for consultation, comments of stakeholders were sought on various aspects of roles and responsibilities between the MSO and the LCO. On the aspect of devising format for application and publication of MOP, a cable operators association suggested that the liberty to devise the application forms, MOP should be provided to both MSOs & LCOs. On the aspect of complaint monitoring systems, some MSO associations opined that the responsibility of establishment of complaint monitoring system shall also be of LCO along with MSO as the LCOs directly deal with the subscribers and are aware of the technical issues at their network. On the specification of system of discounts due to interruption, an MSO association commented that the responsibility to specify such scheme should be left upon on both MSO & LCO in accordance with the QoS regulations, instead of only an MSO.

52. On issue of Unique Identification Number (UIN), an MSO association & an MSO opined that this should be the responsibility of the MSO as the SMS belongs to the MSO. However LCO shall provide the same to consumer. An individual suggested that LCO cannot perform this role as UIN is generated in the application server whose access is restricted.

53. A cable operator association commented that the MSO's responsibility on STB sale / hire plans, service supports / stand by inventory / Service Level Agreement/ Annual Maintenance Contract should also be specified. An individual commented that STB procurement is the sole responsibility of the MSO and STBs should be a supplied to the consumers via LCOs, giving proper documents i.e. invoice warranty or hire purchase agreement etc. LCO should not be held responsible by MSO if a subscriber's STB does not function properly or becomes faulty requiring replacement/repair.

54. On advance notice of 15 days regarding discontinuing or disconnection of cable services to the subscriber, an LCO association commented that this responsibility of providing notice of 15 days regarding discontinuing or disconnection of cable service to the subscriber should be of MSO. On receipt of request from subscribers for disconnection of service, an individual commented that cable Operator cannot do it since they do not have access to Application Server.

55. The Authority noted that the regulatory framework applicable for DAS provides enough flexibility and ample freedom to the Parties to carry out their business. Simultaneously the Authority observed that, in the relationship between the MSO and the LCO, the LCO generally interacts with the subscribers for providing service to the subscribers whereas the MSOs carryout functions which are dependent on the SMS and other associated systems. To provide the flexibility to the Parties and at the same time to ensure that the quality of service to the consumer is not compromised, the Authority is of the view that that the Parties may enter into an interconnection agreement for provision of cable service to the subscribers by mutually agreeing on the clauses of responsibilities listed under the clause 10 of the MIA. The Parties, without altering or deleting any clause of MIA, may add through mutual agreement additional clause to the MIA for stipulating any additional conditions provided that no such conditions shall have the effect of diluting or nullifying any of the conditions as laid down in the MIA. However, the Authority has demarcated the responsibilities of each role in the SIA. In the SIA, LCOs have been given the consumer centric responsibilities whereas the MSOs have been given the responsibilities which are directly linked with the SMS including billing for the subscribers.

56. On the aspect of devising format of the application form, the Authority observed that the Head end along with the Conditional Access System (CAS) and SMS are installed and maintained by the MSOs and also it is the MSO which enters into an interconnection agreement for retransmission of TV channels of the broadcasters and therefore the pricing of channels/packages and deciding the composition of packages remain with the MSOs. The MSOs and the LCOs are free to devise formats of application for subscribers for connection, disconnection, reconnection, transfer and shifting of cable TV connection and for obtaining and returning of STBs. However, while devising such formats the information relating to the pricing channels/packages, as decided by the MSO, are to be included in Customer Application Form (CAF). In terms of MIA, the Parties can share the responsibility of publicizing schemes for obtaining and returning of STB, warranty/repairing policy, connection, disconnection, transfer and shifting of cable TV services through mutual negotiation. In terms of SIA, the responsibility has been given to the MSO. However, it has been provided that the MSO shall supply copies of such published schemes to the LCOs for their information. Accordingly, relevant provisions have been suitably modified in the MIA and SIA.

57. On the aspect of establishment of web based complaint monitoring system, the Authority observed that in terms of the QOS Regulations 2012, overall responsibility of QoS norms lies with the MSO. In terms of the QoS Regulation 2012, this responsibility can be shared by the Parties in the interconnection agreements. Accordingly, the Authority is of the view that the Parties can share the responsibility of setting up of complaint monitoring system in terms of MIA. However in the SIA, this responsibility has been given to the MSO.

58. On the aspect of specifying discount or rebate to the subscribers due to interruptions in service, the Authority observed that since the responsibility of generation of bills for the subscribers lies with the MSO and hence the MSO shall communicate to the LCO the details of such schemes for communication to the subscribers. In SIA this responsibility has been assigned to MSO. However the Parties can share this responsibility in the terms of MIA.

59. On the aspect of providing UIN to the applicant, the Authority observed that the UIN can be generated automatically from the SMS. In the cases where the responsibility of issuing UIN has been given to LCO, the MSO should ensure that the relevant access to the SMS is provided to the LCO for carrying out its responsibility under the agreement. Where the responsibility rests with MSO, the MSO shall provide the reading access to the LCO. Accordingly, the relevant clauses have been suitably modified.

60. On the aspect of issuing of advance notice of 15 days regarding discontinuing or disconnection of cable services to the subscriber, the Authority observed that in DAS, it the MSO who can provide the information to the subscribers through scrolls about the disconnection of cable TV services due to some reason or the other. The Authority is of the view that the MSO shall intimate the LCO in writing before issuing such advance notices to the subscribers. On the aspect of notice to the subscribers regarding disruption of signals for preventive maintenance by the Parties, the Authority is of the view that if the preventive maintenance is to be carried out by the LCO then the LCO shall inform the MSO to enable it to give notice to the subscribers. This will ensure better quality of service to the subscribers. Accordingly, suitable modification has been incorporated in the MIA and the SIA.

Billing

61. A cable operator association commented that the MSO should generate bills in joint name with respective LCO (reading as XXX Network powered by YYY MSO). The MSO shall raise invoice on LCO on the basis of interconnection agreement terms along with corresponding customer base consumption details every month. Another cable operator association opined that the consolidated subscriber ID wise Billing should be given by the MSO to LCO for making individual bills and no prepaid payments should be permitted. An MSO association & some MSOs commented that the LCO should issue the bills and receive subscription payments. A HITS operator stated that transfer pricing (where MSO will raise the invoice to subscriber and handover it to the LCO and MSO will also raise invoice/statement of account to LCO towards his share in the total amount so that LCO will pay MSO on actual basis) should be implemented. A broadcaster has commented that the MSOs should communicate the billing for the period to subscribers and also set up terminals either with themselves or with LCOs for enabling recharge by subscribers or the LCOs as this will facilitate prompt collection and also encourage prepaid billing.

62. On payment of taxes, an MSO association & an MSO have stated that 'as per applicable rules and regulations of the respective tax authorities' should be added. And it should be responsibility of either MSO or LCO as jointly both of them cannot be held liable at the same time. An LCO association opined that the specific details of tax payment responsibilities need to be filled in the

adjoining cells at the time of signing of the agreement as per the rules and regulations of the respective tax authorities. Whereas another LCO association commented that entity that generates the bill should pay the taxes.

63. From the above mentioned comments of the stakeholders, one thing is very clear that the billing of subscribers can be done in different methods and different parties have different expectations/ requirements. What is common is that every stakeholder is interested in proper identification of billing responsibility assigned to each Party. Keeping in view the response of the stakeholders associated with the issue and the QoS Regulations 2012, the adequate flexibility has been provided in the MIA. It is up to the Parties to decide about the name of the Party(ies) to be printed on the bills. In the MIA, the Parties can add further clauses as per their requirement. However, it should be noted that even in case where the name of the LCO appears on the bill, the service tax registration number and entertainment tax registration number of MSO must be printed on the bill as mandated by the QoS Regulations 2012 and applicable rules and regulations of the respective tax authorities must be complied with. In SIA, the bills shall be issued in the name of the MSO.

64. The QoS Regulation 2012 provides that every MSO shall be responsible for generation of bills for the subscribers and this responsibility cannot be shared with the LCO. The overall responsibility of delivery of bills and receipts to the subscribers lies with the MSO. However, in cases of mutual agreement, the Parties can share the responsibility of delivery of bills and receipts to the subscribers. The Parties can also share the responsibility of receiving and collecting subscription amount from the subscribers and in such cases the concerned Party (LCO or MSO as the case may be) shall update the information in the SMS in accordance with the regulations/ directions issued by the Authority from time to time. In case of Parties entering into interconnection agreement through SIA, the responsibility of the providing of bills and receipts and entry of details of payments in to SMS lies with the MSO.

65. In terms of the QoS Regulation, 2012 the bill should contain the details of subscription amount, applicable taxes, such as service tax, entertainment tax etc., along with the rate of taxes levied. The Authority observed that obligation of the tax compliance differs from state to state with respect to entertainment tax. Therefore, the Authority is of the view that because of the reasons mentioned above it is not possible to fix the responsibility of tax compliance on a particular Party. Therefore, the Authority has kept it open to the Parties to decide the tax payment responsibilities in accordance with their applicable tax laws and regulations in their respective states. The specific details of tax payment responsibilities need to be filled in clause 10 under the 'roles and responsibilities' at the time of signing of the agreement as per the rules and regulations of the respective tax authorities.

66. In order to maintain the accounting records, the Authority is of the view that the Party, in whose name the billing for subscribers have been agreed, should receive the payment of the subscription fee paid by the subscribers and invoice should be raised by the other Party for getting its revenue share. Accordingly, suitable provision has been incorporated in the MIA.

Revenue Settlement

67. An LCO association commented the term revenue share should be defined in detail and should be shared by all stake holders as broadcasters generate revenue from subscription from MSOs and advertisements, MSOs generate revenue from carriage fee, placement fee, advertisement fee and revenue from LCOs but LCOs generate revenue only from subscription. Another LCO association suggested that the revenue definition (including customer billing, placement fee and advertising income) may be mutually decided by MSO and LCO.

68. An LCO association opined that the revenue share should be like CAS Model and MRP of Pay channels should be declared for the consumers as done for CAS regime where FTA revenue was given 100% to the LCO as his basic service charges. Another LCO association commented that the subscription revenue sharing should be mutually decided between MSO & LCO.

69. Each stakeholder in the value chain can have multiple sources of revenue. Even LCOs can generate additional revenue by using the same network for providing broadband services either independently or in association with MSO/ Internet Service Providers (ISP), other emerging value added services like home surveillance etc. Combining all sources of revenues for settlement purpose is possible only in the case of integrated entities and not among the independent entities, as is the case under consideration. The MIA and SIA are to be signed on principal to principal basis. Each entity should be able to compete in the market on standalone basis. And therefore it is important that the parties should mutually decide on specific amounts either in absolute terms or in percentage terms or a combination of the two, independent of sources of revenue, keeping in view the sharing of responsibilities and market conditions. Therefore the request of the stakeholders regarding definition of the term 'revenue' cannot be acceded to.

70. The regulatory frame work already provides that the revenue settlement is to be decided through mutual agreement. The Tariff order prescribes the manner in which the revenue share will be done on failure of mutual agreement between the Parties. Therefore, the Authority is of the view that the Parties should mutually decide the revenue settlement and its modalities depending upon the responsibilities shared between them. All the activities to be carried out by the Parties are to be clearly defined in the interconnection agreement entered between them and the revenue share and modalities of revenue settlement between the Parties are also be clearly defined in the terms of MIA. In terms of SIA, the MSO shall share the complete information relating to the subscribers billing and receipt of the payments with the LCO. The LCO shall issue monthly invoice to the MSO towards dues payable by the MSO for revenue settlement.

Defaults

71. On the aspect of default in payment by Parties, a cable operators association and an MSO suggested that the simple rate of interest shall be the base rate of interest of SBI plus 4%. Another cable operator association opined that a penal clause should be included against the MSO or the broadcaster if they fail to prove the default in payment. An MSO association commented that in case of two consecutive defaults by the LCO on revenue settlement, MSO may ask the LCO to deposit an advance.

72. The Authority is of the view that reasonable disincentives should be levied to discourage the delay/ default in the payment. The Authority decided the interest rate of 2% over and above the base rate of SBI is reasonable and accordingly the provision has been made in the MIA and SIA.

73. The Authority observed that the issue of default in payment is one of the main reasons which lead to the dispute between the Parties. To address this problem, the Authority is of the view that in cases where any of the Parties has failed to make payment on or before due date for three consecutive months in the past, the other Party shall have right to demand the interest free security deposit which shall not exceed average of immediately preceding 6 months billing amounts and the same shall be maintained for the remaining term of the agreement. Accordingly, suitable clauses have been added in the MIA and the SIA.

Undertaking

74. An MSO association, some MSOs and an individual commented that LCO should be referred as a franchise of MSO for the use of logo.

75. The Authority observed that the MSO and the LCO are independent registered entities and any LCO can carry signals of one or more MSOs through its network. And therefore, the Authority is of the view that there is no requirement of referring one Party as franchise of the other Party. The roles and responsibilities of each Party must be defined in the agreement.

Prevention of Piracy

76. Controlling the piracy is one of the prime concerns of the sector. An MSO urged that a harsh penalty should be levied**.** A broadcaster and a broadcasting foundation have suggested that the disconnection should be allowed instantly, if piracy is found out, given that the MSOs should submit appropriate proofs of piracy.

77. The Authority noted that sufficient protection has been provided to the both the Parties in the model and standard interconnection agreement framework as well as in the Cable TV Networks (Regulation) Act, 1995. Therefore the Authority is of the view that there is no requirement of such clause in the MIA and the SIA.

Disclaimer, Indemnity & Dispute Resolution

78. An LCO association commented that since TDSAT is situated only in Delhi and LCOs are present in far flung areas, it is not possible to approach TDSAT in time. LCOs must be permitted to approach local courts for a remedy. The TRAI Act must be amended accordingly so that LCOs in far off areas can get immediate relief in their respective states. An individual commented that an arbitration clause should be incorporated in the Agreement.

79. On the aspect of jurisdiction of local court and setting up of the TDSAT benches, the Authority is of the view that the issue raised by the stakeholder is not a subject matter of consultation. As far as the arbitration clause is concerned, the TRAI Act envisages handling of disputes between the service providers by Hon'ble TDSAT. The Authority is of the view that no separate arbitrator is required in case of dispute between the service providers.

Force Majeure & Notices

80. An MSO association & some MSOs commented that provision should be provided that notice can also be served on mails or through courier and first class couriers.

81. The Authority noted the suggestion and the relevant clause have been suitably modified to include speed post as one method of sending notice.

82. The Authority observed that in case of revocation of registration of any Party, the other Party shall have right to terminate the interconnection agreement. Therefore, the force majeure clause should also include this situation in the MIA and SIA. Accordingly, suitable amendment has been made in the SIA and the MIA under force majeure clause.

Restriction on Transfer

83. An LCO association opined that it should be restricted to the extent where the network facilities of each other are being shared and used.

84. Both the LCO and MSO are independent entities registered for providing cable TV services and they are the owner of their networks / systems and this clause is in line of the same.

General Comments

85. An LCO association commented that the MSO should provide at least 2 to 3 spare frequencies to LCO for local programs and DD Channels in case of failure of transmission provided by MSO.

The association also commented that prior to any change by MSO in channel packaging, the LCO should be informed.

86. An LCO Association stated that the language of agreement must be in English as well as Hindi or local language.

87. An LCO Association opined that the another sub-clause 'Co-operation And Co-ordination Between MSO & LCO' should be added in the interconnection agreement which binds the Parties to achieve success in the business in the Digitization mode and shared unity of purpose to deliver best service and content to the Cable TV Subscribers to uphold digitization.

88. On the aspect of sparing of 2 to 3 frequencies to the LCO for transmission of FTA channels and Doordarshan channels are concerned, the Authority noted that in DAS, it is the MSO who can downlink and re-transmit the signals of TV channels in encrypted form. Regarding the insertion of channels by LCOs in DAS area, the Authority is of the view that the Parties may work out any appropriate and technologically feasible arrangement to ensure the transmission of such channels in a digitally addressable encrypted format in line with existing regulatory provisions. The Parties through mutual agreement may include additional terms without prejudice to the existing provisions of the Cable TV Act 1995 and Rules or as amended from time to time.

89. On the aspect of language of the Agreement, the Authority is of the view that both the Parties may agree to sign a bilingual agreement in which one language must be English. In the event of dispute on the interpretation of the clause, the English version of the agreement shall prevail.

90. The Authority observed that through the interconnection agreement, the Parties decide upon their rights, obligation, roles and responsibilities with an aim to provide the services to the subscribers in terms of the intent of the regulations. The Authority is of the view that the interconnecting Parties are independent entities and therefore inclusion of a clause on "Co-operation and Co-ordination" in the MIA and SIA is not required.

91. The Authority has observed in the past that on many occasions the business transaction between MSOs and LCOs are not carried out in writing and mostly they are done on oral basis which results in frequent disputes between them. Therefore, the Authority is of the view that the Parties must agree that each and every transaction including movable and immovable properties/assets between the Parties shall be carried out in writing or any other verifiable means. Accordingly, suitable clause has been added in the MIA and the SIA.

Rationale for amendment in the Regulation to incorporate the provisions for MIA and the SIA

92. The Authority observed that the Interconnection Regulation, 2012 requires amendment for incorporating the provisions of the MIA and the SIA.

93. In terms of the Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995 and the Cable TV Rules made thereunder, the MSO can provide the signals of TV channels directly to the subscriber or through one or more linked LCOs. The LCO is the registered entity for providing cable TV services to the subscribers. In the Interconnection Regulation 2012, the LCOs have been given right to receive signals of TV channels from the MSO. However, the LCO is required to make a written request to the MSO for getting the signal. The MSO must provide signals of TV channels after execution of written interconnection agreement. In this amendment, the Authority has mandated that the interconnection agreement shall be entered into by the Parties in terms of MIA or the SIA, as the case may be, within 30 days from the date of receipt of written request from the LCO and, in line with the existing provisions, the signals of TV channels shall be provided to the LCO within 60 days from the date of receipt of written request. Accordingly, amendments have been made in the regulations.

94. The Interconnection Regulation, 2012 provides that the MSOs and LCOs shall enter into the interconnection agreement before provision of cable TV services to the subscribers. The Parties may enter into an interconnection agreement on lines of the MIA or by signing the agreement strictly in terms of SIA. The MIA is primarily a format of interconnection agreement that enables the Parties to have a mutual agreement in a structured manner in line with the regulatory framework. As per the industry practice normally the Parties negotiate their commercial terms in terms of (i) sharing of responsibilities, (ii) billing and/or (iii) revenue settlement. The amendment provides full flexibility on these aspects as the Parties can enter into written interconnection agreement by modifying clauses 10 (roles and responsibilities), 11 (billing) and/or 12 (revenue settlement) of the MIA. They also have a freedom to add additional clauses through mutual agreement to the MIA for stipulating any additional conditions. However it has been mandated that the Parties shall ensure that no such addition shall have the effect of diluting any of the conditions laid down in the MIA. In this manner, the freedom of contract within the regulatory framework has still been continued. This will help the Parties to assert its rights and obligations provided to them by the regulatory framework and avoid disputes. If the Parties fail to mutually agree on MIA, then they can enter into interconnection agreement on the terms of SIA, where no addition, alteration and deletion of the clauses provided therein is allowed. Accordingly sub-regulation 14 of regulation 3 and sub-regulation 13 of regulation 5 have been amended incorporating schedules IV and V providing Model Interconnection Agreement and Standard Interconnection Agreement.

95. The sub-regulation 15 and 16 of the regulation 3 of the Interconnection Regulations, 2012 prescribes modalities of revenue settlement. It provides that MSO shall raise an invoice to the LCO clearly specifying the current payment dues and arrears if any. The responsibility of raising the invoice by one Party to the other Party depends upon the nature of commercial arrangement between the Parties. Since the terms of revenue settlement in MIA has been left to the Parties for mutual negotiations, the responsibility of raising invoice would vary depending upon the mutually agreed arrangement by the Parties. In view of this, the Authority has decided to delete these sub-regulations. Therefore, with this amendment, the Parties can either mutually decide this responsibility as per MIA or enter into SIA wherein this responsibility is assigned to MSO in the revenue settlement clause.

96. In this amendment the Authority has prescribed a time period of 30 days for the MSO to give an option to its existing linked LCOs to modify their existing interconnection agreements as per SIA or MIA. It is open to the LCO to modify their existing agreement in terms of MIA or the SIA or continue with the existing agreement till its expiry. All new agreements shall be done based on prescribed MIA or SIA as the case may be. Pursuant to the option, where the written request for modification of existing agreement is received from the LCO, the MSO shall modify the existing interconnection agreement is accordance with the MIA or SIA within 30 days.

97. The Authority is of the view that the prescription of the MIA and the SIA will pave the way for growth of the sector, help in reduction of disputes between the MSOs and LCOs, provide level playing field to the Parties and increase healthy competition in the sector which ultimately will help in better quality of service to the subscribers.

S. K. GUPTA, Principal Advisor

[ADVT-III/4/Exty./(142) 400]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.